राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक ५] द्वितीय विधान सभा के पंचम सत्र, १९५९ का ८९वां दिवस [संख्या ५५

शुक्रवार, १५ मई, १९५९

विधान सभा की बैठक म० पू० ८ बज कर १३ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न।

श्री भैरोंसिंह।

डूंगरपुर पुलिस व कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरुद्ध आरोप

१५७४. श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) मुकदमा सरकार बनाम चिमन लाल, निवासी पीठ थाना धामोला, ज़िला डूंगरपुर धारा ३०२ (इंडियन पेनल कोड) में राजस्थान उच्च न्यायलय द्वारा क्या निर्णय लिया गया और कब ?

(ख) क्या यह सही है कि इस मुकद्दमें मे एडीशनल सैशन्स जज श्री जेठमल आचार्य द्वारा अपने निर्णय में पुलिस के व डूंगरपुर ज़िला कांग्रेस के अध्यक्ष, श्री शिवलाल के विरुद्ध कुछ आरोप लगाये गए थे ? यदि हां, तो आरोप क्या थे ? इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास):—(क) राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपील अस्वीकार की गई परन्तु मृत्यु दंड को उम्र कारागृह में दिनांक २८. २. ५८ को बदल दिया।

(ख) जी हां। एडिशनल सेशन्स जज, उदयपुर ने पुलिस पर मुकद्दमें की खराब तफतीश करने और शिवलाल को बचाना आदि के आरोप लगाये। चूंकि आदरणीय उच्च न्यायालय ने ये आरोप अस्वीकार किये थे इसलिये मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि उच्च न्यायालय के निर्णय में इन आरोपों को अस्वीकार करने का कोई संकेत नहीं है ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी है।

श्री भैरोंसिंह : क्या उसमें लिखा हुआ है कि पुलिस के खिलाफ तफतीश में दिलचस्पी नहीं लेने या शिवलाल को बचाने की जो बातें लिखी हुई हैं, उसके लिए माननीय न्यायाधीश ने गलत होने के लिए कहा है ?

श्री रामकिशोर व्यास : यही लिखा है कि उसमें जो सेशन्स जज ने ससपीशन जजमेंट में लिखा है और शिवलाल के खिलाफ वह ससपीशन करने का कोई कारण नहीं है।

चितौड़गढ़ में कृषि फार्म

१५७५. **श्री जयचन्द्र मोहिल** (आसिंद—सु०) : क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ में कृषि फार्म स्थापित है ? यदि हां, तो उसकी स्थापना किस सन् में हुई ?

(२) इस कृषि फार्म में कुल कितने कर्मचारी तैनात हैं और इनमें किस किस श्रेणी के कितने कितने हैं व प्रत्येक कर्मचारी को तनख्वाह मंहगाई भत्ता आदि कितना २ मिलता है ?

(३) इस कृषि फार्म द्वारा किस २ सन् में कितना कितना खर्च और कितनी कितनी आय हुई ? विगतवार बताया जावे।

(४) इस कृषि फार्म की स्थापना से आज तक सरकार एवं जनता को क्या लाभ किस किस रूप में हुआ ?

उपमंत्री, कृषि (श्री दौलतराम सारण) : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हो सका।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : क्यों नहीं हुआ ?

श्री जयचन्द्र मोहिल : कब तक प्राप्त हो जायगा।

श्री दौलतराम सारण : वह उत्तर प्राप्त करके आपको बता देंगे।

श्री श्रीभानसिंह : उत्तर क्यों नहीं प्राप्त हुआ जब कि नोटिस दिया गया ? माननीय सदस्य ने न मालूम कितने समय पहले दिया होगा और अब तक उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो ऐसे कैसे काम चल सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष : We have received previous information requesting for postponement of the question.

श्री श्रीभानसिंह : The House is entitled to know the reason for the postponement of the question like this.

श्री दौलतराम सारण : उत्तर प्राप्त नहीं हो सका इसलिए पोस्टपोन हुआ।

श्री श्रीभानसिंह : रोजाना उत्तर प्राप्त नहीं होते हैं। हर एक प्रश्न के लिए कह दिया जाय कि उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो उसके रीज़न्स क्या हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : ६ मार्च को यहां से भेजा गया था गवर्नमेंट को Of course the

Page No.3

(श्री उपाध्यक्ष)

delay deserves a serious consideration of the House but still I think it proper to give the Government a time.

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या इस प्रश्न का उत्तर सोमवार को दिया जायगा ?

श्री उपाध्यक्ष : आप (उपमंत्री जी से) कितना समय लेंगे । Within a week you are prepared to give a reply ?

डॉ० बहादुरसिंह : हाउस एडजोर्न होगा नेक्स्ट टर्न पर इसलिये इसका उत्तर सोमवार को दें दे ।

श्री दौलतराम सारण : अगली टर्न पर दें दे ।

श्री चन्दनमल बैद (सरदारशहर) : साधारणतया एक प्रश्न का उत्तर प्राप्त होने में १५ दिन का समय दिया जाता है और इस प्रश्न को पूछे गये ढाई महीने हो गये और पांच गुने टाइम में भी उत्तर प्राप्त नहीं हो सका तो क्यों नहीं प्राप्त हो सका । जितना टाइम मिलना चाहिए उससे ५ गुना टाइम मिल चुका है उसके बावजूद भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो उसका कारण मालूम होना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं उप-मंत्री महोदय, से निवेदन करूंगा कि वे इस बारे में सरगर्मी रखें । जहां तक प्रश्नों का ताल्लुक है they must be properly attended to by the Government.

उनियारा हाई स्कूल का भवन

१५७६. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सत्य है कि उनियारा, ज़िला टोंक में हाई स्कूल के भवन का निर्माण हो रहा है ?

(ख) अगर हां, तो कितने कमरे बन चुके हैं और कितने बनना बाकी हैं ? कब तक यह निर्माण कार्य पूर्ण होने की आशा है ?

मुख्य एवं शिक्षामंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) जी हां ।

(ख) चार कमरे बन चुके हैं । तीन कमरों का काम चालू है जिसमें केवल गर्डर्स एवं छत डलवाना शेष है । काम शीघ्र ही पूर्ण होने की आशा है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : इस स्कूल का निर्माण कब से प्रारम्भ हुआ था । बड़ा अर्सा हो गया और अब तो वह काम चालू नहीं है, स्कूल ही बन्द पड़ा हुआ है । यह मैं आपसे अर्ज करता हूं ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसमें वहां की जनता की ओर से काफी आश्वासन दिया गया था, लेकिन कुल मिलाकर १० हज़ार रुपये जनता की तरफ से प्राप्त हुए । सरकार की तरफ से ६ हजार पहले दिये गये और २५ हजार रुपयों की स्वीकृति अब दी गई है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जनता की तरफ से चार कमरों का था, वह तैयार हो गये हैं मगर सरकार की तरफ से २५ हज़ार दिये गये थे, उससे ३ कमरे बने हैं और ३ कमरों पर भी पट्टियां नहीं पड़ी है और बरामदे भी नहीं बने हैं । चारों कमरों की मंजूरी थी, उसमें से ३ हुए हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी उसका निरीक्षण कर लिया है । उन कमरों का काम पड़ा हुआ है इसलिए निवेदन कर रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : शीघ्र ही कराया जायगा ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जवाब तो दे देना चाहिए । बच्चों का नुकसान हो रहा है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जल्दी से जल्दी पूरा करवाने की तरफ कोशिश है ।

श्री तेजमल बापना (बनेड़ा) : वहा से ५० प्रतिशत कन्ट्रीब्यूशन नहीं लेने का क्या कारण है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसका तो रावराजा साहब ने वायदा किया था, वही जवाब दे सकते हैं ।

(हंसी)

श्री तेजमल बापना : रावराजा साहब ने कितना पैसा दिया है ? अगर अपने वायदे को पूरा नहीं किया है तो क्यों नहीं किया, उनसे वसूल किया जाय ?

प्रश्न संख्या १५५७.

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १५५८.

श्री दलपतसिंह ।

(अनुपस्थित)

गंगानगर शूगर फैक्ट्री

१५५९. श्री पी.के. चौधरी (फुलेरा): Will the Minister incharge for Industries be pleased to state:--

1. What is the authorised capital, subscribed capital and paid up capital of the Ganganagar Sugar Factory ?

2. What was the full value and market value of its preference and ordinary shares on the following dates :

(i) 30.6.53 (ii) 30.6.54

(iii) 30 6.55 (iv) 30.6.56

(v) 30.6.57 (vi) 30.6.58 ?

3. What is the full value of the total shares acquired by the Government and what is the total amount the Government paid to acquire these shares ?

4. Besides paying the share prices what other investment the Government has made in this factory and what is the total dividend the Government has so far received from this Factory ?

Page No.5

उप मंत्री, उद्योग विभाग (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : Authorised

Capital 12,00,000 shares

of Rs. 50/-each Rs. 1,00,00,000/-
Paid up and Subscribed

Capital 36558 Ordinary shares @ 50/-each Rs. 18,27,900.00/-
14,198 Preference

Shares @ 50/-each Rs. 7,09,900.00/-
Rs. 25,37, 800.00/-

2. Full value on each of the years.

Preference Share @ Rs. 50/- each.

Ordinary Share @ Rs. 50/- each.

Market Value: Not known as the shares were never quoted in the share Market.

3. Face Value of the Shares acquired:—

Preference shares 8504 @ 50/- each Rs. 4,25,200/-

Ordinary shares 27957 @ 50/- each Rs, 13,97,850/-

Rs 18,23,050/-

Regarding Full value of Shares the Government took over the above shares by paying Rs. 8,50,836.00. This was the amount given in the award of arbitration by Shri Ajit Prasad Jain, Union Minister for Food & Agriculture to whom the point was referred.

4. In the shape of Debentures worth Rs. 15,00,000/- fetching an interest of 6% per annum. Dividend declared only for the years 1946 47 on preference shares only. Amount of Dividend paid Rs. 22,436.58.

डॉ० बहादुरसिंह : क्या यह सही है कि गंगानगर शुगर फेक्ट्री के शेयर्स की शेयर मार्केट में वेल्यू कम होती रही थी ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया कि यह कोटेड नहीं है इसलिये मार्केट वेल्यू का प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : हर चीज की मार्केट वेल्यू होती है। कोटेड करके वेल्यू लगा सकते हैं। यह बुनियादी चीज़ है किसी भी इन्डस्ट्री में।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : शेयर की मार्केट वेल्यू उस समय होती है जबकि कोई ट्रान्जेक्शन हो। यदि कोई ट्रान्जेक्शन नही होता है तो उसकी फेस वेल्यू ही रहती है। जब तक ट्रान्जेक्शन नहीं होता तब तक मार्केट वेल्यू का पता नहीं चलता।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या सरकार कोशिश करती है यह पता लगाने की कि इसकी मार्केट वेल्यू क्या है ? बिना इसका पता लगाये हिसाब नहीं रह सकता। क्या ऐसी कोशिश कभी की गई है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : सन् ५६ तक यह फैक्ट्री बन्द पड़ी थी और प्राइवेट

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

सेक्टर में थी। सरकार ने उसके शेयर्स एक्वायर कर लिये और इसको चलाना शुरू किया। ५६-५७ में और ५७-५८ में इसे चलाया और काफी अच्छा प्रोफिट हुआ। अब सवाल यह रहता है कि पहले के जो क्युम्युलेटिव प्रिफरेन्शियल शेयर्स पहले के हैं और जिनका व्याज चढ़ा हुआ है उनको भी रुपये देने हैं। इसलिये अब तक शेयर मार्केट में इनका ट्रान्जेक्शन नहीं हुआ इसलिये मार्केट वेल्यू का पता नहीं चल सकता।

श्री मुरलीधर व्यास : अगर प्रोफिट हुआ है तो इसकी मार्केट वेल्यू बढ़नी चाहिये।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया कि प्रोफिट हुआ लेकिन साथ ही साथ लाइबेलिटी भी है। क्युम्युलेटिव प्रिफरेन्शियल शेयर्स हैं जिनका इन्टरेस्ट हर साल इकट्ठा होता रहता है इसलिये उनका प्रोफिट पर पहला चार्ज है। इनको देने के बाद में जो बचता है उसके बारे में देखना है।

श्री मुरलीधर व्यास : कितनी लाइबेलिटी चुकानी है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया कि ५७-५८ में जो डिविडेन्ड दिया है वह ४॥ पर्सेंट है। ५७-५८ में १,२७,७८२ रुपये दिये जाने का प्रावधान किया गया।

प्रश्न संख्या १५८०

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १५८१

श्री किशनाराम।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

राजमहल गर्ल्स स्कूल, जोधपुर में कमरों की कमी

१५८२. **श्री सूरजमल** (फलौदी-सु.) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) जोधपुर में राजमहल गर्ल्स हाई स्कूल में किस २ कक्षा में कितनी कितनी छात्राएँ हैं ?

(ख) कुल कक्षाओं के लिये किस किस साइज़ के कितने कमरे हैं ?

(ग) क्या यह सही है कि कमरे बहुत छोटे छोटे होने की वजह से कमरों में पूरी छात्राएँ नहीं बैठ सकती हैं तथा कुछ छात्राएँ पढ़ाई के समय भी बाहर घूमती फिरती हैं ?

(घ) क्या यह भी सही है कि इसमें अभी तक कोई बड़ा हाल नहीं है जिसमें सारी स्कूल की छात्राएँ एक साथ बैठ कर अपना कार्य कर सकें ?

मुख्य एवं शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) सूची संलग्न है।

(ख) कुल ११ कमरे हैं। १० कमरे १४ फुट १६ फुट तथा अन्दाजन १ बड़ा कमरा १६ फुट २८ फुट।

(ग) जी नहीं।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

(घ) जी हां।

सरकार सभी शिक्षण संस्थाओं के लिये बिना किसी भेद भाव के आवश्यकतानुसार व आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए रुपया व्यय करती है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

पंचायत बकानी द्वारा मकान ढाये जाने के सम्बन्ध में

१५८३. **श्री भैरवलाल 'कालाबादल'** (अकलेरा-सु.) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—क्या यह सही है कि भूरा व बख्शू तेली बकानी जिला झालावाड़ ने तारीख ११-५-५८ को पुलिस थाना बकानी में इस बात की दरख्वास्त दी थी कि उनका मकान पंचायत बकानी के कुछ पंचों ने २० मजदूरों द्वारा गैर कानूनी ढंग से ढा दिया ? यदि हां, तो पुलिस ने उस दरख्वास्त पर क्या कार्यवाही की है ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : जी हां। ऐसी सूचना भूरा तेली द्वारा की गई। कुछ बातों का खुलासा करने हेतु चीफ पंचायत ऑफिसर को लिखा गया है और उसका जवाब आने पर आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : कब दरख्वास्त पेश की गई थी भूरा तेली द्वारा ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसमें लिखा हुआ है ११-५-५८ को।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : डेढ़ साल के अन्दर केस रजिस्टर हुआ या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : पंचायत का जवाब आने पर होगा।

श्री मूलचन्द डागा : इसमें किस बात का जवाब ? पंचायत ऑफिसर का सवाल क्या है, मौके पर घटना घटी है।

श्री रामकिशोर व्यास : सवाल है क्योंकि पंचायत के हुक्म से डिमोलिश कराया है इसलिये उनके द्वारा जानकारी या जवाब देने की आवश्यकता है।

श्री मूलचन्द डागा : पंचायत विभाग इसमें क्या करेगा। आई-विटनेस मौके पर मौजूद थे, पुलिस में यदि केस रजिस्टर हुआ है तो मौके पर जांच होनी चाहिये।

श्री रामकिशोर व्यास : पंचायत को पूछा है, पंचायत का ऑर्डर डिमोलिश करने का हुआ है, उसने किस लॉ में और कैसे डिमोलिश कराया।

प्रश्न संख्या १५८४

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामचन्द्र।

(अनुपस्थित)

जिला विकास समितियों को दी गई धनराशि

१५८५. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(क) सन् ५८-५९ में जिला विकास समितियों को कुल कितना रुपया दिया गया ? कृपया जिलावार एक सूची सदन की मेज़ पर रखें।

(श्री मुरलीधर व्यास)

(ख) इन ज़िलों को जितना रुपया दिया गया उसमें से किन किन ज़िला विकास समितियों ने अपने ज़िले के खर्च का सफाई (क्लियेरेन्स) का सर्टिफिकेट ले लिया ?

(ग) राजस्थान जिला विकास समितियों में अब तक कुल कितना रुपया बकाया रहा है कि जिनका खर्च हो जाने पर भी केन्द्रीय सरकार ने क्लियेरेंस सर्टिफिकेट नहीं दिया !

योजना मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाडिया) : (क) सन् ५८–५६ में स्थानीय विकास कार्य प्रोग्राम के अन्तर्गत विभिन्न ज़िलों को दी गई धन राशि की तालिका सदन की मेज़ पर रख दी गई है।

(ख) सन् ५८-५६ का वित्तीय वर्ष हाल ही समाप्त हुआ है और अभी आंकड़ों का मिलान (रीकंसीलिएशन) भी नहीं हुआ है। अतः इस समय इस प्रश्न का उत्तर सम्भव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री मुरलीधर व्यास : इस प्रकार के विकास के लिये जो धन राशि रखी जाती है उसका क्या क्राइटेरिया है, वह किस हिसाब से रखा जाता है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वहां की आबादी खास तौर से रूरल एरिया की आबादी, उसके साथ साथ काम की आवश्यकता और जो समय समय पर खर्च होता रहे और दूसरे विकास कार्य ज़िले में चलते हैं, पब्लिक की कितनी धन–राशि मिल सकती है इस प्रकार के कंसीड्रेशंन्स सामने रखते हुए एड–होक बेसिस पर किया जाता है।

श्री मुरलीधर व्यास : लिस्ट दी है उसमें जहां तक विकास का सवाल है जैसलमेर में सिर्फ २ हज़ार रुपये रखे हैं। यह राजस्थान का सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ इलाका है और दूसरे इलाकों से कम १ लाख १४ हजार रुपये खर्च हुए, विकास की दृष्टि से कम खर्च किया गया, क्या वहां पर विकास की आवश्यकता नहीं है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : विकास की आवश्यकता के साथ साथ और भी बातें हैं। वहां के लोगों से जो कॉन्ट्रिब्यूशन आना चाहिये उसका अभाव रहता है इसलिये कम धन राशि खर्च होती है।

श्री मुरलीधर व्यास : आबादी कम होने के कारण वहां से धन-राशि का इतना सहयोग नहीं मिल सकता इस दृष्टिकोण को लेकर सरकार ने क्यों नहीं सोचा और क्यों नहीं ज्यादा पैसा खर्च किया ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : क्या फरमाया ?

श्री मुरलीधर व्यास : वहां पर एक वर्ग मील में ५ आदमी से अधिक आबादी नहीं मिलेगी लेकिन विकास की आवश्यकता है यह बात बिल्कुल साफ है इस दृष्टिकोण से क्यों नहीं सोचा गया ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : इस फंड के लिये नियम एक से ही हैं। इसके लिये कम से कम ५० प्रतिशत कान्ट्रिब्यूशन पब्लिक

Page No.9

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

को करना होता है। इस हैड में यह नहीं कर सकते कि एक इलाके में कॉन्ट्रिब्यूशन आता है उसको ज्यादा सुविधा दे दे। कई जगह तो ५० प्रतिशत से भी ज्यादा कॉन्ट्रिब्यूशन आता है और हम जो मदद देते है उससे अच्छा काम हो जाता है। जैसे पानी के लिये इस इलाके में हम अधिक धन राशि देते हैं, लेकिन इसमें पर्टिक्युलर एरिया को अधिक नहीं दिया जा सकता।

श्री मुरलीधर व्यास : यह जो क्लीयेरेन्स सर्टिफिकेट के बारे में कहा गया कि अब तक प्राप्त नहीं हुए है, इसका क्या कारण है। बहुत से रुपये ठीक ढंग से खर्च नहीं हुए इसलिये सर्टिफिकेट नहीं दिये या फिर ऐसे क्या कारण हैं जिसकी वज़ह से सर्टिफिकेट नहीं दिये ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : ऑर्डिनेरिली नेचुरल कोर्स में खर्चा होता है उसके अकाउन्ट्स का रीकॉन्सिलियेशन होता है और फाइनली कितना खर्चा लगा उसका पता लगाने में समय लगता है। यह कोई एक्स्ट्रा-ऑर्डिनेरी बात नहीं है, रीकॉन्सिलिएशन में समय लगता है।

प्रश्न संख्या १५८६

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामधन।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

डॉ. बहादुरसिंह।

भूपाल कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रताप नगर द्वारा दी गई भूमि

१५८७. डॉ. बहादुरसिंह (धौलपुर): क्या मन्त्री-सहकारी विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :-

(१) श्री मोहनलाल वश्वानी प्रतापगनर को भूपाल कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रतापनगर ने क्या कोई कुंआ और भूमि दी है ? यदि हां, तो कितने कितने मूल्य पर ?

(२, सोसाइटी ने कुंआ निर्माण कराने में क्या व्यय किया था ?

(३) क्या उक्त कुंआ सार्वजनिक बोली लगा कर बेचा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(४) क्या यह सत्य है कि उक्त कुंओं का मूल्य, दूसरे व्यक्ति श्री मोहनलाल से अधिक देने को प्रस्तुत है ?

उप-मन्त्री, सहकारी विभाग (श्री दौलतराम सारण) : (१)जी हां। एक कुंआ २,२०० रु० में और १५ बीघा भूमि बिना किसी मूल्य के अलॉट की है।

(२) ४,६८१ रु० १५ आ० ६ पाई।

(३) जी नहीं। समिति की प्रबन्धकारिणी समिति ने सार्वजनिक बोली लगाकर इसे बेचना उचित नहीं समझा।

(४) हो सकता है। परन्तु इस सम्बन्ध में किसी का कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या यह सत्य है कि श्री मोहनलाल वश्वानी पर १६५० से कर्जे की रकम करीब २७ हजार है ?

श्री दौलतराम सारण : यह अलग प्रश्न है, इस समय नहीं कह सकता कि कितनी रकम बकाया है।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या यह भी सत्य है कि १५ बीघा भूमि दी गई है वह फ्री दी गई है ?

श्री दौलतराम सारण : यह मैंने उत्तर में निवेदन किया है।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या यह भी सत्य है कि सरकार ने २५ बीघा, १५ बिस्वा उसको भूमि दी है ?

श्री दौलतराम सारण : इसकी मुझे जानकारी नहीं है।

डॉ० बहादुरसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस व्यक्ति पर २७ हज़ार रकम बकाया है और १५ बीघा और २५ बीघा भूमि दी है, उसके सम्बन्ध में उत्तर नहीं है।

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : इसका क्लेम कई हज़ार का है, उसमें से एडजस्टमेंट होना बाकी है।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या यह सही है है कि वह एक महीने के लिए भी जेल नहीं गया है, वह सिन्ध का रिफ्यूजी है, और पोलिटिकल सफरर होने के नाते उसको ज़मीन दी गई है ? वह सिन्ध में एक महीने के लिए भी जेल नहीं गया है। क्या यह सत्य है कि चार हज़ार का कुंआ उसे २ हज़ार में दिया गया है और उसका उसने पेमेन्ट नहीं किया है ?

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष महोदय, किस व्यक्ति पर कितनी रकम किस किस जगह की बकाया है, इसका उतर देना मेरे लिए असम्भव है। मेरे से जो पूछा गया है उसका उतर मैंने स्पष्ट दे दिया है। जिस व्यक्ति को ज़मीन और कुंआ देने की बात है, उस व्यक्ति के अन्दर इस सम्बन्ध की कोई रकम बकाया नहीं है। इसके अलावा उस व्यक्ति ने एक किश्त अदा कर दी है, बाकी उसका जो पाकिस्तान की जायदाद का क्लेम है, उसमें से एडजस्टमेंट हो जायगा।

डॉ० बहादुरसिंह : नहीं, उस व्यक्ति ने १४ बीघा भूमि दाबी है और उसने एक पैसे का भी पेमेन्ट नहीं है किया है। उसमें १५,६६८. ६७ नये पैसे बाकी हैं।

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न कुछ पूछा है और मेरे से उत्तर कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। मेरे से जो प्रश्न पूछा है, उसका उतर मैं दे चुका हूं....

श्री उपाध्यक्ष : That you have already replied.

श्री मंगलसिंह।

डॉ० बहादुरसिंह : एक और प्रश्न है कि ४,५९७. ६२ नये पैसे का कुंआ आपने २,२०० रुपये में दे दिया है, इसका क्या कारण है ?

श्री दौलतराम सारण : वहां की प्रबन्ध समिति ने यह निश्चय किया था कि यह कुंआ जो है उसको इनको दिया जाय।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्या श्री मोहनलाल वश्वानी कांग्रेस के कृपा पात्र हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : It is not relevant.

Page No.11

डॉ० **बहादुरसिंह** : प्रश्न यह है कि ४, ५६,७६२ नये पैसे का कूश्रा....

श्री **भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : कृपा पात्र हैं यह रेलेवेन्ट नहीं है या श्रौर कुछ ?

डॉ० **बहादुरसिंह** : उसको २,२०० रुपये में किन विशेष कारणों से दिया गया है ! क्या यह सत्य है कि समिति के सदस्यों पर प्रेशर' डाल कर इस प्रकार की कार्यवाही की है ?

श्री **दौलतराम सारण** : उपाध्यक्ष महोदय, जो तथ्य थे, वे निवेदन कर दिये हैं, इससे अधिक मैं क्या जानकारी दे सकता हूं।

श्री **मुरलीधर व्यास** : क्या जो कुंश्रा ४ हज़ार का है वह २ हज़ार में दिया गया है ?

डॉ० **बहादुरसिंह** : जी हां।

श्री **दौलतराम सारण** : यह मैंने उतर में निवेदन कर दिया है।

डॉ० **बहादुरसिंह** : मेरा सवाल है कि चार हज़ार की वेल्यू की चीज़ दो हजार में दी इसके लिए डिपार्टमेंट ने मालूम नहीं करा कि यह इस प्रकार क्यों किया ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में जांच कराने के लिए तैयार है कि कितना कर्जा बाकी है, कितनी भूमि ली है, किन किन नाम से ली है ? जो लीज़ फ्री भूमि दी गई है, उसका पैसा जो देना चाहिए उसका पेमेन्ट नहीं किया है।

श्री **दौलतराम सारण** : आप इसके सम्बन्ध में सहकारी समिति सम्बन्धित प्रश्न को लेकर लिखित रूप से शिकायत करेंगे तो जांच करवाने के लिए तैयार है।

डॉ **बहादुरसिंह** : ये सारे फैक्ट्स, जो मेरा अनस्टार्ड क्वेश्चन था, उसमें हैं और उसके बाद स्टार्ड क्वेश्चन में फैक्ट्स हैं। सदन के सामने दोनों चीजें मौजूद हैं, अतारांकित और तारांकित प्रश्न में बातें आ गई हैं, रिकॉर्ड भी है, मैं समझता हूं कि इन दोनों प्रश्नों के आधार पर सरकार जांच करने के लिए तैयार है ?

श्री **दौलतराम सारण** : जो आपने बताया है उसके सम्बन्ध में जानकारी की जायगी।

श्री **चन्दनमल बैद** (सरदार शहर) : जो दो हज़ार में कूंश्रा बेचा गया है, क्या उसको पेमेन्ट हो गया है ?

श्री **दौलतराम सारण** : उसके लिए एडजस्टमेंट के बारे में निवेदन किया था। एक किश्त श्रदा कर दी है, बाकी क्लेम से एडजस्ट करने के लिए उसने लिखवा दिया है।

श्री **दयाकृष्ण विजय** : जो कूंश्रा बेचा है उसके लिए क्या प्रबन्ध समिति ने गवर्नमेंट की एप्रूवल ली है ?

श्री **दौलतराम सारण** : प्रबन्ध समिति ने अपने यहां प्रस्ताव पास करके यह दिया है।

श्री **दयाकृष्ण विजय** : गवर्नमेंट की एप्रूवल ली या नहीं ली, उसकी जरूरत थी या नहीं थी ?

श्री दौलतराम सारण : यह जानकारी इस समय मैं नहीं दे सकता, यह जानकारी मेरे पास नहीं है।

प्रश्न संख्या १५८८

श्री उपाध्यक्ष : श्री मंगलसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १५८९

श्री तेजपाल।

(अनुपस्थित)

श्री सोहनलाल भटनागर।

बड़े उद्योगों को दिया गया कर्ज

१५९०. **श्री सोहनलाल भटनागर** (सलूम्बर) : क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उतर देने की कृपा करेंगे —

सन् १९५८-५९ में कौन २ से बड़े उद्योगों के लिये किस किस को कितनी रकम कर्ज दी गई ?

उप-मन्त्री, उद्योग विभाग (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : सन् १९५८-५९ में राज्य सरकार द्वारा सिर्फ एक बड़े उद्योग स्वदेशी कॉटन मिल्स लि० को १२५९६०० रु० का कर्जा वितरण किया गया है।

श्री सोहनलाल भटनागर ; क्या यह सही है कि राजस्थान के अन्दर इन्डस्ट्रिलाइजेशन पूरी तरह से नहीं हो रहा है ! इसलिये अधिक कर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : पैसा है नहीं, कहा से दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : इसका जवाब दे दिया जाय।

भारत सेवक समाज सम्मेलन, भीलवाड़ा

१५९१. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर-श्री दयाकृष्ण विजय छबड द्वारा पूछा गया) : क्या मन्त्री, गृह विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

भीलवाड़ा में भारत सेवक समाज के सम्मेलन में किस किस ज़िले से कितने कितने पुलिस कर्मचारी बुलाये गये तथा इस सम्बन्ध में कितना कितना खर्चा किस किस मद में से किया गया ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : कोई फोर्स, किसी भी जिले से भारत सेवक समाज सम्मेलन के सम्बन्ध में भीलवाड़ा नहीं बुलाई गई।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : कितनी रकम खर्च की गई, यह बताया नहीं। इसमें और कई बातें दी गई हैं, आपने प्रश्न का पूरा जवाब नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष : पूरा जवाब किस प्रकार ? आपके सप्लीमेन्ट्री होने चाहियें।

श्री मुरलीधर व्यास : जो प्रश्न पूछा है, उसका उत्तर तो पूरा होना चाहिये।

Page No.13

श्री रामकिशोर व्यास : पूरा दिया है।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : खर्चा किसका हुआ, किस मद से हुआ ?

श्री रामकिशोर व्यास : बाहर से फोर्स मंगाई नहीं।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : प्रश्न यह है कि भीलवाड़ा में भारत सेवक समाज के सम्मेलन में किस किस जिले से कितने कितने पुलिस कर्मचारी बुलाये गये तथा इस सम्बन्ध में कितना कितना खर्चा, किस किस मद में से किया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसका मतलब यह है कि कितने पुलिस कर्मचारी बाहर से बुलाये गये।

श्री दयाकृष्ण विजय : बाहर से मतलब है किस किस जिले से।

श्री रामकिशोर व्यास : जवाब फिर सुन लीजिये। प्रश्न है कि भीलवाड़ा में भारत सेवक समाज के सम्मेलन में किस किस जिले से कितने कितने पुलिस कर्मचारी बुलाये गये तथा इस सम्बन्ध में कितना कितना खर्चा, किस किस मद में से किया गया। मैंने जवाब दिया है कि कोई फोर्स किसी अन्य जगह से भारत सेवक समाज सम्मेलन के सम्बन्ध में भीलवाड़ा नहीं बुलाई गई।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : भीलवाडा जिले से कितने बुलाये गये, यह बता दीजिये ?

श्री रामकिशोर व्यास : भीलवाड़ा जिले के थे ही, बुलाने का क्या सवाल है।

श्री भैरोंसिंह : दूसरे सब-डिविजन्स थे, उनमें से कितने बुलाये गये ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह आपने दरियाफ्त ही नहीं किया।

श्री भैरोंसिंह : भीलवाड़ा जिले से कितने लोगों को बुलाया था।

श्री रामकिशोर व्यास : भीलवाड़ा जिले के तो भीलवाड़ा में ही थे।

श्री भैरोंसिंह : सम्मेलन भीलवाड़ा जिले में नहीं हुआ था, भीलवाड़ा टाउन में हुआ था। मतलब यह है कि भीलवाड़ा जिले से टाउन में कितने व्यक्ति बुलाये गये ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह सूचना मेरे पास अवेलेबल नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वीराराम।

श्री मुरलीधर व्यास : प्रश्न का पूरा जवाब नहीं दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : That has been replied.

श्री मुरलीधर व्यास : कुछ न कुछ तो खर्चा हुआ होगा, कुछ तो बताते।

प्रश्न संख्या १५६२

श्री उपाध्यक्ष : श्री वीराराम।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १५६३

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री शिवचरणदास

(अनुपस्थित)

श्री जयसिंह ।

एक मुस्तबा औरत द्वारा नाबालिग लड़की को उड़ाने के सम्बन्ध में

१५६४. **श्री जयसिंह** (आसिन्द) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—(क) क्या यह सही है कि मजरा चतरपुरा, थाना बदनोर, जिला भीलवाड़ा के पटवारी नंबरदार और जनता ने एक मुस्तबा औरत को, एक नाबालिग लड़की को उड़ा ले जाने के कारण, पहिले चौकीवार और फिर थाने बदनोर में उप-तहसील बदनोर की मार्फत क्रमशः २६-१-५८ व २७-१-५८ को पेश किया था ?

(ख) चौकीवार और पुलिस स्टेशन बदनौर के तत्कालीन इन्चार्ज कौन थे ?

(ग) उक्त लड़की का नाम व पता क्या है और उसके अभिभावक का पता चलाने की क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) जी हां, उन्होंने २६,२७-१-५६ को न कि २६,२७-१-५८ को क्रमशः चौकीवार एवं थाना बदनोर में यह आरोप लगाकर कि औरत ने लड़की को भगाया है प्रस्तुत किया ।

(ख) पुलिस चौकीवार के इन्चार्ज मोहनलाल हैड कॉन्स्टेबिल थे और एस. आई. श्री जय प्रकाश थाना बदनौर के इन्चार्ज थे ।

(ग) लड़की का नाम सीता था और वह उसी स्त्री, श्रीमती अमरी बेवा माधो भोई की पुत्री थी । वे प्रारम्भिक रूप में बिलासपुर की रहने वाली थी, एवं आज कल उनका निवास खंडवा में था । दोनों ही स्थानों को पर्चा तसदीक भेजा गया ।

श्री जयसिंह : क्या यह सूचना मिली है कि लड़की को वहां से ले जाकर उसके अभिभावक के पास पहुँचा दिया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह लड़की मुस्तबा नहीं थी ।

श्री जयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जो औरत लड़की को उडा कर लाई, उसके पास चाकू था और कड़कड़ाती सर्दी में....

श्री उपाध्यक्ष : आपको व्यक्तिगत नॉलेज है ।

श्री जयसिंह : लाई । लोगों को भय लगा तो पुलिस को सौंप दिया ।

श्री रामकिशोर व्यास : आपने सौंपी थी । आपका ख्याल था कि वह उड़ाई हुई है, पर, असल में वह उड़ाई हुई नहीं थी । खुद लड़की ने बताया कि वह कहां की रहने वाली है, जो एवीडेन्स रिकॉर्ड हुआ, उनका नतीजा यह हुआ कि वह उडाई हुई नहीं थी ।

प्रश्न संख्या १५६५.

श्री उपाध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल ।

(श्री उपाध्यक्ष)

(अनुपस्थित)

श्री मनोहर कोठारी ।

ग्राम सेवक संघ को सरकार द्वारा मान्यता

१५६६. **श्री मनोहर कोठारी**(कुम्भलगढ़-मास्टर किशनलाल द्वारा पूछा गया) : क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: (क) क्या राजस्थान के ग्राम सेवकों ने ग्राम सेवक संघ बनाने व उसे सरकार द्वारा मान्यता प्रदान करने सम्बन्धी कोई प्रार्थनापत्र राज्य सरकार के पास प्रेषित किया है ?

(ख) यदि हां, तो कब और उस पर क्या आदेश दिये गये हैं ?

विकास मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) जी हां।

(ख) प्रार्थनापत्र दिनांक १६ अक्टूबर, १६५७ को दिया गया था। यह अभी विचाराधीन है।

प्रश्न संख्या १५६७

श्री उपाध्यक्ष : श्री सहदेव ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री भीमसेन ।

किसान सम्मेलन, लूणकरणसर

१५६८. **श्री भीमसेन** (लूनकरणसर) : क्या कृषि मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—माह अक्टूबर, सन् १६५८ में कस्बा लूनकरणसर में होने वाले किसान सम्मेलन में जनता की जिन जिन कठिनाइयों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया उस सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये हैं ?

उप-मंत्री कृषि, विभाग(श्री दौलतराम सारण) : उपाध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

श्री भीमसेन : इसका उत्तर कब दिया जायगा ?

श्री उपाध्यक्ष : That is postponed.

प्रश्न संख्या १५६६

श्री अनोपसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी ।

बिजलीघर, भरतपुर

१६००. **श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** (डीग) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे : (क) भरतपुर के नये बिजलीघर के लिये आये हुए कौन कौन से बड़े यन्त्र कब से यहां पड़े हुए हैं ?

(ख) उनको स्थापित करने में इतना विलम्ब क्यों हो रहा है ?

(ग) क्या सरकार को यह भी पता है कि पर्याप्त बिजली न होने से ही वहां नल लगाने का कार्य रुका हुआ है ?

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार जनता के हित की दृष्टि से अब वहां अधिक बिजली उत्पन्न करने की कोई अवधि निर्धारित करेगी ?

विद्युत मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास): (क) बायलर और टर्बाइन के मुख्य भाग अगस्त, १९५८ तक आये ।

(ख) जमीन जहां यन्त्र लगने हैं, वहां तक पहुँचने के लिए सड़क के काम में रोड़े अटकने के कारण ।

(ग) जी हां । बिजली की कमी भी एक कारण है ।

(घ) पॉवर हाउस का कार्य १९६० के अन्त तक पूरा होने की आशा है ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मेरा प्रश्न यह था कि भरतपुर के नये बिजलीघर के लिये आये हुए कौन कौन से बड़े यन्त्र कब से यहां पड़े हुए हैं ? आप कहते हैं ५८ तक आये । पर मैं पूछ रहा हूँ कि कब से पड़े हुए हैं ।

श्री रामकिशोर व्यास : मार्च से अगस्त तक आते रहे ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : अगस्त से मार्च तक ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : उन्हें आये कम से कम ढ़ाई साल हो चुके हैं । क्या मन्त्री महोदय स्वीकार करेंगे कि वे वहां ढ़ाई साल से पड़े हुए हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां, और सामान हो सकता है ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : सवाल यह है कि ढ़ाई साल से वे चीजें आई हुई पड़ी हैं उनको इन्स्टाल नहीं करने से जनता परेशान हो रही है, ढ़ाई लाख का इन्ट्रेस्ट भी बेकार जाता है ।

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने निवेदन किया कि मार्च ५८ से शुरू हुआ और अगस्त ५८ तक आया ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : क्या यह सही है कि जिस जगह बिजलीघर बनाया है वहां रास्ता है ही नहीं रेल्वे स्टेशन के लिये, जो रास्ता बनाया है उससे रेल्वे लाइन बीच में आने से दिक्कत आयेगी और बिजलीघर बनने में काफी समय लग सकता है ?

श्री रामकिशोर व्यास : समय लगे, रोड एक्वायर करनी पड़ेगी ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : जो भूमि इसके लिये अवाप्त की गई है उस पर खर्चा कई सौ गुना किया गया है और फिर भी उस तक अप्रोच के लिये रास्ता नहीं है ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो अलग अलग राय की बात है, एक्सपर्ट्स की इसके लिए राय थी कि यह स्टेशन से बिल्कुल पास रहेगा ।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : कौन कौन से एक्सपर्ट्स थे ?

Page No.17

श्री रामकिशोर व्यास : बिजली वाले और यहां के भी।

श्री श्रीभानसिंह : कौन कौन ?

श्री रामकिशोर व्यास : बिजली के चीफ इन्जीनियर...

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : तीन साल हो गये पर हर साल पानी भर जाता है, फ्लड में सबमर्जिबल एरिया है। किस एक्सपर्ट ने ओपिनियन दी है ?

श्री रामकिशोर व्यास : बिजली घर के चीफ इन्जीनियर, डब्लू. पी. सी. के मेम्बर।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : चीफ इन्जीनियर कब गये और ६० हज़ार में कब तय किया ?

श्री रामकिशोर व्यास : वेल्युएशन का तो कलेक्टर भरतपुर ने तय किया, चीफ इन्जीनियर ने तो साइट एप्रूव किया।

श्री श्रीभानसिंह : कितना रुपया वेल्यूएशन का तय किया ?

श्री रामकिशोर व्यास : इस वक्त मुझे याद नहीं कलेक्टर ने तय किया, वही दिया।

श्री श्रीभानसिंह : क्या आम तौर से लैंड की भरतपुर में यही रेट है ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह सवाल पहले दर्याफ्त फरमा चुके हैं, फिर फरमायें तो जवाब दे सकता हूँ पर इसमें रेट का सवाल नहीं है।

श्री श्रीभानसिंह : क्या इस जगह से रेल्वे स्टेशन जाने पर रेल्वे क्रोसिंग को क्रॉस करना पड़ता है ?

श्री रामकिशोर व्यास : एक्सपर्ट्स ने यह राय दी कि रेल्वे स्टेशन के बिल्कुल पास है, इसलिये यह जगह अच्छी रहेगी।

श्री श्रीभानसिंह : स्टेशन के पास है पर रेल्वे लाइन को क्रॉस करना पड़ेगा तभी सामान पहुंच सकता है।

श्री रामकिशोर व्यास : हो सकता है, इसकी मुझे जानकारी नहीं।

श्री श्रीभानसिंह : फाईनेन्स कमेटी ने रिपोर्ट दी है कि ऐसे स्थान पर बिजलीघर हों कि रेल्वे लाइन्स को क्रोस न करना पड़े, ऐसी जगह नहीं हों जहां इस तरह हिंडरेंस करते हों, तो क्या यह हिंडरेंस उनके दिमाग में नहीं थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : उनके दिमाग में क्या क्या बातें थीं, यह मैं नहीं कह सकता।

श्री श्रीभानसिंह : मेन कन्सीडरेशन यह था कि रेल्वे स्टेशन के नज़दीक था।

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : अन्तिम प्रश्न का उत्तर दिया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : बाई एन्ड ऑफ ६०

श्री श्रीभानसिंह : कलेक्टर ने इस लैंड का कितनी बार वेल्यूएशन किया ?

श्री रामकिशोर व्यास : अलग दर्याफ्त फरमायें तो अर्ज़ कर सकता हूँ।

श्री श्रीभानसिंह : आपने यह फरमाया कि एक्सपर्ट्स ने यह राय दी कि यह रेल्वे स्टेशन के नज़दीक है तो क्या यह माना जाय कि एक्सपर्ट्स ने इस लैंड को अच्छी तरह से देखा था ?

श्री रामकिशोर व्यास : उन्होंने सारा मौका देखा और फिर इस ज़मीन को पसंद किया।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : क्या यह सही है कि आपके एक्सपर्ट्स गये थे तो बिड़ला और भारत आइल मिल की तरफ से कहा गया था कि मुफ्त में ज़मीन ले लीजिये, कम कीमत पर ले लीजिये ?

श्री रामकिशोर व्यास : बिड़ला ने तो नहीं कहा और ने कहा हो तो पता नहीं ?

श्री श्रीभानसिंह : क्या यह सही है कि ४०० रुपया इस जमीन की कीमत थी, उसको ६० हज़ार में लिया गया।

श्री उपाध्यक्ष : Next question please.

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : बिड़ला वैगन फैक्टरी और भारत ऑइल मिल्स की ओर से ऑफर किया गया था कि ज़मीन मुफ्त में ले लीजिये, कम वेल्यूएशन पर ले लीजिये, फिर क्या समझकर गवर्नमेंट के एक्सपर्ट्स ने उस ज़मीन को नहीं लिया ?

श्री रामकिशोर व्यास : जहां तक बिड़लाजी का ताल्लुक है, उन्होंने तो इस तरह की ऑफर नहीं की, भारत मिल का मुझे मालूम नहीं।

श्री श्रीभानसिंह : तो क्या यह माना जाय कि बिड़ला वैगन फैक्टरी ने कोई ऑफर नहीं किया ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां, कोई आफर नहीं किया। ली भी जाती तो नामुनासिब मालूम होता।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह।

भीन्डोलाव तालाब उदयपुरिया

१६०१. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-(क) क्या यह सही है कि भीन्डोलाव तालाब उदयपुरिया, तहसील आमेर सार्वजनिक है ?

(ख) क्या यह भी सही है कि इस तालाब में वर्षा का पानी भरने पर कई ग्रामों के पशु पानी पीते हैं।

(ग) क्या यह भी सही है कि सरकार इस तरह के सार्वजनिक काम में आने वाले तालाब (जोहड) को पशु धन के लिये सुरक्षित रखेगी ?

सिंचाई मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास): (क) इस विभाग के अधीन इस नाम का कोई तालाब ही नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न संख्या १६०२

श्री उपाध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

स्थगित प्रश्न

श्री भैरोंसिंह।

उत्तरी रेलवे कोऑपरेटिव क्रैडिट सोसायटी लिमिटेड, जोधपुर का सरकारी कर्मचारियों पर ऋण

११५५. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:
(क) क्या यह सही है कि उत्तरी रेलवे कोऑपरेटिव क्रैडिट सोसायटी लिमिटेड, जोधपुर द्वारा दिया हुआ कर्ज (लोन) कई सरकारी मुलाजिमान में बकाया है ? यदि हां, तो किन किन में कितना कितना और कब से ? इसकी एक तालिका सदन की मेज़ पर रखने की कृपा करें।

(ख) क्या यह सही है कि सरकार ने कई मुलाज़मान की माहवारी तनख्वाह से इस कर्ज को चुकाने के लिये कटौती की थी ? यदि हां, तो किन किन की और कितनी ?

(ग) क्या यह सही है कि यह रकम सोसायटी को जमा नहीं कराई गई ? यदि हां, तो क्यों और यह रकम अब कहां है ?

(घ) सरकारी मुलाज़िमान से इस रकम का भुगतान करवाने के लिये सरकार अब क्या व्यवस्था कर रही है ?

उप-मन्त्री, सहकारी विभाग (श्री दौलतराम सारण) : (क) हां, सूची लगभग ३८१० सदस्यों की है जिसका प्रश्न के साथ संलग्न होना बहुत कठीन है। यह समिति के कार्यालय में देखी जा सकती है।

(ख) इस प्रश्न में यह स्पष्ट नहीं है कि कटौती किस वर्ष की चाहिये परन्तु दिनांक ३०।६।५७ तक जो वसूली हुई है कि वह ३८१० सदस्यों से १०५५७२१) रु० ८४ नये पैसे हैं।

(ग) जी हां, इस सम्बन्ध में रेल्वे शासन-कर्त्ता से पूछताछ की जा रही है।

(घ) बाकीदार सदस्यों की सूची ऋण व ब्याज सहित रेल्वे शासन-कर्त्ता के पास मासिक भेजने की व्यवस्था की गई है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिन मुलाज़मान की तनख्वाह काटी गई उनकी सूची सरकार के पास भी है ?

श्री दौलतराम सारण : सरकार के पास नहीं है, समिति के पास हो सकती है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि समिति ने सरकार के पास सूची भेजी और सरकार ने तनख्वाह काटने के आदेश दिये थे ?

श्री दौलतराम सारण : रेल्वे एड्मिनिस्ट्रेटर इसीलिये मुकर्रर किया गया था तो समिति उसी को भेजती।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि समिति के ऐसे भी सदस्य हैं जो राजस्थान सरकार के मुलाजिम हैं ?

श्री दौलतराम सारण : मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : जिन जिन मुलाज़मान की तनख्वाह की कटौती की गई, उनमें क्या यह मान लिया जाय कि रेल्वे मुलाज़मान ही हैं, सरकारी मुलाजमान नहीं हैं ?

मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता): आपने रेल्वे मुलाज़िमानों का पूछा है उसका उत्तर दिया गया है। और का नहीं पूछा है।

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न सरकारी मुलाज़िमानों के सम्बन्ध में है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपने पूछा है कि क्या यह सही है कि उत्तरी रेल्वे कोऑप-रेटिव क्रेडिट सोसायटी लि०, जोधपुर द्वारा दिया हुआ कर्ज़ (लोन) कई सरकारी मुलाज़िमान में बकाया है ?

श्री भैरोंसिंह : मैंने यह पूछा है कि सरकारी मुलज़िमानों में बकाया है। मैंने यह नहीं पूछा कि रेल्वे कर्मचारियों में बकाया है।

श्री दौलतराम सारण : यह समिति जोधपुर स्टेट के वक्त की बनी हुई है। इसमें कौन कौन सदस्य हैं उनके लिये मैंने कहा है कि ३८१० सदस्य हैं। उनकी सूची बहुत लम्बी है। आप अगर देखना चाहें तो डिपार्ट-मेंट में आपको दिखाई जा सकती है। इस समय मैं नहीं कह सकता।

श्री भैरोंसिंह : सन् ५७ में जो सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह से कटौती हुई उसमें रेल्वे कर्मचारियों के अलावा कोई राज्य सेवा का कोई नहीं था।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उनकी जो बकाया है उसमें से कटौती की गई है। किससे की गई यह कैसे बताया जा सकता है, आपने पूछा नहीं।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह नहीं पूछता कि किससे की गई या किससे नहीं की गई। मैं यह पूछता हूं कि सन् ५७ में जो कटौती की कई क्या उसमें सरकार के मुलाज़िम भी थे जिनकी कटौती के लिए सरकार ने आदेश दिये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : रेल्वे में वह रकम तो जमा है।

श्री भैरोंसिंह : मुझे इस बात का खेद है कि माननीय मंत्री महोदय को इस सम्बन्ध में जानकारी नहीं है। इस सोसाइटी में जोधपुर राज्य सरकार के समस्त मुलाज़िम सदस्य बने हैं और कोई भी बन सकता था अब यह कह कर की रेल्वे में कटौती हुई है और रेल्वे में जमा है साफ जाहिर होता है कि माननीय मन्त्री को इसकी जानकारी नहीं है। इसलिये या तो माननीय मन्त्री इसका उत्तर दे दें या उप-मन्त्री ही इसके सम्बन्ध में जवाब दें।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : मैंने आपको जो उत्तर दिया है जानकारी के आधार पर ही दिया है। वह रेल्वे में जमा है और कहीं नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : माननीय मंत्रीजी जो कह रहे हैं वे रुपये रेल्वे वालों के ही काटे गये हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : रेल्वे के मुला-ज़िमों के काटे हैं। सरकारी दूसरे मुलाज़िमानों

(श्री बद्री प्रसाद गुप्ता)

का प्रश्न ही नहीं है। आप बता दें। रेल्वे में जमा है। प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह पूछना चाहता हूं कि सरकारी मुलाज़िमों से कटौती हुई या नहीं। सरकारी मुलाज़िमानों की तनख्वाह से रुपयों की कटौती हुई या नहीं?

श्री उपाध्यक्ष : (उप-मंत्री को सम्बोधित करते हुए) आप जवाब दे दें।

श्री दौलतराम सारण : इन समितियों के कौन कौन सदस्य हैं इसके बारे में अभी नहीं कह सकता। उनके सदस्यों के पैसे काटे जाते हैं। रेल्वे कर्मचारियों के पैसे जमा हैं।

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न साफ है आया सरकारी मुलाजिमों से कटौती हुई या नहीं। राज्य सेवा से मेरा मतलब है।

श्री दौलतराम सारण : यह मैं आपको जानकारी करके बता सकता हूं।

श्री भैरोंसिंह : यह जानकारी इन्कम्प-लीट है। मैं यह निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न को कल ले लिया जाए। मेरा प्रश्न साफ है: क्या यह सही है कि उत्तरी रेल्वे कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लि०, जोधपुर द्वारा दिया हुआ कर्ज (लोन) कई सरकारी मुलाजमान में बकाया है? उन्होंने कहा कि बकाया है। लिस्ट लंबी है और सरकार कटौती के आदेश देती है।

श्री उपाध्यक्ष : I postpone it for tomorrow. Next Turn I mean.

नेक्स्ट टर्न।

प्रश्न संख्या १५७७

श्री लक्ष्मीचन्द।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १५७८

श्री दलपतसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १५८०

श्री शंकरलाल।

(अनुपस्थित)

(श्री मोहरसिंह ने प्रार्थना की कि इसका उत्तर दे दिया जाए)

लोहे के जी. सी. शीट्स का वितरण

१५८१. **श्री किशनाराम** (रतनगढ़ श्री मोहरसिंह (चूरू) द्वारा पूछा गया) : क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे: (१) क्या लोहे के जी. सी. शीट्स सरकारी कंट्रोल रेट से बांटे जाते हैं? अगर हां, तो किन अधिकारियों द्वारा?

(२) क्या यह सही है कि चूरू जिले की ग्रामीण आबादी दूसरे जिलों से अधिक होते हुए भी वहां लोहे की जी. सी. शीट्स कम दी जाती हैं? यदि नहीं, तो बीकानेर डिविजन के जिलों में किस अनुपात में यह शीट्स दी गई?

उप-मन्त्री, कृषि विभाग (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां। कृषि कोटे के लोहे (जी. सी. शीट्स) का वितरण जिला

Page No.22

(श्री दौलतराम सारण)

कृषि अधिकारियों द्वारा दिये गये पर्मिटों से होता है ।

(२) जी नहीं । कृषि लोहे कोटे का लोहा जिलों की कृषक जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है ।

(३) बार बार मांगें नहीं की किन्तु एक दो बार मांग आई थी, जिस पर उचित कार्यवाही की गई ।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १५८४

श्री रामचन्द्र ।

(अनुपस्थित)

तहसील दौसा में हुई चोरियां

१५८६. श्री रामधन (दौसा) : क्या गृह मन्त्री यह बतान की कृपा करेंगे :-(क) तहसील दौसा में सन् ५७ व ५८ में कितने रुपये के माल की चोरियां हुई और किन किन ग्रामों में ?

(ख) कितनी धनराशि की चोरियां कौन कौन से ग्राम की बरामद हुई ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) तहसील दौसा में सन् ५७ और ५८ में संलग्न विवरण पत्र में अंकित ग्रामों में से ३५२६४. ५८ न० पै० के मूल्य का माल चोरी गया ।

(ख) उक्त विवरण पत्र में अंकित ग्रामों की चोरियों का १२५०५.५७ न० पै० मूल्य का माल प्राप्त हुआ ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री रामधन : उनको माल कब मिलेगा ।

श्री रामकिशोर व्यास : उनको माल अदालत से मिलेगा ।

श्री रामधन : कितने चोर पकड़े गये ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो आपने पूछा नहीं ।

प्रश्न संख्या १५८८

श्री उपाध्यक्ष : श्री मंगलसिंह ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १५८९

श्री तेजपाल ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १५९२

श्री वीराराम ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १५९३

श्री शिवचरणदास ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १५९७

श्री सहदेव ।

एक माननीय सदस्य : इसका जवाब दिया जावे।

पॉवर हाउसेज की शक्ति की जांच के लिये कमेटी।

१५६७. श्री सहदेव (आमेर एक माननीय सदस्य द्वारा पूछा गया) : Will the Power Minister be pleased to state:—

(a) Is it fact that one Member Committee was formed by the Government of Rajasthan before the formation of the Rajasthan State Electricity Board to examine the strength of different Power Houses in Rajasthan ? If so, who was that Member ?

(b) What were the recommendations of the Committee and what happened to that report ?

उपमंत्री, विद्युत विभाग (श्री भीखाभाई) : (a) No such Committee was appointed. In connection with the demands of the workers of the Electrical, Mechanical and Water works Deptt. an Officer on Special Duty was entrusted with the task of examining the question of strength of the various Power Houses in Rajasthan with a view to rationalising the strength at these units.

(b) Before the officer on Special duty could finalise his report the Rajasthan State Electricity Board was formed and as such the matter came within the purview of the Board.

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सीटी) रिपोर्ट में क्या क्या बातें दी हैं बतावें।

श्री भीखाभाई : अभी रिपोर्ट फाइनेलाइज़ नहीं हुई कि उसके पहले ही ऑफिसर का रिटायरमेंट हो गया।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

हायर सेकेन्डरी स्कूल, समदड़ी में टाइप राइटर तथा फर्नीचर का अभाव

१५६६. श्री अनोपसिंह (बालोतरा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि ज़िला बाड़मेर के समदड़ी ग्राम की हायर सेकेन्डरी स्कूल में कॉमर्स की कक्षायें खोलदी गई, पर वहां पर अभी तक टाइप करने की मशीनें नहीं हैं ?

(ख) यदि हां, तो इस विषय की परीक्षा किसी तरह ली जायगी ?

(ग) क्या सरकार अगले सेशन तक टाइप मशीनों का इन्तज़ाम कर सकेगी ?

(घ) क्या यह भी सही है कि समदड़ी स्कूल में फर्नीचर की भी नितान्त कमी है ? यदि हां, तो अभी तक फर्नीचर पूरा न करने की ज़िम्मेवारी किसकी है और फर्नीचर पूरा क्यों नहीं किया गया ?

मुख्य एवं शिक्षा मन्त्री (श्रीमोहनलाल सुखाड़िया) :

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

(१) जी नहीं । कॉमर्स कक्षायें नहीं खुली हैं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) यह स्कूल इसी वर्ष हायर सैकेन्डरी स्कूल बना है यहां पर जो भी कमी होगी, जल्दी ही पूरी करने का प्रयत्न किया जावेगा।

श्री अनोपसिंह : वहां पर कॉमर्स क्लॉसेज़ लास्ट ईयर खोल दी गई हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मेरे पास इसकी जानकारी है उसके अनुसार वहां पर कक्षा नहीं खोली गई।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर पूर्व) : वहां पर कॉमर्स के टीचर्स गये हैं और लड़कों को भर्ती किया गया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : लड़के भर्ती नहीं किये गये।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : लड़के भर्ती किये गये या नहीं, यह दूसरी बात है। कॉमर्स क्लॉसेज़ खोली हैं या नहीं ? गवर्नमेंट के ऑर्डर हुए हैं या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मेरा उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है। अगर वहां पर कोई टीचर बी. कॉम. या एम. कॉम गया हो तो जा सकते हैं। इससे यह मतलब नहीं कि वहां पर कॉमर्स क्लॉसेज़ खोली गई है। इससे मुगालता हो सकता है। इसके अलावा आम तौर से पहले पहल हम ज्यादा विषय नहीं रखते हैं।

श्री अनोपसिंह : क्या यह सही है कि फर्नीचर के लिए जो पहले साल बजट था वह लैप्स हो गया और फर्नीचर नहीं आ सका ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने यह निवेदन किया कि पिछले साल का लैप्स हुआ या नहीं यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा हो तो इस प्रश्न को पूछ लिया जावे।

जोधपुर डिविज़न में खानें।

१६०२. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाज़ार जयपुर–श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) द्वारा पूछा गया) : क्या मन्त्री खनिज़ विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या यह सही है कि जोधपुर डिविज़न में अनेक महत्वपूर्ण खानें जैसे कि बुलफ्राम डेगाना में, बेन्टोनाइट, फुलर्स, तथा अन्य संगमरमरी खानें बहुत वर्षों से बेकार पड़ी हैं और उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया ?

(२) जोधपुर डिविज़न में वर्तमान में किस किस वस्तु की खानें कहां कहां पर हैं ?

उप-मन्त्री, खनिज विभाग (श्री रिखबचन्द धारीवाल) :

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

(१) जी नहीं।

(२) जोधपुर डिविज़न के खानिजों की लिस्ट बहुत लम्बी है। मुख्य २ खनिज निम्नलिखित हैं:—

जिप्सम : उतरलाइ, कवास बदवासी, नागौर।

संगमरमर : मकराना, रोपी।

फुलर्सअर्थ : कपूर्दी।

बेन्टोनाइट : हाथी की धानी।

बुलफ्राम : डेगाना।

चुनें का पत्थर : आबू रोड़, सिरोही, गोटन, सोजत, मंडवा।

बलुआ पत्थर : फिदूसर, मंडोर।

श्री भैरोंसिंह : बुलफ्रार्म की खान कब से बन्द है और क्यों?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : वह इकोनोमिक बैठती नहीं है। फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया को लिखा गया है कि इसका प्रोस्पेक्टिंग करके इसके बारे में बताये, बातचीत चल रही है और उसके बाद ही कहा जा सकता है कि चलाने से फायदा होगा या नहीं।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ने इसको लीज़ पर देने का प्रबन्ध किया था जिससे मालूम हो कि यह इकोनोमिक नहीं है?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : लीज़ पर देने का सवाल नहीं है। बुलफ्रार्म ऐसी चीज़ है जो रेयर है, स्ट्रेटेजिक है।

श्री भैरोंसिंह : सरकार, यह इकोनोमिक नहीं है, यह किस आधार पर नतीजे पर पहुंची?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इसलिए कहता हूँ कि पहले इन्टरनेशनल मार्केट में वेल्यू २५ हज़ार ३० हज़ार थी किन्तु आज ३ हज़ार ही है। वार के बन्द होने के बाद इतनी प्राइसेज़ गिर गई इसलिए इकोनोमिक नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या इकोनोमिक और अनइकोनोमिक होने के सुझाव, गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया को सुझाये गये थे?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : भारत सरकार से बातचीत चल रही है कि कितना इसमें बुलफ्रोर्म है और इसके बारे में प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होकर आये तब फिर सोचा जा सकता है कि खनिज को निकाला जाय या नहीं।

श्री भैरोंसिंह : आपने अभी यह कहा था कि इकोनोमिक नहीं है और अब आप कहते हैं कि रिपोर्ट तैयार की जा रही है कि निकाला जाय या नहीं इन दोनों बातों में डिफरेन्स क्यों है?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : अनइकोनोमिक होना इस दृष्टिकोण से कहा कि कहा किजोधपुर स्टेट में एसक्ट्रेशन होता था उसी तरीके से किया जावे तो यह इकोनोमिक मालूम नहीं होती है और इन्टिरनेशनल मार्केट में इसकी प्राइसेज़ भी डाउन हो

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

गई है । इन्डियन ब्योरा ऑफ माइन्स को फिर कहा गया है कि इसकी फिर जांच कर ले । जांच होने से पता लग जायगा कि कितना डिपोजिट है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जोधपुर स्टेट के अलावा राज्य सरकार ने कभी एक्स्ट्रेक्ट नहीं किया ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : यह स्पष्ट कर दिया गया कि इसकी प्राइसेज फाल हो गई । अब सवाल यह है कि यदि इसमें अधिक डिपोजिट्स हो तो ज्यादा खर्चा करके भी इसको चलाया जाय । खुद हम सतर्क हैं । इन्डियन ब्यूरो ऑफ माइन्स के ऑफिसर्स भी स्पोट पर आकर देख चुके हैं । फरदर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है । सदन भी इस पर विचार कर सकता है कि तीन हज़ार और तीस हज़ार का बहुत बड़ा वेरियेशन है । यदि डिपार्टमेंट इसको चालू करे तो यह तो पता लगाना ही चाहिये कि इसमें इतने डिपोजिट्स हैं ताकि उस पर मशीनरी आदि का खर्चा किया जा सके । यह डिपोजिट्स पार्ट्स में मिलता है, वेन में नहीं मिलता । यह हाइली टैक्निकल चीज़ है ।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या यह माना जाय कि ८ वर्ष में भी राज्य सरकार यह मालूम नहीं कर सकी कि डिपोजिट्स मिलने वाले हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया कि मैंने खुद ने जाकर इसको देखा है ।

श्री भैरोंसिंह : आप टैक्निकल एक्सपर्ट तो नहीं है कि आपको मालूम हो ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैं तो नहीं हूं लेकिन मेरे से भी आप कम टैक्निकल हैं ।

श्री भैरोंसिंह : आप तो नहीं हैं ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जानकारी का सवाल जहां तक है वह यह है कि यह खान इतनी डीप चली गई है कि पानी बह कर अर्थ में आ जाता है । वहां की जानकारी से ऐसा साफ मालूम होता है कि पहले जिस प्रकार इसको एक्स्ट्रेक्ट करते थे वह अब मुमकिन नहीं है । अभी मुख्य मन्त्री महोदय ने भी बताया कि सारा का सारा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और उसके बाद ही पता लगेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

(विराम)

६. ४. म० पू०

बीकानेर पावर हाउस की वर्तमान स्थिति सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव

श्री मुरलीधर व्यास ने बीकानेर पॉवर हाउस की वर्तमान स्थिति से सम्बन्धित एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

इस विषय पर पहिले भी स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई थी किन्तु इस सम्बन्ध में इस वर्ष के बजट पर वाद–विवाद करते समय तथा दिनांक ११ मार्च, १९५९ को पूछे गये प्रश्न के उत्तर में सदन में चर्चा हो

Page No.27

(श्री उपाध्यक्ष)

जाने के कारण उन्हें प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी गई थी।

चूंकि इसी मामले पर पुनः स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी गई है अतः उसे सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूं।

इस सम्बन्ध में मैं यह सूचित कर दूं कि स्थिति के स्पष्टीकरण हेतु माननीय गृह मन्त्री द्वारा एक वक्तव्य आज दिया जायगा।

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : राजस्थान बनने के समय बीकानेर पॉवर हाउस की कार्यक्षमता इस प्रकार थी :

(१) २×१००० के० डब्ल्यू टर्बाइन एल्टरनेटर सेट्स १६२६

(२) १×२००० के० डब्ल्यू टर्बाइन एल्टरनेटर सेट्स १६३५

इस प्रकार विलीनीकरण के समय इस पॉवर हाउस की कुल मिलाकर ४००० के० डब्ल्यू क्षमता थी। बोयलर भी सीमित शक्ति वाले थे। इनकी क्षमता २×३००० पौण्ड्स आवर्स थी। इस पॉवर हाउस से बीकानेर शहर को व बीकानेर व चूरू जिलों को विद्युत सप्लाई की जाती रही है। बीकानेर शहर को छोड़कर इस पॉवर हाउस की ट्रान्समिशन लाइन्स करीब २३० मील लम्बी है। विलीनीकरण के समय बीकानेर के खास खास कुओं पर उचित जल व्यवस्था कायम रखने के लिए तीन ६० के० डब्ल्यू० वाले डीज़ल सेट्स खरीदे गये।

राजस्थान बनने के बाद बीकानेर की विद्युत व्यवस्था में सुधार करने का प्रयास किया गया और निम्नलिखित प्लान्ट्स व इक्वीप्मेन्ट्स वहां लगाये गये।

(१) १×३००० Twebo alternater Sets १६४६.५१

(२) १×२५०० Twebo alternator Sets १६५३

(३) १×२५० Diesel Set १६४६

(४) १×३५० " १६४६

(५) २×१३००० Boilers १६५२.५३

(५) १×७५० Transformer (रतनगढ़ में)

एक १००० के० डब्ल्यू का और ३ सेट ६० के० डब्ल्यू वाले यहां से स्थानान्तर किये गये। इस प्रकार इस स्टेशन की क्षमता ४००० के० डब्ल्यू से बढ़ कर ६१०० (नौ हज़ार एक सौ) के० डब्ल्यू हो गई।

चूंकि बीकानेर को भाखरा से बिजली मिलने को थी अतः उस समय इस स्टेशन को इससे अधिक और बढ़ाना जरूरी न समझा गया। पिछले वर्ष ३००० के० डब्ल्यू टर्बाइन के stator में puncture हो गया। इस सेट के कुछ समय के लिए बेकार होजाने से बीकानेर की विद्युत व्यवस्था भरोसे वाली नहीं रही। २००० के० डब्ल्यू वाला टर्बाइन अब प्रायः भुगत चुका है। २५०० के० डब्ल्यू वाला टर्बाइन भी वहां कुछ खराब हो गया है। ३००० के० डब्ल्यू वाले टर्बाइन के stator के reweilding

Page No.28

(श्री रामकिशोर व्यास)

का ऑर्डर दे दिया गया था जो पूरा होकर इस माह के पहले हफ्ते में सेट को टैस्ट के लिए चलाया गया। इस परीक्षण का यह परिणाम निकला कि सेट बहुत जल्दी गर्म हो गया और इसको बिना फिर से पूरी तरह देखे चालू करना खतरे से खाली नहीं है। अतः सेन्ट्रल वाटर एण्ड पॉवर कमीशन के विशेषज्ञ व बोर्ड के इन्जीनियर्स बीकानेर भेजे गये हैं और सेट की देखभाल चालू है। सेन्ट्रल वाटर एण्ड पॉवर कमीशन की राय से अब दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के विशेषज्ञ श्री ए० डी० मुकर्जी को इस सेट को दिखाने का निश्चय किया गया है।

दुर्भाग्य से इन्हीं दिनों २५०० के० डबल्यू० टर्बाइन का स्टोप वाल्व तड़क गया। इस सेट के बन्द हो जाने से स्थिति कुछ गम्भीर हो गई फिर भी यथा सम्भव आवश्यकीय सप्लाई चालू रखी गई। इस सेट के वाल्व को बदल दिया गया है और अब यह सेट १००० के० डबल्यू० लोड ले रहा है।

ऐसी आशा की जाती थी कि ३००० के० डबल्यू० का सेट ग्रीष्मकाल के पहले ही ठीक हो जावेगा परन्तु दुर्भाग्यवश इसमें देरी हुई। इस कारण बोर्ड ने बीकानेर शहर के चार खास खास कुओं पर प्रत्येक १०० के० डबल्यू० वाले सेट रतनगढ़ में दो डेढ़ डेढ़ सौ किलोवाट वाले सेट लगाने का निश्चय किया। इनमें से बीकानेर शहर के तीन सेटस चालू हो गये हैं व रतनगढ़ के दो सेट्स व बीकानेर का चौथा सेट इस हफ्ते में चालू होने वाले हैं। पलाना कोलियारीज़ की मांग को पूरा करने के लिए पलाना में ५० के० डबल्यू० का सेट लगा कर चालू कर दिया गया है। इसके अलावा गये साल तीन डीज़ल सेट्स ४२४ के० डबल्यू० के बोर्ड ने नये लगाये जो ठीक काम कर रहे हैं।

ऊपर लिखे प्रकार से इस इलाके में बिजली सप्लाई चालू है परन्तु सेट्स पर अधिक लोड न पड़े, इसका विवरण व्यवस्थानुसार किया जाता है। इस सब कार्य से इस इलाके में जल कष्ट नहीं होना चाहिए फिर भी विद्युत मण्डल इस ओर पूर्ण रूप से जागरूक है तथा बिजली सप्लाई को अधिक विकसित रूप देने के लिए सचेष्ट किया कर रहा है तथा यह आशा की जा सकती है कि विद्युत वितरण शीघ्र ही अधिक स्थिर हो जावेगी।

श्री मुरलीधर व्यास : उपाध्यक्ष, महोदय, मैं इस सम्बन्ध में कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं जैसा कि माननीय गृह मंत्री ने अभी कहा....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कुछ परम्पराओं का भी हमें ध्यान रखना चाहिये जब कि इस प्रकार के वक्तव्य हाउस में हो जाते हैं उसके बाद उस पर किसी प्रकार का वाद-विवाद नहीं होता।

श्री उपाध्यक्ष : No point of clarification. The Hon'ble member please, nothing on or about the statement made by the Hon'ble Minister. I take another motion.

श्री मुरलीधर व्यास : जो बात समझ में नहीं आयी उसका तो स्पष्टीकरण करवाया जा सकता है जैसा कि माननीय

(श्री मुरलीधर व्यास)

मंत्री महोदय ने फरमाया कि १०० किलोवाट...

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order ! There is no provision in the Rules, How can I allow ?

श्री मुरलीधर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, जब तक स्थगन प्रस्ताव, जिस सम्बन्ध में रखा गया है उसका विवरण पूरी तरह समझ में नहीं आता है तो उसकी सफाई हो नहीं सकती ! इसीलिये मैं चाहता हूँ, जैसा कि आपने कहा तीन कुंओं पर १०० किलोवाट के इन्जन फिट कर दिये गये हैं, इससे क्या कमी पूरी हो जायगी जब कि चार हज़ार किलोवाट पॉवर की आवश्यकता है। आखिर ग्रीष्म ऋतु है और जल का अभाव है इसलिये कम से कम सन्तोष जनक जवाब तो मिलना चाहिये। पानी की कमी के बारे में स्थगन प्रस्ताव था तो आपको बताना चाहिये कि इस प्रकार से यह कमी पूरी हो जायगी।

श्री उपाध्यक्ष : I have disallowed the point of clarification or explanation, I therefore take another adjournment motion.

श्री मुरलीधर व्यास : तो उपाध्यक्ष महोदय, जब तक स्थगन प्रस्ताव का कलेरिफिकेशन नहीं होता तब तक हमारे स्थगन प्रस्ताव को रखने का कोई मकसद हासिल नहीं हो सकता...

श्री उपाध्यक्ष : I may place before you Rule 241 :

" A statement may be made by a Minister on a matter of public importance with the consent of Speaker but no question shall be asked at the time the statement is made.

श्री मुरलीधर व्यास : मैं क्वश्चन नहीं पूछ रहा हूं। जो बात समझ में नहीं आयी उसके बारे में पूछ रहा हूँ। ऐसी परम्परा रही है....

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि स्थिति को साफ कर कर दिया गया है उससे आगे जा नहीं सकते। दूसरा स्थगन प्रस्ताव....

श्री मोहरसिंह ('चूरू) : माननीय उपाध्यक्ष, माननीय मंत्री महोदय ने तो सिर्फ पुराना इतिहास बताया है जो कमी है उसकी पूर्ति के लिये क्या किया जा रहा है यह नहीं बताया।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : जो वक्तव्य जिस सम्बन्ध में चाहा गया था उस सम्बन्धी वक्तव्य नहीं दिया, गया खाली पिछला इतिहास बताया गया है।

श्री मुरलीधर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी जो शंकायें हैं उसका स्पष्टीकरण करना चाहिये कि कानूनी दृष्टिकोण से मैं सही हूं, ताकि हम लोगों को मालूम तो पड़े कि आप क्या कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष: Order please. Order. Another adjournment motion.

६.१३, म० पू०

सार्वजनिक निर्माण विभाग के दो निष्पादन अभियन्ताओं के आचरण सम्बन्धी

स्थगन प्रस्ताव

श्री मुरलीधर व्यास ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के दो निष्पादन अभियन्ताओं, श्री दुर्गाप्रसाद तथा श्री हरिदत्त के आचरण से सम्बन्धित एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। उक्त सूचना में यह भी बताया गया है कि उपरोक्त दो निष्पादन अभियन्ताओं द्वारा श्रीमती ललिताकुमारी नामक महिला के साथ बलात्कार किया गया है और महिला ने दिनांक ८ मई, १९५९ को सदर थाने में उसकी रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है। चूंकि उक्त रिपोर्ट की सत्यता का मामला सब-जुडिस है एवं यह प्रश्न उनके व्यक्तिगत आचरण से सम्बन्ध रखता है, अत: मैं उसको सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूँ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सीटी) : उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरे स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की इजाज़त नहीं देते यह ठीक है, किन्तु मेरे प्रस्ताव रखने का जो दृष्टिकोण था वह यह था कि सरकारी अधिकारी वर्ग और वरिष्ट अधिकारी वर्ग के चरित्र से सम्बन्ध रखता है इसका असर सारे राज्य के कर्मचारियों पर पड़ता है। वरिष्ठ कर्मचारियों के चरित्र और उनके आचरण से सम्बन्ध रखता है हालांकि यह मामला सब-जुडिस है किन्तु इतना अवश्य जानना चाहूंगा कि वास्तव में इस प्रकार की घटना घटी है या इस सम्बन्ध में क्या बात है। इस बारे में राज्य सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिये। क्योंकि यह सरकारी अधिकारियों से सम्बन्धित मामला है और इसका असर सारी जनता पर पड़ता है। मैने इसी दृष्टिकोण से यह प्रस्ताव उठाया था। आप सब-जुडिस के मामले को अलग रख दीजिये वरिष्ठ अधिकारियों के सम्बन्ध में जो इस प्रकार की घटना प्रकाश में आयी है वह घटना वास्तव में हुई भी है या नहीं कि अधिकारियों ने शराब पीकर उस महिला के साथ बलात्कार किया।

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज़, यह तो रिपोर्ट में दर्ज है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस किसी भी स्थगन प्रस्ताव को माननीय अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अस्वीकृति कर देते हैं तो मेरी ऐसी जानकारी है कि वे स्थगन प्रस्ताव पढ़े तक नहीं जाते। हमारे यहां पढ़े जाने की बात है तो उसके साथ साथ वाद-विवाद भी शुरू हो जाता है। जिस स्थगन प्रस्ताव को डिसअलाउ किया जाता है वह सदन के सामने पढ़ा तक नहीं जाता और न उस विषय में चर्चा होती है। यह बातें डिसअलाउ किये गये स्थगन प्रस्तावों के बारे में कतई उचित नहीं है। वह केस सबजुडिस है यह घटना निर्विवाद है कि यह सही है। तो फिर एक्शन होना चाहिये इसलिये यह सबजुडिस है सारी बातों पर विचार होना बाकी है और न्यायाधीश का फैसला होना है। अत: इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा जाना चाहिये।

श्री मुरलीधर व्यास : जो मामला

Page No.31

(श्री मुरलीधर व्यास)

सब-जुडिस है उसके लिये मैं कुछ नहीं कहता लेकिन जो बातें रिपोर्ट में दर्ज है....

श्री उपाध्यक्ष : I don't allow any further discussion which has been disallowed.

श्री मुरलीधर व्यास : सब-जुडिस का कोई मामला है तो वह दूसरी बातों से संबन्धित है। मेरा तो सवाल सिर्फ संबन्धित अधिकारियों के आचरण से है।

श्री उपाध्यक्ष : सारा ही विषय सब-जुडिस है।

६. १७ म० पू०

विधायी कार्य

राजस्थान लैन्ड रिफोर्म्स एन्ड रिजम्प्शन ऑफ जागीर्स (ग्यारहवां संशोधन विधेयक, १६५६

(विचार-विमर्श एवं पारण)

क्लॉज २

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): क्लॉज़ टू ऑफ दी राजस्थान लैन्ड रिफोर्म्स एन्ड रिजम्प्शन ऑफ जागीर्स (ग्यारहवां संशोधन) विधेयक, १६५६।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझको इस पर कुछ निवेदन करना है जिस रिपोर्ट के बेसिस पर राजस्थान लैन्ड रिफोर्म्स बिल इन्ट्रोड्यूस किया गया है वह रिपोर्ट मुझे सुबह ही मिली है। अब मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन इस बिल में क्या हो सकता है जब कि मैंने रिपोर्ट को देखा तक नहीं मैं इसके बाद विवाद में क्या भाग ले सकता हूं। जिस समय बिल कन्सीडरेशन के लिये प्रस्तुत किया गया था उसी के साथ ही हमें रिपोर्ट भी मिलनी चाहिये थी। मैं समझता हूं आज इस पर विचार करना, यह माननीय सदस्यों के साथ इन्जस्टिस होगा।

श्री मोहरसिंह (चूरू) : कई एक माननीय सदस्यों को तो रिपोर्ट तक नहीं मिली।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सीटी): यह प्रश्न ऐसा है कि जब तक हम इस रिपोर्ट को पढ़ नहीं लेते, इस बारे में जानकारी नहीं कर लेते किसी प्रकार का संशोधन प्रस्तावित नहीं कर सकते। अतः हमारी प्रार्थना है कि आप इस पर विचार स्थगित किया जाय।

श्री मोहरसिंह : यह बड़ा महत्वपूर्ण बिल है।

श्री उपाध्यक्ष : एक माननीय सदस्य के प्रश्न के रखने पर ही मैंने यह समझ लिया How would the Hon'ble member in charge of the Bill clarifies the position ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने एतराज किया कि रिपोर्ट आज सर्क्युलेट हुई है इसलिये हमें इस पर सोच विचार करने का समय नहीं मिला। मेरी जहां तक जानकारी है कल रात को यह सर्क्युलेट हो गई थी। फिर भी मेरा निवेदन

(श्री दामोदरलाल व्यास)

है कि बिल के अन्दर जो प्रोविज़न्स है वह बहुत क्लीअर है उस रिपोर्ट के किसी क्लेरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। छोटे जागीरदारों के लिये रिहेबीलिटीशन ग्रान्ट बढ़ायी गई है जिसका इस रिपोर्ट से कोई सम्बन्ध नहीं है। २२ ए में अमेन्डमेन्ट किया उससे इस रिपोर्ट का सम्बन्ध नहीं है। अगर इस पर हाउस समय चाहता है तो बिजनैस ट्रान्जेक्ट हो जाय। इस सदन के खत्म होने के पहले इसको पास किया जाय। मैं इन्सिस्ट नहीं करूंगा कि इसे आज ही पास किया जाय, लेकिन इस बात को ज़रूर एडजस्ट कर लिया जाय कि इस सेशन के खत्म होने से पहले इसका पास करना ज़रूरी है।

श्री मोहरसिंह : इसको १८ तारीख को रख दें।

श्री दामोदरलाल व्यास : १८ को ले लिया जाय फिर यह नहीं होगा कि इसके साथ जो एक दूसरा बिल इलेक्ट्रिकल अन्डर-टेकिंग का है वह भी सिलेक्ट कमेटी को भेजा जायगा। इसको एडजस्ट कर लिया जाय, इनको १८ तारीख को पास करना होगा। फिर मुझे कोई एतराज नहीं इसे आज रखें या आगे रखें।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने फरमाया उससे तो मैं कुछ ऐसा समझ पाया हूं कि शायद इस बिल पर विचार करना स्थगित किया जायगा। उन्होंने जैसा कहा दो नये बिल वेट्स एन्ड मेजर्स और इलेक्ट्रिकल अन्डर-टेकिंग्ज़ का बिल है उसका इसके बाद विचारार्थ ले लिया जाय....

मैं इस सम्बन्ध में निवेदन कर दूं कि इस सम्बन्ध में निर्णय लेने के वक्त यह ध्यान में रक्खा जावे। कल अध्यक्ष महोदय, के सामने निश्चित हुआ था कि १८ तारीख को जागीर रिज़म्पशन का यह बिल और डिसेन्ट्रे-लाइजेशन का नया बिल, इसके अलावा और नया बिनैजस नहीं लिया जावेगा। इसके बाद में जो नया बिल लाने की बात हुई है उसको ध्यान में रखकर स्थगित किया जावे। वे दोनों बिल आज विचारार्थ नहीं लिये जा सकेंगे।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : नोटिस और मेम्बर को बिल सर्क्यूलर कर दिया जावेगा। I have been given this report only this morning.

श्री भैरोंसिंह : You can see the statement of objects and reasons you can easily go through it and discuss it.

श्री श्रीभानसिंह : So you mean that the Hon'ble members should have been...

श्री उपाध्यक्ष : Then I take the sense of the House on the point raised by Shri Shribhan Singh.

श्री अनोपसिंह (बालोतरा) : मैं यह अर्ज करूंगा यह दो पेज़ का बिल है। नेहरु अवार्ड....

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय

Page No.33

(श्री दामोदरलाल व्यास)

उपाध्यक्ष महोदय, जनरल डिस्कशन के लिये रिपोर्ट को काम में ला सकते थे। पर क्लॉज़ बाई क्लॉज़ में वे रिपोर्ट से क्या फायदा उठाना चाहते हैं ? यह समझ में नहीं आता। थर्ड रीडिंग और फर्स्ट रीडिंग के वक्त इस पर डिस्कशन कर सकते थे। पर क्लॉज़ तो बिलकुल इन्डिपेन्डेन्ट है। इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिये। इसके अलावा दूसरे क्लॉज़ हैं वे, रिपार्ट से डिस्कशन नहीं होने वाले हैं। थर्ड रीडिंग पर इससे उपयोग कर सकते हैं। इसको एडजोर्न करने में यूजफुल पर्पज सर्व नहीं हो सकता।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : जब तक रिपोर्ट वगैरह पहले से नहीं देख लेते हैं तब तक क्लॉज बाई क्लॉज डिस्कशन भी नहीं समझ सकते। आप तो जानकार हैं, सब जानकारी आपको पहले से है इसलिये कह सकते हैं। पर जहां तक हम लोगों का सवाल है जब तक उनको देखकर जानकारी न कर लें, तबतक क्लॉज़ पर भी क्या बोल सकेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह बहुत क्लीयर है।

श्री मुरलीधर व्यास : आप तो सब चीजें देख चुके हैं पर दूसरों को भी तो जानकारी होनी चाहिये तब ही वह उनके लिये क्लीयर होगा।

श्री उपाध्यक्ष : I close the discussion and take the sense of the House. क्या सदन की यह सम्मति है कि इसके क्लॉज़ बाई क्लॉज़ कन्सीडरेशन को स्थगित किया जावे ?

'ना' पक्ष जीता 'ना' पक्ष जीता।

श्री श्रीभानसिंह : मोशन किस का है साहब जिससे सैंस ली गई है। माननीय मन्त्री महोदय ने पहले कहा कि स्थगित कर दिया जावे, उनको कोई आपत्ति नहीं है। फिर दुबारा कर दिया कि ले लिया जावे। तो यह किस के मोशन पर वोट हुआ है ?

श्री उपाध्यक्ष : We now proceed with the consideration of the Bill clause by clause.

श्री श्रीभानसिंह : मैं यह मानकर चलूं कि जो आर्गुमेन्ट्स दिये हैं, माननीय मन्त्री महोदय ने उसके अनुसार थर्ड रीडिंग आज नहीं होगा जैसा उन्होंने कहा कि थर्ड और फर्स्ट रीडिंग पर इसका उपयोग हो सकेगा।

श्री उपाध्यक्ष : I will give proper consideration when the stage comes up before me.

श्री श्रीभानसिंह : The report has been circulated late...

श्री मुरलीधर व्यास : जब हम निवेदन कर रहे हैं कि इस सम्बन्ध में जब तक सारे सदस्यों को पूरी जानकारी, जो वे चाह रहे हैं इसके सम्बन्ध में, वह नहीं मिल जाती है तब तक इस पर विचार करना उचित नहीं रहेगा और मन्त्री महोदय ने भी निर्णय दिया....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि हाउस की सम्मति लेली गई है इस मुद्दे पर। अब प्रश्न कहां रहता है इस सम्बन्ध में।

श्री मुरलीधर व्यास : जब इसके बारे

(श्री मुरलीधर व्यास)

में पहले व्यवस्था दी गई। आखिर बहस किस पर करें। हमारे लिये इसका मूल्य काफी है, पांच करोड़ की रकम दी जा रही है। कोई छोटा मामला नहीं है। उसके पीछे आन्दोलन का एक इतिहास है। तो इसलिये जब तक सारी बातों को नहीं समझें तब तक क्या बहस करें।

श्री उपाध्यक्ष : Order. Order Please.

श्री मुरलीधर व्यास : इसको इस प्रकार लिया जाता है तो व्यवस्था करने के दृष्टिकोण से ऐसा समझता हूं कि इसके बारे में तो वाक आउट करना ज्यादा ठीक है। मैटीरियल मिलने से पहले इस पर किसी प्रकार से बहस नहीं कर सकते।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : इस रिपोर्ट को पढ़ने को कम से कम अवसर देना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : Order, Order Please.

श्री गिरधारीलाल: पढ़ने का हमें मौका देना चाहिये।

श्री मोहरसिंह (चूरू) : पढ़े बगैर आगे नहीं बढ़ सकते।

श्री उपाध्यक्ष : Shri Mohar Singh, please resume your seat.

श्री गिरधारीलाल : थर्ड रीडिंग आज नहीं लिया जावे। तो क्या मैं आशा रखूं....

श्री उपाध्यक्ष : I have assured the Hon'ble members that I will give proper consideration to it.

श्री गिरधारीलाल : इससे तो अच्छा है हम वाक आउट कर जावें।

श्री उपाध्यक्ष : वाक आउट आप करें या नहीं करें। यह आपका प्रश्न है। इससे सदन का कोई सम्बन्ध नहीं है।

(प्रातः ६ बजकर २८ मिनिट पर श्री मुरलीधर व्यास और गिरधारीलाल ने वाक आउट किया।)

श्री उपाध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान लैंड रिफॉर्म्स और रिज़म्प्शन ऑफ जागीर्स (ग्यारहवां संशोधन) विधेयक, १६५६ में मेरा अमेन्डमेन्ट है कि "The words 'or' appearing between the words 'so resumed' and 'pertaining to the' be substituted by the word 'and'.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज का यह सैशन शीतकाल से शुरू होकर अब ग्रीष्मकाल में समाप्त होने जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : यह भी कौन कहता है?

रावराजा श्री सरदारसिंह: इस सैशन में जो बड़े महत्वपूर्ण बिल पास हुए, उसका श्रेय हमारे राजस्व मन्त्रीजी को....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री) : आपका मकान तो यहीं है। आपको कोई आपत्ति थोड़े है?

Page No.35

रावराजा श्री सरदारसिंह : और जो पहले भी पांच वर्ष में ऐसे बिल पास हुए, लेकिन इनके समय में जो बड़े बड़े महत्वपूर्ण बिल इनके हाथों से पास हुए हैं, होने जा रहे हैं और होंगे इसके लिये वे सराहनीय हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बार यह देखने में आया है कि सभी हमारे माननीय मिनिस्टरों से हमारे राजस्व मन्त्री साहब की एक्टिविटी सबसे ही....

श्री उपाध्यक्ष : आप तो प्रश्न पर ही चलें। सराहनीय कौन रहे कौन नहीं, इससे हमारा सम्बन्ध नहीं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : उनको इसके लिये इससे भी ज्यादा ऊंचा पद मिलने वाला है तो यह बड़ी अच्छी बात होगी।

(हंसी)

मेरा सिम्पल सा अमेन्डमेन्ट है। अव्वल तो २८ वीं क्लॉज़ जो रक्खी है उसकी आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि जब जागीरें रिज्यूम हो गई और सारे कागज़ात वगैरह उसके सम्भला दिये गये, अब जो शेष कागज़ात हैं वे भी उनको वैसे ही मिल जावेंगे क्योंकि उनके बिना तहसील में उनके क्लेम वैरीफाई नहीं करेंगे। वहां से वे कागज चल कर डिप्टी कलेक्टर जागीर के पास जाते हैं, उनमें कमी होती है तो और मांगते हैं, वहां से जागीर कमिश्नर के यहां आते हैं और वे कागज़ात भी जागीर कमिश्नर के यहां ताले में रखवा लिये जाते हैं। आज कल भी वहां इतने कागज़ात हैं कि उनको दीमक खाने लगी है। अब जो कागज़ात कलेक्टर के यहां हैंड ओवर करने का प्रोविज़न रक्खा है, मेरी समझ में नहीं आता है कि इसमें जो सजा रक्खी गई है उसका क्या मतलब है! अब जागीरदारों के यहां जो हिसाब होता है खरड़े खाते होते हैं उनमें सबसे बड़ी डिफिकल्टी यह होती है कि उनमें एक जमा खर्च का खरड़ा होता है उसी में सब कुछ, उनके घर बार के भी खर्चे का, जमा खर्च होता है, विवाह शादी का खर्चा भी उसी में लिखा होता है। बहन बेटी को दिया गया खर्चा खाता भी उसी में होता है। जो रकम आती है उसको जमा की तरफ लिख लेते हैं और जो खर्चा होता है वह नाम की तरफ लिख देते हैं और इसी बही खाते के आधार पर दरख्वास्तों को वेरीफाई कराने के बाद उनका क्लेम फाइनल होता है। मेरी समझ में नहीं आता कि जब तक उनके कागज़ जमा नहीं कराये जावे तब तक उनको कितनी सजा दी जावे कि उनका १५ पर्सेन्ट मुआवजे में से काट लिया जावे, का फैसला नहीं हो सकता।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि यह जो अवार्ड श्री नेहरू ने दिया है तो मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि किसी को १५ पर्सेंट ही मिलेगा और १५ पर्सेंट ही उसके ऊपर जुर्माना इम्पोज़ करेंगे तो वह फिर उसको क्या मिला। इसलिए मैं तो यह कहता हूं कि कुदरती जो कागज़ात पेश नहीं करेगा तो अवार्ड तो उसको यों ही नहीं मिलेगा और जब तक कागज़ात नहीं मिलेंगे और जागीर कमिश्नर के यहां कागज़ात पेश नहीं करेंगे तो उसका अवार्ड ही फाइनल नहीं होगा और अगर फाइनल अवार्ड भी हो गया तो वह आगे अपील के अन्दर नहीं होगा। वह जो जो कागजात मांगेंगे वही उनको देने पड़ेंगे। इसलिये मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसा

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

इसमें प्रोविज़न क्यों रखा गया है ? मैं तो यह कहता हूं कि प्रोविज़न के रखने की कोई आवश्यकता नहीं है और अगर आवश्यकता ही है तो मैंने जो वर्ड 'ऑर' की जगह 'एण्ड' के शब्द के लिए प्रार्थना की है तो इससे आपको भी प्रोब्लम सोल्व हो जाती है और मैं तो यह कहता हूं कि इसको आपको मान लेना चाहिए और यह तो स्पष्ट है कि कागज़ात दिए बिना न तो मुआवजा फाइनल होगा और न मुआवजा ही मिलेगा। फिर न जाने माननीय राजस्व मंत्रीजी को एक वर्ग विशेष से ऐसी क्या बात हो रही है जो इसमें ऐसा प्रावधान रखा गया है।

दूसरा संशोधन मेरा एक प्रोविजो जोड़ने का है।

The following second proviso be added :

"Provided further that the jagirdar and/or his representative shall be allowed access to the records so deposited, during office hours, without payment of any fees or charges of any nature for the purpose of inspection and taking copies thereof in connection with the filing, verification or settlement of claim for compensation or any other matter connected thereto on account of the resumption of the Jagir lands."

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो मेरे यह प्रोविज़ो जोड़ने का मतलब यह है कि जब कागज़ात डिपोज़िट करा लिए जाते हैं तो जागीरदारों के ऊपर तरह तरह की लाइए-बिलिटीज़ आ जाती हैं। जैसे इन्कम टैक्स है, एग्रीकल्चरल टैक्स है इसके लिए अगर जागीरदारों को नकलों के लेने की आवश्यकता होती है तो तारीखें निकल जाती हैं। बेचारे तहसील से लेकर अपनी जमाबन्दी की नकलें लेने के लिए रोते रोते ठेठ जागीर कमिश्नर के यहां पहुंचते हैं, खर्च भी करते हैं और उनको साल साल भर तक उसकी नकल नहीं मिलती है। उसका परिणाम क्या होता है कि उनको जो मुआवज़ा मिलता है वह मुआवज़ा भी उनका इन्कम टैक्स और एग्रीकल्चरल टैक्स में पूरा हो जाता है। इसलिए मैंने यह लिखा है कि जब वह कागज़ात खुद तैयार कराता है तो जो कागज़ात हैं, उसकी नकलें हैं, वह दर्ख्वास्त करे तो फौरन तारीख के पहले दे देने चाहिए। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, बात दर असल यह है कि यह प्रोविज़न रखने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं फिर आप से कहूँगा और आप कहेंगे कि आप रिपीटीशन कर रहे हैं लेकिन फिर भी मैं यह निवेदन करूंगा कि आपके जागीर रिज़म्पशन एक्ट के रूल्स हैं उसमें लिखा है कि तहसीलदार और जागीर असिस्टेन्ट कमिश्नर और कमिश्नर जो कागज़ात मांगेंगे तब ही उसका क्लेम फाइनल होगा। लेकिन आज तक, जिन्होंने कागज़ात भी जमा करा दिये हैं, उनके, चार-चार और पांच-पांच वर्ष हो गए हैं अभी तक क्लेम्स फाइनल नहीं हुए हैं, उसके लिए वह बेचारे इधर उधर फिरते रहते हैं। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि या तो इस प्रोविज़न को रखने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन यदि माननीय राजस्व मंत्री जी बड़े काबिल आदमी हैं और कानून के बड़े महारथी हैं। अव्वल तो जागीर रिज़म्पशन एक्ट में इसको लाने

Page No.37

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

की जरूरत ही नहीं है और इसको इसके अन्दर घुसेड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। इसको तो अगर लाना ही चाहते थे तो अलग से लाना चाहिए था लेकिन इसको इसलिए लाया गया है कि एक वर्ग को तो यह कर दिया है और एक को यह। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करता हूँ कि यह दुविधा की पॉलिसी है। आप तो बड़े एक्सपर्ट हैं...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्यमंत्री): खास तौर से आपका रेकॉर्ड मंगवाने का मतलब है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मेरे पास तो आपकी यह चिट्ठी मौजूद है। जब आपकी चिट्ठी मिली उस समय आप राजस्व मंत्री थे। आपने एक चिट्ठी लिखी....

श्री उपाध्यक्ष : उससे, यहां अपना संबंध नहीं है और न इस क्लॉज़ से संबंध है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : उसके बाद कलेक्टर वहां गया और कलेक्टर ने चार्ज संभाला। कलेक्टर ने जो जो कागज़ात मांगे....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपका जो मामला है, उसका फैसला यहां नहीं होगा वह तो दूसरी जगह होगा।

रावराजा श्री सरदारसिंह : तो वहां कलेक्टर ने कागज़ात मांगे ....

श्री उपाध्यक्ष : उस बहस पर अब आप नहीं चलेंगे और अपने अमेन्डमेन्ट के बारे में ही बोलेंगे।

रावराजा श्री सरदारसिंह : इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं यही निवेदन करूंगा कि क्योंकि माननीय राजस्व मंत्री जी हैं वह बड़े होशियार आदमी हैं और मेरे सुनने में भी आया है कि यह चीज़ वह इसी गरज़ से लाये हैं ....

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करूंगा कि यह विशेषण जो बार बार लगाये जा रहे हैं यह उचित नहीं है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस सेशन में ज्यादा एक्टिविटी मालूम पड़ी इसलिये यह लगाये हैं। मेरे सुनने में आया है कि एक दो आदमियों पर ही इसका ज्यादा असर पड़ेगा। यह फिज़ूल ही है और इसको लाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं फिर नम्र निवेदन करूंगा कि इसकी आवश्यकता नहीं है और यह मेरा अमेंडमेन्ट और प्रोविज़ो है उसको स्वीकार कर लिया जाये।

श्री मदनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष : पहले और संशोधन मूव हो जाने दीजिए।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार

(अनुपस्थित)

डॉ० बहादुरसिंह

(अनुपस्थित)

श्री मदनसिंह

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : मान-

(श्री मदनसिंह)

नीय उपाध्यक्ष महोदय, उनियारा से आने माननीय सदस्य ने जो अमेन्डमेन्ट रखा है, और २२ ए के ही पक्ष में मैं बोल रहा हूं। मैं चाहता हूं कि जब नेहरू अवार्ड छोटे जागीरदारों को मिल रहा है और उस पर सदन में विचार हो रहा है, इसके बीच में यह एक नई धारा २२ए आ गई है जिसका मैं समझता हूँ कि नेहरू अवार्ड से सम्बन्ध नहीं है न ऐसा कोई मेमोरेन्डम रखा गया था और न पंडित जी के सामने यह विचार रखा गया था। यह हैंडिंग ओवर ऑफ रेकॉर्ड्स का नया मसला ही बीच में आ गया। मैं समझता हूँ कि यह न तो उचित था और न इसकी जरूरत ही थी। इसके लिए मैं समझता हूं कि जो अन्य सदस्य हैं वह भी विचार करें कि ५००० से नीचे के जो जागीरदार हैं उनके अवार्ड के लिए यह बिल प्रस्तुत हो रहा है और इन कागज़ातों की जरूरत न तो जागीर कमिश्नर को है और न सरकार को है। कारण यह है कि जागीरें खत्म हो गई और अगर अब आप जागीरें वैसी की वैसी रखना चाहते हैं या इन जागीरदारों के बजाय नये जागीरदार, या वैसी ही व्यवस्था फिर करना चाहते हैं तो मैं मानता हूं कि रेकॉर्ड की जरूरत है अन्यथा उपाध्यक्ष महोदय, इसकी जरूरत एक तो पट्टा बही और लैंड का रेन्ट रेकॉर्ड लिया करते थे। मैं समझता हूं कि सैटिलमेंट के बाद पुरानी जागीरों के रेकॉर्ड से कोई ताल्लुक नहीं है और न इसकी जरूरत गवर्नमेंट को है और न गवर्नमेंट पुराने रेकॉर्ड से कल्टीवेटर्स से पुरानी उगाई करेगी और न जो पहले जागीरी सिस्टम था उसके आधार पर गवर्न करना चाहती है....

इसलिए मेरी यह समझ में नहीं आया कि रेकॉर्ड क्यों सौंपा जाय ? मैं समझता हूं कि जहां तक कम्पेन्सेशन लेने का, ज़ागीर कमिश्नर के डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है तो जो भी रेकॉर्ड दिया जाता है उस रेकॉर्ड से पूरा पूरा चैकिंग होकर रेकॉर्ड से पूरा पूरा सर्टीफाइड होकर हमें कम्पेन्सेशन दिया जाता है। इसके स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में यह दिया हुआ है कि बम्बई और अदर स्टेट्स में यहां पर रेकॉर्ड लिया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, वहां न मालूम क्या परिस्थितियां थीं, वहां न मालूम क्या क्या सहूलियतें थीं। वहां पर बहुत से समझौते हुए थे। वहां पर आरबीट्रेशन का क्या आधार था ? यह सब चीजें बगैर देखे कैसे मालूम पड़ सकती है। यह तो केवल आदत सी पड गई है राजस्थान गवर्नमेंट की कि प्रोहिबिशन बम्बई में होगया या कल्टीवेटर्स से इन्कम टैक्स लिया जायगा तो बम्बई प्रेसीडेन्सी का रेफरेन्स दे देंगे। इस तरह से बम्बई प्रेसीडेन्सी का नाम देने का स्टेटमेंट ऑफ रीजन्स में कोई कारण नहीं था और स्टेटमेंट ऑफ रीजन्स में यह और दिया है कि उसमें बहुत ही बुरे कॉन्सिक्वेन्सेज़ हो सकते हैं। मैं यह समझता हूं कि जागीरें खत्म होगई उनको मुआवज़ा मिल गया है, जागीरदारों ने रेकॉर्ड हैन्ड ओवर कर दिया गया है, और उसमें यह था कि रेकॉर्ड हैन्ड ओवर करके उसका वेरीफिकेशन होगा तो वेरीफिकेशन होकर वह भी वापिस न देने के लिए एक नया कानून बनाया जा रहा है कि जागीरदारों से पूरा रेकॉर्ड वहां से ले लिया जाय। मैं समझता हूं कि आज जागीरदारों के रेकॉर्ड से कोई संबंध आप नहीं रखते हैं, ज़ागीरी से कोई सम्बन्ध नहीं रखते हैं वह रेकॉर्ड सरकार यदि ले लेती है तो जागीरदारों को कितनी परेशानी

(श्री मदनसिंह)

उठानी पड़ेगी। उनके व्यक्तिगत केसेज़ हैं। उनके इन्कमटैक्स के हिसाबात हैं, उनका लेन देन है। उनके कई पंचायतों और म्युनिसिपैलिटीज़ में कई मुकद्दमें हैं, जिनके लिए हर मुकद्दमें के लिए उनको ज़ागीर कमिश्नर के यहां जाना पड़ेगा। पंचायतों के अन्दर पट्टों के केसेज़ हैं। सरकार और पंचायतों के बीच में झगड़ा है। हमारे पास में रेकॉर्ड रहता है। हमें गवाह में जाना पड़ता है। हम मय रेकॉर्ड के गवाही में जाते हैं। अगर हम सारे के सारे पट्टों का रेकॉर्ड या अन्य रेकॉर्ड जो लगान वगैरहा लेते थे उसके बाबत में, अगर वह ज़ागीर कमिश्नर के यहां रहेगा तो हज़ारों गांव वालों को दर्ख्वास्तें देनी पड़ेगी और कापी लेनी पड़ेगी और मैं समझता हूं कि कितनी ज्यादा परेशानी उठानी पड़ेगी, और इससे राज्य सरकार का कोई विशेष लाभ नहीं हैं, केवल जागीरदारों को परेशान करने के लिए यह है। जागीरी समाप्त होने के बाद भी रेवेन्यू मिनिस्टर साहब यह चाहते हैं कि जागीरी खत्म होने के बाद भी हर एक ज़ागीरदार छोटे छोटे काम के लिए उनके दरवाजे पर खड़ा रहे और उनको रिश्वत देता रहे। मैं समझता हूँ कि रेवेन्यू मिनिस्टर साहब जागीरदारों के वकील पुराने ज़माने में रहे हैं और उनको इसका पूरा अनुभव है कि एक एक रेकॉर्ड की कितनी ज़रूरत वकीलों को पड़ेगी। आज एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स के लिए एक एक जागीरदारों को और उनके वकीलों को रेकॉर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। मैं समझता हूं कि रेवेन्यु मिनिस्टर साहब फरमायेंगे कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ज़ागीर कमिश्नर के यहां रेकॉर्ड पड़ा हुआ है वह वहां से ले लें। आपका जहां तक कम्पेन्सेशन का काम था, वह खत्म हुआ। वह हमारे पास रहना चाहिये। हमने ट्रू कापी दी है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूंगा कि हमारे साथ में धोखा हुआ है। ज़ागीरों के कम्पेन्सेशन देने के टाइम, वेरीफिकेशन के लिए हमारे से कापी ली गई थी। उसकी कापी दी है। ट्रू कापी दी है, कापी का वेरीफिकेशन करने के लिए रेकॉर्ड जमा कराते हैं। रेकॉर्ड हमारा इनके पास आगया है तो आज वह कानून ला रहे हैं। इस तरह की बात का कानून ला सकते हैं। आज सारी चीजों को लेकर फिर कानून बनाने जा रहे हैं तो मैं समझता हूं कि कोई भी ज़ागीरदार इस सरकार के अन्दर विश्वास नहीं कर सकता कि जो पहले एक कानून में व्यवस्था थी उस व्यवस्था को खत्म करके पूरा रेकॉर्ड लिया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, रेकॉर्ड के अन्दर प्राइवेट बातें भी होती है, प्राइवेट अकाउन्ट्स भी हैं। कर्जा लिया हुआ है वह भी है। अन्य कोई शादी का रेकॉर्ड है वह भी उस रेकॉर्ड के साथ में है। मैं समझता हूं कि उसको लेकर राज्य सरकार क्या करेगी। मैं समझता हूं कि वह रेकॉर्ड ज़ागीरदारों के काम में नहीं आ सकता था। वह रेकॉर्ड जो हमारे पास में है उन गरीब आदमियों के काम आ सकता है जिनके बहुत से गांवों के अन्दर केसेज़ चलते हैं उनके लिए वह रेकॉर्ड अदालत में हमारी तरफ से जाता था और हमको गवाह में जाना पड़ता था। आज क्या होगा कि गवाह में अदालत में हम जायेंगे और रेकॉर्ड के लिए गरीबों को ज़ागीर कमिश्नर के यहां पर जाना पड़ेगा और वहां पर पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि आज भी वहां से कापी लेते हैं

(श्री मदनसिंह)

तो गवर्नमेंट के पास में बड़ी मुश्किल हो जाती है । ५-६ दिन तक बैठे रहते हैं । रिश्वत दी जाती है । गरीबों से रिश्वत लेकर रेकॉर्ड दिया जाता है । इसकी कई बार शिकायतें की है । मैं समझता हूं कि मेरे से ज्यादा माननीय सदस्य जानते हैं कि यहां पर आज गवर्नमेंट के कागज़ों की कापी की ज़रूरत पड़ती है पंचायतों में और म्युनिसिपैलिटीज़ में वहां भी बहुत टाइम लग जाता है तो जागीर कमिश्नर के पास में ऐसा कौन सा एफिशियेन्ट स्टाफ है कि उनके ऑफिस में कम्पेन्सेशन का काम भी होता रहेगा । और मुकद्दमों के लिए, जागीर डिपार्टमेंट हरएक आदमी और वकील को कापी देता रहेगा । सबसे बड़ा बहाना है वह है कि गलत दिये जाते हैं वह स्टेटमेंट ऑफ रीज़न्स में तो नहीं है । उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी यही उत्तर देंगे कि कम्पेन्सेशन के टाइम पर गलत रेकॉर्ड पेश करके गलत ढंग से कम्पेन्सेशन ले लिया । यह आर्ग्यूमेंट मैं मानता हूं, लेकिन वह स्टेन्ड नहीं करता है जब कि रेकॉर्ड दे दिया, गलत या सही और उसको वेरीफाई करते हैं । उसके ऊपर अगर वह गलत हो तो उसको सजा दें । रेकॉर्ड में कमी हो तो कम्पेन्सेशन काट लें । तो पूरा रेकॉर्ड हमेशा के लिए दे दे तो मैं समझता हूँ कि उससे आपका लाभ क्या है ? मैं समझता हूं कि मन्दिरों की तरह रेकॉर्ड पर सोना चांदी तो चढ़ा हुआ नहीं है । उसके ऊपर पैसा नहीं लिपटा हुआ है सिवाय इसके कि जागीरदार जिस प्रकार से अंग्रेजों के ज़माने में डोर टू डोर जाया करते थे तो आज सरकार, कांग्रेस सरकार के पास रोज़ उनकी सेवा में जाय, दिन प्रति दिन रेकॉर्ड की कापीके लिए जायं और डोर पर खड़े रहें और आजिजी करते रहें और रेवेन्यू मिनिस्टर साहब की मर्जी आये तो रेकॉर्ड दे दे ।

दूसरी लीगल डिफिकल्टी यह आयेगी कि जब कम्पेन्सेशन दिया जाता है उसके आधार पर हममें और गवर्नमेंट में झगड़ा हो तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक केस जाय तो मैं पूछता हूं कि जिस वक्त वकील करेंगे और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रेकॉर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, तो चूंकि केस स्टेट के खिलाफ होगा वह रेकॉर्ड क्या जल्दी देगी ? कभी नहीं देगी । कई दफा अनुभव हुआ है कि जिस वक्त भी रेकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट के खिलाफ बात होती है तो गवर्नमेंट समय पर नहीं देती है । उसकी मिसाल में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको दूंगा कि चकरी केस कितना भयंकर केस था । आपने विश्वास दिलाया था कि इस केस के रेकॉर्ड वगैरह बता देंगे और आज रेवेन्यू बोर्ड की तरफ से तीन साल से यह कोशिश हो रही है कि चकरी केस का रेकॉर्ड आ जाय लेकिन गवर्नमेंट रेकॉर्ड नहीं दे रही है । उनको जाकर कहना पड़ेगा कि रेकॉर्ड खो गया है । इसलिए मैं समझता हूं कि (मिनिस्टर महोदय के बाहर जाने पर) जिनको करना है वह कोई मिनिस्टिर नहीं है । उनको कोई चिन्ता नहीं है । नहीं सुनना चाहते हैं । मैं तो सदन को सुनाता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि जिनसे इस बिल का सम्बन्ध है...

श्री उपाध्यक्ष : The Treasury is represented.

श्री मदनसिंह दांता : कौन है ?

Page No.41

श्री उपाध्यक्ष : Deputy Minister is there. we will proceed on.

श्री मदनसिंह दांता : जिनसे इसका संबंध है वह कुछ कुछ नहीं सुनना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : You will please continue the debate.

श्री मदनसिंह : तो कितना असर होने वाला है मुकद्दमों के ऊपर जब कि वह गवर्नमेंट के खिलाफ है। आज भी कम्पेन्सेशन के अन्दर ऐसे घोटाले हुए हैं। कम्पेन्सेशन यद्यपि बीच में दे दिया है और इधर रेन्ट रेट्स करके कम्पेन्सेशन मिल रहा है वह बिल्कुल लीगल नहीं है। अगर रेकॉर्ड आपके पास में है और हमको रिट करना पड़ी तो हम रिट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज भी जो रेकॉर्ड कमिश्नर के पास है, उस रेकॉर्ड की जो हालत है कि जागीरदारों के यहां उनके इन्डिविज्युअल रेकॉर्ड जिस तरह से वे मेंटेन करते थे, उनकी केअर करते थे वह नहीं हो रही है पता नहीं कि वह बहियें किधर हों ? कौन देखे ? कौन जांच करे ? इसलिए मैं समझता हूँ कि इस तरह का एवार्ड है उसके अन्दर नई चीजें थोपी जा रही हैं। जागीरदार बुरी तरह परेशान हैं उससे और गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं है। कई चीजें है कि जितना भी कम्पेन्सेशन मिलेगा वह सैटिलमेंट की रेट पर मिलेगा और सैटिलमेंट रेट का रेकॉर्ड जागीरदारों के पास नहीं है। वह रेकॉर्ड गवर्नमेंट के पास में है। उसी के आधार पर कम्पेन्सेशन दिया है। जागीरदारी रूल्स में एक प्रावधान हैं कि जो जागीरदार अपना रेकॉर्ड जमा नहीं कराते हैं उनको केवल जो सैटिलमेंट रेट पर इन्कम है उस इन्कम से कम्पेन्सेशन दिया जायगा। आज ४–५ साल के बाद क्या सूझा है वह मेरी समझ में नहीं आता है। कौन सी ऐसी गलत बात हो गई थी कि जिसके अन्दर सुधार करने जा रहे हैं और इसके बाद में यह चीज़ बीच में जबरदस्ती थोपी गई है, मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है।

इसके टर्न पर मैं निवेदन करूंगा कि जिसके अन्दर साफ है, पंडित जी क्या कह रहे हैं यह मैं बताऊंगा। पेज २ के ऊपर, पंडित जी, पैरा ३ में क्या फरमाते हैं :

"It was clearly understood that the scope of the reference to me would be in regard to the unresolved matters and not to any matter which has been decided."

वे मेटर्स जो फाइनली डिसाइड हो चुके हैं उनके सम्बन्ध में मैं एवार्ड में कोई विचार करने को तैयार नहीं हूं। मैं समझता हूं कि वे आलरेडी फाइनली डिसाइडेड है कि जो भी जागीरदार रेकॉर्ड. नहीं रखते हैं उनके रेकॉर्ड लाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे रूल्स हैं तो जागीर के सम्बन्ध में नई चीज़ आज नेहरू एवार्ड के साथ मिलाने जा रहे हैं तो मैं कहता हूं कि भारत के प्रधान मन्त्री की मंशा के खिलाफ बात हो रही है। आरबिट्रेशन का जो सिद्धान्त है उसमें कुछ करने धरने की जरूरत नहीं है। प्रधान मन्त्री का एवार्ड होता है, फिर भी सिलेक्ट कमेटी में रखने की जरूरत पड़ती है, वाक आउट सदन में किया जाता है उसकी कोई परवाह नहीं, सरकार ने और पंडित जी ने जो व्यवस्था दे दी है वह भी कुछ नहीं, ५ हजार से नीचे के जागीरदार जिनके यहां रेकॉर्ड नहीं है उनके

(श्री मदनसिंह)

लिये जबर्दस्ती लगा रहे हैं। मैं यह मानता हूं कि आपको धीरे.धीरे राज्य करना आ रहा है, नई नई चीजें आपके दिमाग में आयेंगी। आप चाहते हैं कि राजस्थान में राजपूतों को खत्म कर दिया जाय, वे अच्छी तरह से नहीं रह सकें....

श्री उपाध्यक्ष : It does not concern the Rajput community. It concerns the Jagirdari system.

श्री मदनसिंह दांता : It mostly concerns the Rajput community.

श्री उपाध्यक्ष : We are concerned here with the Jagirdari system.

श्री मदनसिंह दांता : यही सारा आकर पड़ता है जागीरदारों पर। इस तरह से जागीरदारों से नफरत है तो रूस और चाइना में जिस तरह से चैलेन्ज हुआ उसी तरह से यहां भी चैलेन्ज के लिए तैयार हैं। आज किताब भूल गये उसके लिए कानून आयेगा, कल यह कहा जायगा कि पेचा पब्लिक के रुपयों से खरीदा गया था इसलिए वह भी जमा होना चाहिए। इसलिए जागीरदारों को परेशान करने के लिए यह सब किया जा रहा है। यदि जागीरदार और भूस्वामी यह समझते कि इस तरह से उनके साथ धोखा होगा तो आसानी से जागीरें खत्म नहीं होतीं। इस तरह से आप आरबिट्रेशन लाकर नई नई चीजें कर सकते हैं तो राजस्थान के जागीरदार भी मर नहीं गये हैं, वापिस उसी तरह का आन्दोलन खड़ा हो सकता है। आज कानून की आड़ में हमको इतना मजबूर और ज़लील होना पड़ता है, रोज़ जागीर कमिश्नर के पैरों पर पड़ें और रिश्वत दें, यह नहीं हो सकता....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य इसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं।

श्री मदनसिंह दांता : शायद राजस्थान के जागीरदारों को फिर न सोचना पड़े कि राजस्थान गवर्नमेन्ट को तकलीफ दें। क्योंकि प्रधान मन्त्री का यह कहना है कि राजस्थान गवर्नमेन्ट और जागीरदार आपस में समझौता करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या समझौते की बात है? यह लॉ बन चुका था उसमें स्पेसिफिकली यह बात थी कि हमारा रेकॉर्ड आन। चाहिए, राइट राग जो कुछ हो, आना चाहिए था, वह आया, काफी जांच हुई, कम्पेनसेशन दे रहे हैं और बावजूद इसके कि रेकॉर्ड सारा सौंप दिया है यह लॉ बनाया जा रहा है जब कि यह कहा जा रहा है कि सारी चीजें समझौते से करली जायं। यदि हम कॉर्ड जमा नहीं कराते तो सदन में लोगों को अधिकार है यह कहने का कि जमा कराया जाय लेकिन जब रेकॉर्ड दे रहे हैं, पूरी चीजें जा रहो हैं, गलतियों की सजा मिलती है और कम्पेनसेशन काट रहे हैं फिर भी आप कानून यह बना रहे हैं कि हमसे रेकॉर्ड ले लिया जाय तो साथ ही मैं यह कहता हूं कि यदि आप आरबिट्रेशन पर नहीं चलते हैं तो मज़बूर होकर हमको भी सोचना पड़ेगा, जो समझौता किया गया, हाई कोर्ट में समझौता किया गया, उसके आधार पर जागीरें खत्म हुई न कि आपकी ताकत, लाठी या बंदूक के आधार पर खत्म हुई। इस समझौते में....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप

(श्री उपाध्यक्ष)

का भाषण सदन के सिद्धान्तों के अनुकूल नहीं चल रहा हैं। मैं चाहता हूं : The House may not be used as public platform and your arguments are to be confined to the clause 2 and not to any extraneous matters

श्री मदनसिंह दांता : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज २ में जागीरदारों से जो आज तक बातचीत हो रही थी उसके विपरीत रखा है इसलिए सदन के सामने भाव प्रकट कर रहा हूं। जागीरदारों को मज़बूर होकर समझौता भंग करने की नौबत आयेगी। इसलिए....

श्री उपाध्यक्ष : आप क्या करने वाले हैं, क्या स्थिति लाना चाहते हैं इससे संबंध नहीं है, क्लॉज २ से संबंध है।

श्री मदनसिंह दांता : मेरा फर्ज है कि आगे होने वाली चीज़ों के बारे में कह दूं।

श्री उपाध्यक्ष : आगे क्या कदम जागीरदार लोग और भूस्वामी लोग लेने वाले हैं उससे इसका कोई संबंध नहीं है। हमारा संबंध सिर्फ क्लॉज़ २ से ही है।

श्री मदनसिंह दांता : मैंने यह नहीं कहा कि चौपड़ पर नारे लगाने हैं। मैंने विचार किया कि आपने समझौता भंग किया और मज़बूर होकर, जागीरदारों को आप मज़बूर कर रहे हैं, यह भावना नहीं है कि समझौता करना है। यह कभी मैनशन नहीं किया। आज आपके सामने जागीरों का इश्यू है, दुनियां में आज के ज़माने में कहीं जागीरें नहीं रह सकतीं इसको लेकर सदन में डिस्कशन करेंगे। लेकिन जहां तक जागीरदारों का प्रश्न था उसके साथ एक विशेष चीज़ रखदी गई जिससे जनता को नुकसान होगा। एक गांव का आदमी नकल लेने के लिए कमिश्नर के पीछे पीछे घूमता रहेगा और हाथ में नहीं आने से समय खराब होगा और चपरासी वगैरह को करप्शन में फीस देनी पड़ेगी और सारे राजस्थान में एक नया डिपार्टमेन्ट एक नई तस्वीर लेकर खड़ा होगा। आज जो हजारों जागीरदारों के केसेज चल रहे हैं, उनमें रेकॉर्ड की जरूरत पड़ेगी। इसलिए सरकार को क्या जरूरत पड़ी इस इस तरह की चीज़ लाने की। स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स में अच्छी तरह से नहीं समझाया गया है और यह लिख दिया गया है कि बुरे कॉन्सिक्वेनसेज़ होंगे। वे बुरे कॉन्सिक्वेन्सेज़ क्या होंगे, राजस्थान सरकार डूब जायगी यदि रेकॉर्ड नहीं मिलेगा तो या हिन्दुस्तान की आजादी में फर्क आयगा या कांग्रेस के नये सिद्धान्तों में फर्क आने वाला है या क्या बात है? केवल जागीरदारों को परेशान करने के लिए और जागीरदारों का हमेशा से किस तरह से लिंक रहे इसको ध्यान में रखकर यह लाया गया है। एक तरफ इस तरह की चीज़ होती है तो फिर यह गढ़ किले क्यों रखें जब कि जागीरदार....

श्री उपाध्यक्ष : I think the Hon'ble Member is now indulging in tedious and tiresome repetitions.

श्री मदनसिंह दांता : इसलिए मैं यह समझता हूं कि इस तरह से यदि जागीरदारों को ज़लील किया जायगा तो हमें सोचना पड़ेगा। मेरी रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से इस सम्बन्ध में बात हुई थी....

श्री उपाध्यक्ष : We are not con-

(श्री उपाध्यक्ष)

cerned with what happens outside the House.

श्री मदनसिंह दांता : This thing is from outside the House. The whole report is outside the House.

श्री उपाध्यक्ष : आपकी रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से क्या बातें हुई हैं इससे हाउस कंसर्न्ड नहीं है।

श्री मदनसिंह दांता : मेरी रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से आज तक न तो कोई व्यक्तिगत बात हुई है और न होगी। मैं जागीरदारों का रिप्रजेन्टेशन लेकर ही गया हूं। उन्होंने फरमाया था कि दो रेकॉर्ड छोड़ कर दूसरे ले सकते हैं। ये दो रेकॉर्ड ही तो खास चीज़ है। यदि एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स वालों के सामने समय पर इसे पेश नहीं करते हैं तो उस रेकॉर्ड को पेश नहीं करने की वजह से ४८—५० हजार रुपयों का जुर्माना एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स की तरफ से हुआ है इधर जागीरदारों का रेकॉर्ड जागीर कमिश्नर के पास पड़ा है और इधर वे कहते हैं कि रेकॉर्ड पेश नहीं करोगे तो जुर्माना होगा। उनके यहां नियम यह है कि यदि रेकॉर्ड समय पर नहीं देते हैं तो जुर्माने के रुपये और जमा कराने पड़ते हैं।

१० म० पू०

और अब तक कोई सुनाई नहीं होती। ऐसी हालत में राजस्थान के जागीरदारों को मजबूर कर रहे हैं इस प्रकार कड़े कदम उठा कर कि वे अपना जीवनयापन कर किसी त राजस्थान में ठीक ढंग से न रहें। आपने उनकी जागीरें ले लीं, उनकी प्रोपर्टी आदि को ले लिया, उनके मन्दिर वगैरह को कानून बनाकर ले लिया। अब उनके पास जो रेकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड को लेकर, आप सोचते हैं कि बहुत बड़ा किला फतह हो जायगा। मैं समझता हूं कि यह गवर्नमेन्ट की कमजोरी है। मुझे मालूम हुआ कल ही कि राजस्थान सरकार को किसी वकील ने समझाया कि जब तक रेकॉर्ड नहीं लिया जायगा तब तक जीत नहीं होगी। हम भी राजस्थान के रहने वाले थे, कोई बाहर के हमले वाले होते तो समझते कि रेकॉर्ड भी लो, जब कि सारी चीज़ों को लिया, मन्दिरों को भी लिया। आप और हम यहीं के रहने वाले हैं; क्या रेकॉर्ड लेकर जीत करनी है। मैं समझता हूँ कि ऐसे जागीरदार होंगे, जो कतई रेकॉर्ड नहीं देंगे, चाहे आप कितनी सज़ा दें क्योंकि वह उनकी पर्सनल प्रोपर्टी है, इसको उन्होंने अपने हाथ से लिखा है, हाथ से बनाई है। अगर गवर्नमेन्ट को आवश्यकता है तो अपना अहलकार भेज दे, उसको ट्रू कापी दे सकते हैं। मैं समझता हूँ कि रेवेन्यू मिनिस्टर साहब समझ लें तो ठीक नहीं, अगर नहीं समझ सके तो आप और हम यहां हमेशा रहेंगे। मैंने जागीरदारों की तरफ से बहुत अच्छा जवाब दे दिया है और यदि आपकी जिद रहेगी तो वैसा जवाब देने के लिए शायद राजस्थान के जागीरदार तैयार होंगे।

(श्री मोहरसिंह व श्री नरेन्द्रसिंह के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : श्री नरेन्द्रसिंह।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : Shri Mohar Singh should be given the chance.

श्री उपाध्यक्ष : It is a question of my discretion.

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे से पहले दांता रामगढ़ से आये हुए माननीय सदस्य ने इस विषय पर काफी रोशनी डाल दी है। इसके ऊपर इस विचारधारा के अतिरिक्त मेरा यह निवेदन करना पिष्ट पेषण होगा। मैं निवेदन करूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : उससे वंचित रह जाय।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : शायद उसके सिवाय निवेदन करना पड़ेगा, यह तो आगे आने वाला प्रश्न है, यह खुद बतायेगा। अभी २२ (ए) पर प्रश्न चल रहा है, इसके वास्ते निवेदन है कि जहां तक मैं समझता हूँ कि हमारे राजस्व मंत्री, इतनी दलील हो जाने के बाद और इतनी बातें आने के बाद, शायद इस बात को प्रेस नहीं करेंगे। इस मामूली से प्रश्न को उठा करके जो रेकार्ड लेने का सवाल है, इसके वास्ते ज्यादा प्रेस नहीं करें। यह सिर्फ सीधा सादा प्रश्न है कि हम लोगों में से जो पांच हजार के नीचे के जितने भी जागीरदार हैं, जैसा कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने अभी फर्माया कि ऐसे कितने ही हैं जो राजपूत जागीरदार नहीं हैं, दूसरे जागीरदार नहीं हैं....

श्री उपाध्यक्ष : मैंने यह नहीं कहा कि दूसरे जागीरदार नहीं हैं, राजपूत जागीरदार नहीं हैं। मैंने कहा कि कम्युनिटी का प्रश्न है, जागीरदारी सिस्टम का प्रश्न है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : इन दोनों बातों में ज्यादा फर्क नहीं है। अर्ज यह है कि राजपूत जाति ने पहले राज्य किया था और आज कांग्रेस सक्सेसर इन ऑफिस है। उस जाति के लिए कठोर से कठोर कदम उठाने की जरूरत होती है, ऐसे कदम उठा कर इस जाति को रसातल में रख देने के तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके वास्ते मुझे निवेदन नहीं करना है। प्रश्न यह है कि जो पांच हजार के ऊपर के जितने जागीरदार हैं, मैं समझता हूं कि इसके लिए माननीय सदस्य बोल चुके हैं, जो पांच हजार के जागीरदार हैं उनको इस अवार्ड से कुछ लाभ नहीं मिलेगा और न उनको लेने की अभिलाषा है। लेकिन जो छोटे जागीरदार राजपूत और दूसरे हो सकते हैं, उनके वास्ते विचार करें कि जो फेमिलीज हैं उनके ऊपर इसका भारी असर पड़ेगा और उनको दिक्कत पैदा होगी। इसलिए जो डिस्क्रिमिनेशन पांच हजार के नीचे के जागीरदारों का कायम करके सवाल उठाया है, तो नीचे वालों के लिए आज जरूर जरूर सोचना है। इन पांच हजार के नीचे वालों के लिए निवेदन है कि २०० रु० की, १०० रु० की और ५० रु० की जागीरें बहुत ज्यादा होंगी और इससे ऊपर वाली एक हजार वाली बहुत कम होंगी लेकिन सब के वास्ते देखकर इस अवार्ड की व्यवस्था बैठायें। यह कहा जाता है कि इस सदन में, एक माननीय सदस्य ने यह फर्माया था कि पांच करोड़ रुपये, सात करोड़ रुपये, ६ करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं और इसके वास्ते विचार हो रहा है। मैं समझता हूं कि न तो जागीरदारों को इन पांच करोड़, सात करोड़ का लालच था और न वे मुनासिब समझते हैं कि हमारे वास्ते इस तरह की व्यवस्था की जाय, हम लोगों के निर्वाह का सवाल हो, इस चीज़ का दान दिया जाय। अभी जो प्रश्न है, वह रेकॉर्ड लेने का सवाल

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

है, इसके लिए मेरा नम्र निवेदन है, उपाध्यक्ष महोदय के द्वारा रेवेन्यू मिनिस्टर महोदय से यह है कि इस छोटी ज़िद्द पर वे क्यों टिके हुए हैं और रेकॉर्ड लेने के छोटे से मामले को उठा कर इसे क्यों आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। रेकॉर्ड का क्या प्रश्न। पांच हजार के नीचे वाले जितने भी जागीरदार हैं, उनके पास न कोई अहलकार है, न कोई रेकॉर्ड कीपर है, और न कोई हिसाब करने वाला है। वे खुद उनको पुत्र या उनकी धर्म पत्नी ने मांडे-टेड इस प्रकार के कागज़ बना कर रखे थे। इसके ऊपर उनको मिल चुका है और हिसाब किताब देखकर, जो उन्होंने पेश किये थे, उस पर राज्य की मोहर लगा कर उनके बारे में सब कुछ हो चुका है। फिर भी उसे देखने की मर्जी है तो देख कर लौटा सकते हैं। लेकिन राज्य कब्जे में करे, तो मैं इसको रद्दी का प्रयास समझता हूं एक डर्टी प्रयास समझता हूं। वह रेकॉर्ड कोई काम तो देता नहीं दिखता है, तो ऐसी स्थिति में क्यों लिया जा रहा है। हम लोगों को इस बात का भय है है कि शायद यह सवाल तो नहीं है कि जैसा हम जानते हैं कि हमारे महामहिम प्राइम मिनिस्टर, माननीय पंडित जवाहर लाल नेहरू थोड़ी थोड़ी बात पर बाज़ वक्त कानूनी बात होने हुए भी थोड़ा उखड़ जाया करते हैं तो उनको उखाड़ने के लिए तो कोई रेमेडी काम में नहीं लाई जा रही है कि इससे नाराज हो जायं कि लोगों से हिसाब लेंगे तो इसके वास्ते लोग मुखालफत करेंगे, तो एक तो लोगों ने ऐसा ख्याल किया, अगर उनको इस बात के लिए मालूम हुआ कि इस प्रकार की पख लगाई जाती है तो मेरी समझ में हम लोगों से ज्यादा अफसोस किन महानुभाव को होगा, वह पंडित जवाहर लाल को होगा। मैं निवेदन कर दूँ कि इस छोटी सी बात के लिए उलझन में डाल कर इस सवाल को उठाया जाना मैं बिल्कुल नीति के विपरीत समझता हूं। हमारी गवर्नमेंट के अनुकूल यह सवाल नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय ने, दांता रामगढ़ से आये हुए माननीय सदस्य के निवेदन करने पर थोड़ा नाराजी का रुख इस तरह से लिया और कहा कि ऐसे विषय जो यहां से ताल्लुक नहीं रखते हैं ...

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से निवेदन कर दूँ कि जो इस सम्बन्ध में व्यवस्था दे दी गई है, उसे वापिस न खोलें।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : मेरा निवेदन करना यह है कि शायद मुझ को भी थोड़े से शब्द में अपने भाव का निरूपण करते हुए निवेदन करना पड़े कि जागीरदारों के प्रश्न को लेकर, छोटे जागीरदारों के प्रश्न को लेकर अगर इस प्रकार की कोई समस्या फिर उपस्थित होगी तो मैं भी विनम्र सदस्य होने के नाते यह निवेदन कर देना चाहता हूं, ऐसे मामलों के अन्दर लाखों लोगों का दिल दुखाने की शायद मन्त्री महोदय चेष्टा नहीं करेंगे। यह दूसरी चीजों का सवाल नहीं है, इसका फैसला हो चुका है और एक पर्सेन्टेज़ कायम हो कर के सवाल तय हो चुका है। तो इसके वास्ते कोई छोटी छोटी बातों के लिये, बाल की खाल निकालने की वैसी कोई विशेष आवश्यकता नहीं होगी और जहां तक मैं समझता हूं मन्त्री महोदय भी इसके लिये कटिबद्ध नहीं होंगे कि इन छोटी छोटी बातों पर ज्यादा जोर दिया जाय

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

इस समय तो प्रश्न सिर्फ यह है कि नेहरू अवार्ड पर कानून है उस पर विचार हो रहा है उस पर न तो सदन में ही, न सदन के बाहर और न मन्त्री महोदय की तरफ से और सेंटर तक में भी, इस चीज़ के ऊपर जो नेहरू महोदय ने तय कर दिया है उसके खिलाफ हम लोग कोई कदम भी नहीं उठा सकते। गरीब से गरीब आदमी के सवाल को आर्बीट्रेशन में ला कर पंच फैसला कर दें तो कोई कुछ नहीं कह सकता। तो हम तो वैसे ही चुप हैं। नेहरू अवार्ड क्या है, पांच सात करोड़ चांदी के टुकड़े देकर प्रलोभन का सवाल था, जागीरदारों ने सब कुछ खो कर, छोड़ कर अलग हो गये पहले भी जागीदार इसके लिए लालायित नहीं थे और न अब लालायित हैं। इसके लिये बाहर वाले समझें कि धन्यवाद दिया जाय तो न तो इसके लिये धन्यवाद देने की आवश्यकता है और न अधन्यवाद देने की आवश्यकता है। पर यह सुलझा हुआ मामला आ रहा है, उसको उलझाना, दूध के बड़े बर्तन में खटाई डाल कर बिना काम उलझाने की कोशिश करना, इसको मैं कतई उचित नहीं समझता। मैं समझता हूं जागीरदारों के इन्ट्रेस्ट के वास्ते हम लोगों के हृदयों में आग जलती है उससे ज्यादा, स्वतन्त्रता भारत को प्राप्त हुई, किसी प्रकार से येन केन प्रकारेण आयन्दा के लिए रह जाय, इसके लिये ज्यादा सतर्क हैं। छोटे छोटे मामले को ले कर उलझा कर खुश होते है और जो शब्द इस्तेमाल होते है तो मैं समझता हूँ इस मामले में और पहले जितने विशेषण जागीरदारों के लिए लगाये जा सकते हैं वे विशेषण जागीरदारों के लिये लगाये। यह मन्त्री महोदय को विचार लेना चाहिये कि यह राजस्थान, राजपुताना, राजपूत ये तीनों चीजें इस तरह से ओतप्रोत हैं जिस तरह मांस हड्डी आपस में ओतप्रोत है जिस तरह खून और मांस है। मैं तो यह समझता हूँ जागीरदारी खत्म होने के बाद भी राजस्थान की हालत शायद वही हो रही है....

श्री किशनसिंह बट्टड (लछमनगढ़): जागीरदार तो दूसरी कौम के भी हैं।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : अब तो न जागीरदारों की और न किसानों की, आप तो बिराजे रहिये।

मेरे ख्याल से माननीय सदस्य फरमा रहे हैं कि वे जानते हैं कि जागीरदारों की कितनी सेवाएं नहीं रही हैं, यह चीज जो लाखों वर्षों से चली आ रही है वह १२ वर्ष के हर ताल फेर देने से खत्म होने वाली नहीं है।

इतनी दलीलें देने पर माननीय राजस्व मन्त्री जी जिद नहीं करेंगे, यह आशा करता हूं।

श्री मोहरसिंह (चूरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन के सामने राजस्थान लैंड रिफोर्म्स एन्ड रिज़म्पशन ऑफ जागीर्स (ग्यारहवां संशोधन) विधेयक, १६५६, क्लॉज़ बाई क्लॉज़ विचारार्थ प्रस्तुत है। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि राजस्थान में भूमि सुधार के कानून के कारण दो वर्ग जागीरदार और किसान नज़दीक में आये है। इस बात से किसी तरह इन्कार नहीं किया जा सकता पर कुछ सम-

(श्री मोहरसिंह)

स्याएं अब भी हल करने को बाकी हैं। इसके लिए दो मुद्दे अमेंडमेंट में प्रोवाइड किये हैं। पहला मुद्दा क्लॉज़ २ में है : 'Jagirdars to deliver records'... जो सरकार से सम्बन्धित है. जिसके सम्बन्ध में राजस्थान सरकार की तरफ से मुद्दा रखा गया है कि जागीरदारों के पास रेकॉर्ड है, वह गवर्नमेंट को सौंप दिया जाय। इसके उद्देश्य और कारणों का विवरण है, उसके दूसरे पैरा को पढ़ने से साफ जाहिर हो रहा है :

'बोम्बे मर्ज्ड टेरिटरीज़ एन्ड एरियाज़ (जागीर्स एबोलिशन) एक्ट, जो कि नये राजस्थान राज्य के एक भाग को लागू होता हैं, की भांति मूल एक्ट में, जागीरदार की जागीर भूमियों के प्रशासन एवं प्रबन्ध तथा उसकी आमद व खर्च की विभिन्न मदों से सम्बन्धित ऐसे कागजों की डिलीवरी अथवा उनकी सुपुर्दगी के लिये बाध्य करने के बारे में कोई प्रावधान नहीं है जो जागीरदार के कब्जे में या अधिकार में हो।'

कुछ इस तरह की चीजें इसमें रखी हैं इससे आभास होता है कि अब तक गवर्नमेंट ने रेकॉर्ड राजस्थान के जागीरदारों से लिया, बोम्बे का विशेष रूप से बाकी रहा है। एक तो एक हिस्से का सम्बन्ध, दूसरे अब तक रेकॉर्ड लिया जाता था, उसको कानूनी रूप देने के लिए यह दो चीजें आई हैं, तो मैं समझता हूँ कि जागीरदारों की ओर से जो यह मुद्दा रखा जा रहा है कि हमारे पास से रेकॉर्ड क्यों लिया जा रहा है, इसके लिये गवर्नमेंट सीधा सा संशोधन रख सकती है कि असली रेकॉर्ड ले कर ट्रू कापी उनको दे सकती है। एड्मिनिस्ट्रेशन के लिहाज़ से गवर्नमेंट के पास यह रेकॉर्ड रहना आवश्यक है। इसलिये यह क्लॉज़ २ गवर्नमेंट ने रखा है उसका मैं समर्थन करता हूँ। बिना किसी खर्चे के ट्रू कापी जागीरदारों के पास पहुंच जायं, इसमें किसी के अहित की गुंजायश नहीं है। यह २ क्लॉज़ बुरा नहीं है, ठीक है इसका मैं समर्थन करता हूं।

दो चार बातें मैं इसके सम्बन्ध में सदन के समक्ष निवेदन करना चाहता हूं। मैं इसमें न जागीरदारों का किसी प्रकार का अहित समझता हूँ और न और किसी का। जागीरदारी प्रथा को मिटाने के लिये फंडामेंटल लड़ाई थी क्योंकि जागीरदारी नाम की चीज़ जब तक कायम थी तब तक भूमि सुधारों की कोई चीज़ कामयाब होने वाली नहीं थी, तो उस प्रथा को हमने खत्म किया और एक बड़ा कदम भूमि सुधारों के बारे में उठाया...

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : आपने नहीं मिटाया, उन्होंने स्वयं ही जागीरें मिटाई हैं।

श्री मोहरसिंह : किसी ने मिटाया, आपके सहयोग से सरकार ने लिया पर हमने कदम उठाया और राजस्थान के भूमि सुधारों में बहुत बड़ी तब्दीली लाये, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता।

श्री मदनसिंह : यह तो समय की बात है।

श्री मोहरसिंह : समय को इन्सान बदला करते हैं। आपकी समझदारी से या किसानों और दूसरे लोगों के एजिटेशन से बदला पर हमारे यहां एक समस्या थी उसको हल किया गया है।

Page No.49

(श्री मोहरसिंह)

तो यह शंका प्रकट की गई कि जागीरदारों को नुकसान होगा, यह ठीक नहीं है। एक माननीय मित्र ने तो इस बात पर बल दिया कि इससे सारा मामला ही रीओपन होता है। यह बात गरमी में कही गई। उसकी सही कापी उस जागीरदार के पास भेजी ताकि किसी प्रकार की गलती की संभावना नहीं रहे। इसके साथ साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा फन्डामेंटल प्रिन्सिपल जो था वह जागीरदारी प्रथा को मिटाना था वह तो मिट गई और इस वजह से उन लोगों में गर्मी पैदा होती है। यदि कोई किसी प्रकार की धमकी दे उससे हम डर नहीं सकते। किसान वर्ग को ऊंचा उठाने के लिये और जागीरदारी प्रथा को समाप्त करने के लिये हम शुरू से लड़ते आ रहे हैं...

श्री उपाध्यक्ष : Challenges and Counter challenges is not our subject.

श्री मोहरसिंह : इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस क्लॉज़ का समर्थन करता हूं और इसको ठीक समझता हूं।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान लैंड रिफोर्म्स एण्ड रिजम्पशन ऑफ जागीर्स (ग्यारहवां संशोधन) विधेयक, १६५६ हमारे सामने है। मैं सबसे पहले यह जो संशोधन विधेयक हमारे सामने लाया गया है और जिस प्रकार से माननीय मंत्री महोदय ने इस विधेयक की रचना की है उसके लिये तो मैं माननीय मंत्री महोदय की चतुराई की दाद देता हूं। उन्होंने इसमें दो मुख्य विषय लिये हैं :

श्री दामोदरलाल व्यास : This is not general discussion. We are discussing only clause 2.

श्री दयाकृष्ण विजय : I am not going into the whole Bill. तो मैं निवेदन कर रहा था कि इसमें दो विषय लिये गये हैं। एक तो है कि जागीरदारों से उनका रिकॉर्ड लिया जावे और दूसरा यह है कि उन जागीरदारों को जिनकी आमदनी ५ हजार से कम है उनको अतिरिक्त धन दिया जावे। यह एक दूसरे से विपरीत है। यह एक ऐसा कानून है जैसे कुछ ब्लड बैंक वाले बच्चों का खून निकालते हैं उसके लिये वे पहले बच्चों को चुरा लेते हैं। उनको खूब खिलाते पिलाते हैं और उसके बाद उनको ब्लड बैंक में दे देते हैं, जिससे उनका सारा खून निकाल लिया जाता है। इस तरह का यह सारा कानून दिखाई देता है। जहां छोटे जागीरदारों को कुछ अधिक धन का प्रलोभन दे कर फुसलाया गया है वहां दूसरों को रेकॉर्ड के नाम पर जिस प्रकार ब्लड बैंक के लिये बच्चे चुराये जाते हैं और उनका खून चूसा जाता है उसी प्रकार खून चूसा जा रहा है।

श्री मोहरसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार उदाहरण देकर प्रभाव डालने का अच्छा तरीका है।

श्री दयाकृष्ण विजय : यह एक नया चैप्टर खोल रहे है। पहले राजस्थान जागीर रिजम्प्शन एक्ट बना उसमें इस प्रकार का प्रावधान है कि उनसे कॉपी उनके रेकॉर्ड की ली जावेगी। लेकिन दुःख का विषय है कि फिर यह रेकॉर्ड लेने की बात क्यों पैदा हुई और यह रेकॉर्ड क्यों लिया जा रहा है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप कौन से प्रोविज़न के बारे में कह रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्लेम्स के बारे में प्रोविज़न है।

श्री दामोदरलाल व्यास : तमाम कानून में कौनसा प्रोविज़न है, मैं वक्ता महोदय से पूछना चाहता हूं। वे बताने की कृपा करें।

श्री भैरोंसिंह : कौनसा प्रोविज़न है जिसमें वेरीफाई करने के लिये जागीरदारों से रेकॉर्ड की किताबें ली जाती हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय : अगर इसके लिये कोई प्रावधान नहीं है तो राज्य सरकार को क्या अधिकार था कि उनका रेकॉर्ड मंगाती और कॉपीज़ ले कर उनको दबाती।

श्री उपाध्यक्ष : अगर कोई ऐसा प्रावधान हो और माननीय सदस्य के ध्यान में हो तो वे बता दें ताकि माननीय मंत्री उसे देख लें।

श्री दयाकृष्ण विजय : उपाध्यक्ष महोदय, जागीरदारों के रेकॉर्ड मंगाये गये हैं और उनकी कॉपीज़ लिख ली है और रेकॉर्ड रख लिया है। ट्रू कोपी प्राप्त है। मैं यह निवेदन करूंगा कि आज जब हम पुरातत्व विभाग की ओर ध्यान देते हैं तो जागीरदारों के यहां उनके रेकॉर्ड में न मालूम कौन कौन सी बातें रखी हैं। हो सकता है कुछ मामूली चीजें रखी हों और हो सकता है कुछ ऐसी बातें हो जिसके कारण वे अपने पुराने रेकॉर्ड को नहीं देना चाहते हों। यह सही है कि जागीरदारी प्रथा समाप्त हुई मगर किसी व्यक्ति को अपने पुरातत्व विभाग को रखने का अधिकार है। अगर वह अपने पुराने रेकॉर्ड को रखना चाहता है तो राज्य सरकार उसकी उस मिलकियत को छीन नहीं सकती। मगर यहां पर राज्य सरकार उसकी उस मिलकियत को भी छीनना चाहती है जो संविधान की दृष्टि से उसको रिटेन करने का अधिकार है। वह व्यक्ति की प्रोपर्टी है। उस व्यक्ति की प्रोपर्टी को सरकार छीनना चाहती है। अगर आप किसी प्रकार से जागीर रिज़म्प्शन एक्ट के अन्तर्गत लेना चाहते हैं तो आप मूल रेकॉर्ड को न लीजिये। आप कॉपीज़ ले लें जो आपने पहले ही ले ली हैं। अब आप उनके पुरखों के जो भी कारनामें है उनके रेकॉर्ड को भी छीनना चाहते हैं...

श्री पूनमचंद बिश्नोई (उप मंत्री, शिक्षा विभाग) पुराने कारनामें सभी जानते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : 'Karnamen' is a contemptuous phrase I think.

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं समझता हूं कि यह उचित प्रावधान नहीं है। आज हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। चाहे वे जागीरदार हों या किसान हों उनको संविधान में दिये हुए अधिकारों का बराबर राइट्स है। आज कुछ लोग जागीरदारों और किसानों की आपस में बातें करते हैं। अब यह झगड़ा जागीरदार और किसानों के बीच का नहीं है यह झगड़ा जागीरदारों और सरकार के बीच का है। पंडित नेहरू ने कहा है कि इसके लिये अब कानून बन चुका है इसलिये इसके बाहर कोई कार्य नहीं किया जावेगा। और उन्होंने इस मामले में मध्यस्थता की और उसके फलस्वरूप जागीरदारों और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इन्डिया के बीच समझौता होता है उसको किस प्रकार से यहां पर तोड़ा जाता है और उसके विपरीत कार्य किया जाता है और कानून बनाये जाते हैं, समझ में नहीं आता कि संविधान के मौलिक अधिकारों के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है ? वे लोग पुरातत्व

(श्री दयाकृष्ण विजय)

विभाग में अपने पूर्वजों के कारनामें रखना चाहते हैं और भी आप उनको रखने नहीं देते हैं। उनका भारत के प्रधान मंत्री श्री नेहरू के साथ इस संबन्ध में समझौता हो गया है और उन्होंने अपनी व्यवस्था दे दी है। अब उसके खिलाफ यह कार्यवाही क्यों की जा रही है। मैं यह कहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय को विरोध करना चाहिये वह जागीरदारी प्रथा से और उसी से उनको अब रही है। वह समाप्त हुई। अब मैं समझता हूँ कि किसी व्यक्ति से जलन रखना कहां तक उनके लिये उचित है। मैं समझता हूं कि यह तो उचित नहीं है। हम सभी लोग जागीरदारी प्रथा को समाप्त करने के लिये तैयार थे और हमने मिल कर उसको समाप्त किया। लेकिन जो जागीरदारों के आदमी हैं वे रहें नहीं, अब यह आप चाहते हैं तो यह कैसे हो सकता है। क्या आप उनके साथ जिन्दगी भर तक दुश्मनी निकालते रहेंगे। यह मेरी समझ में नहीं आता। जिससे दुश्मनी निकालनी थी उनसे तो आप दुश्मनी निकाल नहीं सकते और निकालते नहीं जो हमारे यहां एग्रेसर बन कर आये थे वे आज भी यहीं बैठे हैं। इसी धरती पर बैठे हैं उनको आप निकाल नहीं सकते।

(हर्षोल्लास)

और जिनके पूर्वजों ने और जिन्होंने हमारी धरती पर अपना रक्त बहाया और देश की रक्षा की उनके लिये आज इस प्रकार की बातें करते हैं तो मैं समझता हूं कि ये न्यायोचित नहीं हो सकती।

एक माननीय सदस्य : यहां पर रेकॉर्ड लिया जा रहा है। दूसरा क्या चल रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आशा करता हूँ कि माननीय सदस्य प्रसंग पर ही चलेंगे।

श्री दयाकृष्ण विजय : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रसंग पर ही चल रहा हूं। मैं कहना चाहता हूँ कि जागीरदारों की जागीरों का रिज़म्पशन हुआ और उनको मुआवजे की बात हुई। मैं जानता हूं कि एक जागीरदार को जिस समय वह अपने मुआवजे के रूपये लेने के लिये जागीर कमिश्नर के दफ्तर में जाता है तो उस समय उसको सैकड़ों बार नाक रगड़नी होती है तब कहीं जाकर उसको रूपये दिये जाते हैं। इस बात को सिद्ध किया जा सकता है। इसी प्रकार अगर वे इस प्रकार रेकॉर्ड देने से बचना चाहेंगे तो उनको रिश्वत देनी होगी और अपना नाक रगडना होगा। इस प्रकार उनको परेशानी होगी और भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा। जब कि पहले से ही वेरिफाइड कापीज़ पड़ी हुई है फिर दुबारा रेकॉर्ड क्या लेना चाहते हैं। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जो क्लॉज़ रखा गया है उसमें क्या विचार व्यक्त किये गये हैं। आपने यह रखा है कि जागीरदार की जागीर भूमियों के प्रशासन एवं प्रबन्ध तथा उसकी आमद व खर्च की विभिन्न मदों से सम्बन्धित ऐसे कागज़ों की डिलीवरी अथवा उनकी सुपुर्दगी के लिए बाध्य करने के बारे में कोई प्रावधान नहीं है उसके लिए प्रावधान बना रहे हैं। लेकिन उसके लिए बाध्य क्यों करना चाहते हैं? जब तक उसके लिए सदन को कोई व्याख्या न दें, उसके अन्दर जो गूढ़ बातें हैं उसके पीछे जो पृष्ठभूमि है उसको समझाई नहीं जाती है तब तक सदन के लोग, जागीरदार जैसे लोग तो रहे नहीं है, वे विरोध

(श्री दयाकृष्ण विजय)

करते हैं। आखिर रेकॉर्ड मांगने का आपका क्या मकसद है ? जो विचार हैं आपके उनको रखना चाहिये। आपने जो उद्देश्य और कारण दिये हैं वे बिल्कुल अस्पष्ट हैं, विस्तृत नहीं हैं, सदन के सम्मुख आपको विचार करने के लिए बताना चाहिये था। उनको विस्तृत रुप से बताने के बाद ही उन पर विचार व्यक्त किये जा सकते थे। जहां व्यक्ति की स्वतन्त्रता का सम्बन्ध है, जहां नेहरू अवार्ड का प्रश्न है, वेरिफाइड कापीज़ दफ्तर में पड़ी हुई है, दुबारा उनसे रिकॉर्ड मांगना उनके साथ अन्याय किया जाना है। जिस प्रकार आपने फोर्थ शिड्यूल में दिया है इसमें सात बातें रखी हैं। लेकिन जिस प्रकार से रखा गया है कि इतना दिया जावेगा इन्कम वगैरह, तो उसको तीन चार भागों में रख देते तो समझ में आ सकता था। मंत्री महोदय की चतुरता की दाद देता हूं। आपने तो कर दिया, कोई अमेन्डमेन्ट रख देंगे, दुगना तिगुना कर देंगे यह नीयत इसमें रहती है। दूसरे अमेन्डमेन्ट ले आते हैं। जिनकी जागीरदारियां हैं उनको थ्री टाइम्स् दिया जावेगा। इसके पीछे भावना लगी हुई है कि लोग अमेन्डमेन्ट दें। इससे लोगों को हरैस कर रहे हैं। दो हज़ार का थ्री टाइम्स देना चाहते हैं यह तो एक ही क्लॉज़ में आ सकता था।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य कौनसा क्लॉज़ रेफर कर रहे हैं ?

श्री दयाकृष्ण विजय : Clause 4. Schedule.

श्री उपाध्यक्ष : बहस कर रहे हैं क्लॉज़ २ पर।

(विराम)

माननीय सदस्य से फिर निवेदन करूंगा कि क्लॉज़ २ पर बहस कर रहे हैं क्लॉज़ चार पर नहीं।

श्री दयाकृष्ण विजय उपाध्यक्ष : महोदय, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि यह क्लॉज़ व्यर्थ है और इससे काफी परेशानी होगी। जो भूतपूर्व जागीरदार हैं, चाहे वे ब्राह्मण हों या राजपूत, इस प्रकार के लोग हैं, उनके खिलाफ अन्याय होगा, नाजायज़ तरीके से वे परेशान होंगे। वेरीफाइड कापीज़ पहले ही दे चुके हैं और जिस रेकॉर्ड को पुरातत्व की दृष्टि से सुरक्षित रखना चाहते हैं उनसे न लिया जाय, यह उनके साथ अन्याय होगा।

श्री मूलचंद डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, वे पिछला इतिहास दोहरा रहे थे, मैं समझ नहीं सका आखिर इससे क्या भावना थी। सवाल यह था कि क्लॉज़ २ के अन्तर्गत हमें कुछ रेकॉर्ड्स मंगाना है। वह दो तरह का है : "... all records relating to the administration and management of his jagir lands..." साफ साफ कहा है। क्लीयर क्लॉज़ है उसको किस प्रकार भ्रामक बताते हैं। रेकॉर्ड का उपयोग समय समय पर होना चाहिये ; किसी का कोष खत्म कर दें, शायद कभी काम आजाय ? आखिर क्या बहस हो रही है ? दो चीजें ही तो मांग रहे हैं। मैनेजमेन्ट ऑफ हिज़ जागीर लैंड में "...all records relating to the administration and management of his jagir lands..." इसके सिवाय तो सरकार कुछ

(श्री मूलचन्द डागा)

मांग नहीं रही है। पीछे प्रोविज़ो दिया है : "Provided that it shall not be necessary so to deliver any records which exclusively deal with or evidence the grant or recognition of the grant to the jagirdar of the whole or any portion of the jagir lands so resumed." यह प्रोविज़ो पीछे दे दिया है। प्रोविज़ो देखने के बाद फिर आप देखिये कि यह कितना लिबरल क्लॉज़ है। "If any such jagirdar fails without reasonable excuse..." मैं समझ नहीं सका। जागीरदार रीज़नेबल रीजन्स देते हैं कि मेरे पास रेकॉर्ड नहीं है, it is not available with me.

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : जो अच्छी रिश्वत दे देते हैं....

श्री मूलचंद डागा : जागीरदारों ने ली नहीं। देकर कुछ कराया तो मैं नहीं जानता। हर पहलू पर दो तरह से विचार किया जा सकता है। रिश्वत देने के बाद रेकॉर्ड रख लिया जाता है। सवाल तो यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन आपका था और हुकमत आपकी थी। पुरानी फाइलें, केसेज़, उनको रखने से आपको क्या लाभ होगा जब कि जनता को कितना लाभ होगा। मान लीजिये हमारी तहसील में एक ज़ागीर है। उसने शासन किया। जितने कागज़ात हैं वे पब्लिक के काम आते हैं। पब्लिक रेकॉर्ड है। अवार्ड्स में दो तरह का रेकॉर्ड होता है। एक पब्लिक रेकॉर्ड, दूसरा ज़ागीरदार का है। जो पब्लिक रेकॉर्ड है वह ६० सेक्शन एवीडेन्स एक्ट में आता है। पब्लिक रिकॉर्ड हैं, आप ठीक रख सकेंगे क्या ? लेकिन यदि उसको लेकर के पब्लिक रेकॉर्ड के लिए रख दिया जावेग ताकि जनता के व्यक्ति लाभ उठा सके इससे आपका क्या होता है ? मैं नम्रता पूर्वक अर्ज करूंगा कि इसमें साफ बात कही गई है relating to administration ... कहा जाता है कि हमें परेशान और हैरान किया जाता है। लेकिन इसमें हैरानी और परेशान करने की क्या बात हुई, कोई बात नहीं है ऐसी। वह रेकॉर्ड दे दीजिये जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन से सम्बन्धित है। डीड्स हैं, डॉक्युमेंट्स हैं, ज्युडिशियल जजमेंट्स हैं, जो आपने दिये हैं। रेस जुडिकेटा का सवाल है। रेकॉर्ड देते हैं तो जनता के लोगों का लिटिगेशन बचेगा। सबूत देने में एक प्रूफ होगा। आपसे मांगा क्या जा रहा है ? इतनी तकलीफ और परेशानी में कहां डाला जा रहा है ? वह क्लॉज़ दूसरा है जिस पर कि बहस की जावेगी। जब रेवेन्यू रेकॉर्ड रखा है, टिनेन्सी एक्ट में संशोधन हुआ है और उसके आधार पर कुछ ज़मीन आपने ज्यादा रख ली है, रेकॉर्ड हाइड करना चाहते हैं....

श्री मदनसिंह दांता : हाइड करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास है

श्री मूलचन्द डागा : मौजूद है तो क्या मतलब है ? उस रेकॉर्ड का क्या मतलब है आपका ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : रेकॉर्ड से आपका क्या मतलब है ?

श्री मूलचंद डागा : आपने एडमिनिस्ट्रेशन किया था, शासन सत्ता आपके हाथ में थी। राजा महाराजा से राज्य लिया रेकॉर्ड किस बात के लिए दिया उन्होंने। आप

(श्री मूलचन्द डागा)

आपने उस रेकॉर्ड को रख कर क्या करेंगे आखिर रेकॉर्ड से पब्लिक का फायदा होगा। यही गलती हुई राजस्थान सरकार की कि उस समय ही सारा रेकॉर्ड कब्जे में नहीं किया। जिस तरीके से और आज मुआवज़ा मिल रहा है और फायदा उठा रहे हैं उस तरह नहीं उठाते। जो कुछ बचा हुआ रेकॉर्ड है वह तो पब्लिक के फायदे के लिए आप दे दीजिये।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा हो तो मैं थोड़ा सा इस संबन्ध में एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ, हो सकता है इस क्लॉज़ पर जो बहस हो रही है उसमें करटेल हो सकती है। कोटा डिवीज़न से आये हुए माननीय सदस्य की बहस सुनने के बाद यह ख्याल पैदा हुआ कि वास्तव में वे यह समझ रहे हैं कि यह नया प्रोविज़न है पहले प्रोवीज़न से इसका कोई संबन्ध है नहीं यह एक प्रकार से गलत फहमी हो रही है। मैं आपकी आज्ञा से इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं यह जो क्लॉज़ रखा गया है इस प्रकार का प्रोविज़न पहले कहीं है या नहीं इस बारे में ज़रा मैं पोज़ीशन एक्सप्लेन कर दूँ तो बहस काफी करटेल हो जायगी। महज़ खास तौर से श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य को इस से काफी मदद मिलेगी। मैं आपसे निवेदन कर दूँ हमने जो जागीर रिज़म्पशन एक्ट पास किया है उसमें इस बात का प्रोविज़न दिया हुआ है जहां रूल्स मेकिंग पावर्स गवर्नमेंट को दी हुई है रूल्स जो बना रखे हैं जागीरदारों के लिए यह लाज़िमी है जिस रेकॉर्ड को हम सरेन्डर कराना चाहते हैं उसको सरेन्डर कराने का प्रोविज़न आलरेडी रूल्स में है। मैं वह रूल एक मिनिट के लिये पढ़ कर सुना देता हूं। रूल २६ इस प्रकार से है:

"Taking over charge of the resumed jagirs.--As soon as may be, after the issue of notification under section 21 of the Act, the Collector, within these district such jagir or portion there of is situated, shall call upon the jagirdar concerned to hand over charge of the revenue records and schools and hospital buildings not situated within his residential compound, to the officer specified by the Collector;

Provided that the Collector may extent the time for handing over charge of the revenue records upto 21 date of the resumption." इसका मतलब यह है कि रेवेन्यू के जो रेकॉर्ड है वे जागीरदारों को सरेन्डर करने चाहिये जागीर रिज़म्पशन के बाद। अगर उसके लिए कोई जागीरदार टाइम चाहे तो कलेक्टर उसको बीस रोज का समय दे सकता है। मगर यह प्रोविज़न इस बात का है कि जो सरेन्डर नहीं करता उसके लिए पेनेल्टी क्या हो, पहले प्रोविज़न नहीं था वहीं हम इसके द्वारा रखने जा रहे हैं। प्रोविज़न्स का एनफोर्समेंट तब तक नहीं होता जब तक उसके लिये इफेक्टिव मेजर्स नहीं होते वह प्रोविज़न बेकार है। इसमें नया कुछ नहीं कर रहे हैं....

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : उसके लिये तो पेनेल्टी थी कि पूरा कम्पेनसेशन नहीं मिलता था।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह आपने कहां पढ़ा।

Page No.55

श्री मदनसिंह उसी में प्रोविज़न है।

श्री दामोदरलाल व्यास : I don't want to be disturbed in this way, Sir... यह प्रोविज़न तो आलरेडी है नया जो प्रोविजन रख रहे हैं वह बोम्बे लाइन्स पर है इसलिये रख रहे है। ऐसा हमें महसूस हुआ कि जागीरदारों ने रेकॉर्ड ऑफ राइट्स को सरेन्डर नहीं किया था। हर एक काश्तकार की मिल्कियत का संबन्ध है वह भी जागीरदारों ने सरेन्डर नहीं किया। मैं नहीं समझता उनके पेश करने में डिफिकल्टी क्या है? आप रूल्स की तहत में सरेन्डर करते नहीं। जैसा कि अभी कहा गया कि कम्पेनसेशन विदहोल्ड कर दिया जाता है। मैं उनसे निवेदन करूं ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। इसी प्रकार से पट्टे बहियां जिसमें एग्रीकल्चर लैन्ड और नॉन एग्रीकल्चर लैन्ड के सेल के पट्टे दिये है वे पट्टे जिन बहियों में दर्ज है उनको भी जागीरदारों ने पेश नहीं किया। आज इसके अभाव में यह पता नहीं पड़ सकता कि कितनी ज़मीन अलॉटेड है। पैनेल्टी इस बात की है, जागीरदार इस प्रकार का रेकॉर्ड है, वह देते नहीं। तहसीलों के पास में इसके कारण रेकॉर्ड ऑफ राइट्स चाहे वह आबादी की ज़मीन हो, चाहे एग्रीकल्चर लैन्ड हो चाहे नॉन-एग्रीकल्चर लैन्ड हो, वे इसके कारण कम्पलीट नहीं है। वह प्रोविज़न इफेक्टिव हो इसके लिये पनिशमेंट प्रोवाइड किया गया है। किस तरह से इस रेकॉर्ड को सरेन्डर करने की कार्यवाही की जायगी। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जागीर लैन्ड इससे यह साफ ज़ाहिर होता है कि जागीर लैन्ड के एडमिनिस्ट्रेशन के मुतल्लिक जो कागज़ात हैं वे ही लिये जायेंगे। इस बारे में यह भी कहा गया कि शादियों के जो हिसाबात हैं उनको भी लिया जायगा। मैं माननीय सदस्य से, जिनको इस प्रकार की शंका है उनसे निवेदन कर देना चाहता हूँ कि न तो हमारी यह मन्शा है कि हम इस प्रकार के हिसाबात लें और न लेंगे ही, उनसे यह साफ तौर से कह देना चाहता हूँ कि जागीरदारों के जो प्राईवेट अकाउन्ट्स हैं दे विल नोट सरेन्डर। जागीरों का रिज़म्पशन हुआ उनके रेकॉर्ड ऑफ राइट्स का जब सैटिलमेंट हुआ उनका एन्युअल रजिस्टर है खसरा उसके बिना काश्तकारों के राइट्स सही तरीके से मालूम नहीं हो सकते। पट्टा बही जिसमें एग्रीकलचरल और नॉन एग्रीकल्चरल लैन्ड के पट्टे किस किस को दिये गये हैं उन पट्टा बहियों को भी सरेन्डर नहीं किया, पैनेल्टी इस बात की है। ताकि यह पता चल सके कौन सी ज़मीन किसके पास है। वह चीज़ गवर्नमेंट के पास नहीं रहेगी तो मैं यह नहीं समझ पाया कि वह जागीरदार साहबान के किस काम आने वाली है। जागीरों के रिज़म्पशन होने के बाद उसका कोई संबन्ध नहीं रहता। फिर भी मैं समझ नहीं पाया कि आप सरेन्डर करने में क्यों हिचकिचाते हैं। आप जब कि सर्टिफाइड कॉपीज़ देते हैं तो आपको असल देने में क्या एतराज है। रोज़मर्रा के ऐसे केसेज सामने आते हैं कि कोई न कोई व्यक्ति जमीन का पट्टा पेश कर देता है उसको हमें मानना पड़ता है। क्योंकि सैटिलमेन्ट के दरमियान काफी अर्सा गुजरा, करीब पांच वर्ष हो गये किन्तु इन पांच वर्षों के बाद भी जागीरों का रिजम्पशन हो गया फिर भी आप रेकॉर्ड ऑफ राइट्स सरेन्डर नहीं करना चाहते। मेरा आपसे निवेदन है कि जागीरों के मुत्तल्लिक बड़े बड़े झगड़े थे जिनको बातचीत द्वारा हल किया गया आपको इसमें किसी तरह की गड़बड़ी मालूम हो तो आप मुझे

(श्री दामोदरलाल व्यास)

कहें मैं उसका निराकरण करने के लिए तैयार हूँ लेकिन केवल यह कह देना कि जागीरों के जो रेकॉर्ड्स मांगे जा रहे हैं यह बुरी बात है यह उचित नहीं है। अपन लोगों ने बातचीत से बहुत बड़े बड़े मसले हल किये हैं। यह जो प्रोविज़न है वह इसको इफेक्टिव बनाने के लिए रखा है। इसके अलावा और कोई बात नहीं। आशा है मेरे इतने निवेदन के बाद माननीय सदस्यों की जो शंका थी उसका निराकरण हो गया होगा।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ २ पर जो उनियारा से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है, उसका मैं विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ दो केवल सरकार को अधिकार देता है जिससे जो जागीरें सरेन्डर की जा चुकी हैं सरेन्डर की जाने वाली जागीरों के जो रेकॉर्ड ऑफ राइट्स हैं वे सरकार को सौंप दिये जायं। कई माननीय सदस्यों ने इस प्रकार के रेकॉर्ड ऑफ राइट्स देने के बारे में विरोध किया और कहा कि इनको पेश नहीं करना चाहिये। क्लॉज़ दो में स्पष्ट प्रावधान है कि जो जागीर के समय का एडमिनिस्ट्रेशन था, उसके जो कागज़ जाते हैं, वे सब सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने हैं। माननीय उपाध्यक्ष, जो जागीरें रिज्यूम की जा चुकी हैं अब वह गवर्नमेंट में वेस्ट हो चुकी है, वैसी हालत में जिनके पास उनके रेकॉर्ड्स वगैरह हैं वे उनके लिए बेकार हो जाते हैं, कानूनी रूप से उस पर गवर्नमेंट का हक हो जाता है जो रेकॉर्ड्स जागीरों से संबन्ध रखने वाले थे, वे कानूनी रूप से सरकार के होने चाहियें इसलिए जागीरदारों का इस संबन्ध में विरोध करना किसी सिद्धान्त पर आधारित मैं नहीं मानता।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे केसेज़ भी हमारे सामने आये जिसमें जागीरें रिज़्यूम हो चुकी, जागीरदारों द्वारा रसीदें दे दी गई। गवर्नमेन्ट लैन्ड थी अनआॅक्यूपाइड लैन्ड थी या आबादी की लैन्ड थी उनको बैक डेट में देना बता दिया। आपस में कोलिजन होने से जागीरदारों द्वारा उनके रेकॉर्ड न लिये जांय तो उसका दुरुपयोग करने की आशंका थी। जागीरदारों ने अधिक मुआवज़ा प्राप्त करने की नीयत से ऐसे रेकॉर्ड तैयार किये हैं। अगर वे रेकॉर्ड सरकार के पास आ जाते हैं तो यह पता चल सकता है कि जागीरदारों की इनकम क्या थी, किसानों के राइट्स क्या थे, यह भी सरकार को मालूम हो सकते हैं। इसके साथ साथ जैसा कि राजस्व मंत्री महोदय ने निवेदन किया है कि सैटिलमेन्ट हुए काफी अर्सा हो गया, जागीर रिज्यूम किये हुए काफी अर्सा हो गया फिर भी रेकॉर्ड में चेन्जेज़ होते हैं। इस प्रकार का रेकॉर्ड गवर्नमेंट के पास आ जाता है तो जिस तरह का विरोध हो रहा है वह रुक सकता है। मेरा यह निवेदन है कि यह क्लॉज़ जिस तरह का रखा हुआ है, उसी तरह का पास किया जाय।

श्री रघुवीरसिंह (राजगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ ऐसा लगता है कि राजस्थान सरकार के दिमाग में यह आया हुआ है कि जागीरदार के यहां पर, जैसे सरकार के रेवेन्यू विभाग हैं, होम विभाग हैं या और कोई विभाग है वैसे ही जागीरदार के पास भी अलग अलग विभाग होते होंगे और उनका अलग अलग रेकॉर्ड रहता होगा और इस

(श्री रघुवीरसिंह)

बिना पर यह संशोधन लाया गया है कि वे अपना सारा रेकॉर्ड हमें डिलीवर करें। पर वास्तविकता यह है कि रेवेन्यू रेकॉर्ड जैसी कोई कोई चीज़ जागीरदार के पास नहीं थी। हो सकता है किसी एकाध के पास ऐसा रेकॉर्ड रहता हो। पर ६६.६ ऐसे थे जो रेवेन्यू रेकॉर्ड जैसी चीज़ में समझते ही नहीं थे। ऐसा अगर होता, अगर वे सेटिलमेन्ट कराते तो क्यों आज सरकार को कई सालों तक जागीरें जब्त रखने की आवश्यकता पड़ती और क्यों उसे अपना सेटिलमेन्ट कराने के बाद रिज्यूम करती इसका कारण यह है कि उनके पास रेकॉर्ड सेटिश-फेक्टरी ढ़ंग से अलग से नहीं रहता था। उनके पास एक ही रेकॉर्ड था जिसे हम शाया कहते हैं अकॉउन्ट बुक या कैश बुक या आजकल की लैंगवेज में और कुछ नाम रख लीजिये आप उसे कह सकते हैं। उसी एक किताब में सब आमदनी आमदनी की तरफ जमा होती थी और दूसरी तरफ जो खर्चा होता था वह खर्चा लिख दिया जाता था। उसमें चाहे तरक्की के लिये खर्चा होता हो, चाहे बाल बच्चों की शादी में खर्चा होता हो या कुआं बनाने में होता है कुछ भी खर्चा होता था घर का वह सारा लिखा जाता था। तो एक तरह से वह तो उनके घर का हिसाब था जिसे वे एक बही में और एक शाया में रखते थे। ऐसी स्थिति में कहना कि हम डिसपर्समेंट का हिसाब चाहते हैं। डिसपर्स-मेन्ट का इस शाया के आलावा कौन सा हिसाब है। शादी विवाह घर का सभी हिसाब किताब इसमें रखते थे और जो कुछ आमदनी होती थी वह भी इसी बही में होता था और मैं तो यहां तक निवेदन करूंगा कि अधिक-तर लोगों के पास वसूल करने का, लगान बांटा आदि लेने का भी तरीका यह था, जमा की तरफ आसामियों के नाम होते थे तो उनके नाम से जमा कर लिया जाता था। ऐसी स्थिति मे कहना कि सैटिलमेन्ट रेवेन्यू का रेकॉर्ड जो उसके पास है दिया जाय यह मेरी समझ में नहीं आया। जब आपने अपना सैटिलमेंट कर लिया, अपना लगान कायम कर दिया उस लगान पर मुआवज़ा दे रहे हैं फिर समझ में नहीं आया कि हमारे पास कौन सा रेवेन्यू रेकॉर्ड है जिसकी आपको दरकार है जिससे आप हमारे मुआवज़े को केलकुलेट करोगे, अथवा रेकॉर्ड ऑफ रेन्ट डिटरमिन करोगे। इसके लिए तो हमारे ख्याल से अगर उनके आधार पर रेकॉर्ड ऑफ रेन्ट डिटरमिन किया गया या जागीर-दार के हक हकूक घोषित किये गये तो मुझे तो यह प्रतीत होता है कि आप फिर से केऑस पैदा कर देंगे और आपका अब तक का किया कराया सारा सैटिलमेन्ट बेकार हो जावेगा। जब आपने अपना सब रेकॉर्ड तैयार कर लिया तो जागीरदार के रिकॉर्ड से अब कौनसी नई चीज़ आपको मिल जावेगी यह तो है नहीं कि अगर मिल भी गया सैटि-लमेन्ट का आप का जो रेकॉर्ड है वह जागीरे-दार के रेकॉर्ड से सुपरसीड हो जावेगा। ऐसा कहीं प्रोवाइड नहीं है। अब रह गया प्रश्न यह कि जागीरदार ने पट्टे कर दिये। मैं अर्ज करता हूं की एकाध जागीरदार के यहां ऐसा होगा कि जो छपे छपाये पट्टे रखते हों और वे १ पर्सेन्ट होंगे जो इसका पूरा ठीक तरह से अकाउन्ट भी रखते हों।

आम तौर से यह होता था कि जो जमीन दी ली जाती उसका जमा खर्च उसी बही में होता था....

श्री दामोदरलाल व्यास : I want to inform the Hon'ble Member that atleast 50 percent of the jagirdars have maintained their pattas and it is wrong to say that only 1 percent have maintained their pattas. तो यह कहना कि पाट्टा बही बहुत कम जागीरदारों के पास है सही नहीं है।

श्री महेन्द्रसिंह (अजमेर नगर पूर्व) I would like to know from the Hon'ble Minister whether these pattas are original or only copies ?

श्री दामोदरलाल व्यास : They should have delivered original pattas to the Government, but they have not actually delivered and whenever question of patta arises...

श्री महेन्द्रसिंह : Hon'ble Minister should realise the factual position. Original patta is always handed over to the grantee of the land.

श्री दामोदरलाल व्यास: I know. I have seen hundreds of such document.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार: They must be copies.

श्री दामोदरलाल व्यास : I am talking of patta bahies.

श्री महेन्द्रसिंह : They are copies. Office copy is no proof.

श्री रघुवीरसिंह : आपने फरमाया कि ५० पर्सेन्ट जागीरदारों ने पट्टा बहियां रक्खी है, इस पर मैं निवेदन करूंगा कि ५० पर्सेन्ट तो बहुत दूर है आप कम से कम २० पर्सेन्ट भी साबित कर दें तो सारे कागज़ों को हम आपके पास पेश कर देंगे। १ हज़ार से १२ सौ तक की आमदनी वाले भी जागीरदार हैं और पांच हज़ार से ऊपर वाली भी। आपके फिगर के अनुसार ये कुल २६० हज़ार जागीरदार हैं। इनमें से ५० पर्सेन्ट के हिसाब से १.४० हज़ार जागीरदार होते हैं। तो मैं तो अर्ज करूंगा कि १४० हज़ार जागीरदारों के बजाय आप पांच हज़ार के लिये भी साबित कर दें तो मैं मान लूंगा कि आपका यह कानून सही है। लेकिन वस्तु स्थिति तो वह है कि एक हज़ार ने भी पट्टे बही पेश नहीं कीं। फिर एक हज़ार या पांच सौ जागीरदारों ने बहियां पट्टे पेश भी कर दिए तो पट्टे तो काश्तकारों के पास हैं आप उनको वेरीफाई कैसे करेंगे। अब किसी ने काउन्टर फाइल रक्खी किसी ने न भी रक्खी, हो ऐसा बहुत सम्भव है। अब ऐसा तो कोई कानून था नहीं कि जागीरदार के लिये इस तरह का हिसाब रखना ऑब्लीगेटरी हो। वे जबर्दस्ती रक्खें ऐसा तो था नहीं, तो इसलिये यह कहना कि पट्टे बही की काउन्टर फाइल पेश करना पड़ेगा तो मैं निवेदन करूंगा कि ऐसी स्थिति हमारे पास बहुत कम ही लोगों के पास थी जो इस तरह से पट्टे बही रखते थे। आम लोगों के पास पट्टा बही नहीं थी। १ पर्सेन्ट के पास ही मुश्किल से हो सकती थी।

अब सवाल होता है आप इनको भी क्यों सरेन्डर करना चाहते है। अब हमने किसी तरह से कब क्या खर्च किया यह सब हमारी बहियां देखकर आप क्या करना चाहते हो ? न आज आपको उसको देखकर कोई एक्सपेन्डीचर टैक्स लगाना है और न ही इस अकाउन्ट को लेने का इस कानून में कोई प्रोवीजन

(श्री रघुवीरसिंह)

है कि हमने जो डिसबर्समेन्ट किया उसके हिसाब से कॉस्ट ऑफ मैनेजमेन्ट या अरेन्जमेन्ट देंगे। तो आपकी यह बात समझ में किसी भी पोइन्ट से बैठती नहीं।

अब इसका नतीजा क्या होगा ? वैसे तो मैं निवेदन करूं कि जो क्लेम हम देते हैं उसके प्रूफ में जो इविडेन्स होती है उसमें अकाउन्ट हमें वैसे भी जरूर पेश करना पड़ता है। उसके बगैर क्लेम चलता नहीं। अगर पट्टा करके आमदनी कर ली है उस पर कम्पेन्सेशन क्लेम करते हैं तो लाज़िमी है कि उसका प्रूफ भी देना पड़ेगा और वह प्रूफ भी खाली पट्टा वही नहीं मांगता। साथ साथ हमारे खरड़े में या हमारे साथ में या कैश बुक में इन्दराज़ होते हैं उसके साथ कम्पेअर करते हैं फिर वह मन्जूरी देते हैं।

११ म० पू०

ऐसी स्थिति में जो कुछ भी रेकॉर्ड्स जिसके बिना पर हम अपना कम्पेन्सेशन क्लेम करते हैं और जिसके बिना पर जागीरदारों को कम्पेन्सेशन मिलता है वह सारे रेकॉर्ड्स सरेन्डर हो चुके हैं और वह रेकॉर्ड्स आज जागीर कमिश्नर के ऑफिस में इस स्थिति में हैं कि उनको दीवल खा रही है। यह सरेन्डर करने वाली बात ऐसी है कि जिस समय आप जुर्माना करते हैं, आप उनके लिए मुसीबत खड़ी करते हैं। इसका नतीजा यह होगा कि कोई कम्पेन्सेशन का क्लेम देगा अगर वह यह भी कहता कि मुझे तो आपके रेकॉर्ड के अनुसार जो आपके रेवेन्यू रेकॉर्ड में दर्ज है रेन्ट रेट, उसके अनुसार आप मुआवज़ा दे दीजिए। तो अब तक तो यह था कि आपको देना पड़ता था और आप इसके लिए इन्कार नहीं कर सकते थे लेकिन अब आपके ऑफिसर्स क्या करेंगे कि वह जागीरदारों को कहेंगे कि तुम अपने कागज़ पेश करो और जब कागज़ात पेश कर दोगे तो कम्पेन्सेशन दिया जायेगा। इसका नतीजा यह होगा कि जागीर रिज़म्पशन एक्ट के अनुसार केवल मात्र यह कहने से कि मुझे कोई आमदनी नहीं चाहिए, आपके जो सैटिलमेन्ट के रेट्स हैं उसके अनुसार मुआवज़ा दे दीजिए और न तो मुझे रेकॉर्ड देना है और न मेरे पास रेकॉर्ड है, इस तरह की बात जागीरदार कह देता था। अगर यह अमेन्डमेन्ट आ जाता है तो इसका अर्थ यह होगा कि उस जागीरदार को यह कहा जा सकता है कि देखो जी जब तक तुम कोई न कोई रेकॉर्ड पेश नहीं कर दोगे तब तक हम मुआवज़े का फैसला नहीं करेंगे और अगर करेंगे भी तो १।१५ पर्सेंट काट कर कर देंगे। अगर आप ऐसा मानते हैं कि आपके सैटिलमेंट के अलावा भी कोई और सैटिलमेन्ट हुआ है तो स्पेसिफाई कीजिए कि कोई प्राईवेट सैटिलमेन्ट हुआ है और उसके आधार पर सैटिलमेन्ट को आपने उचित माना है। ठीक है आप उसके रेकॉर्ड्स को ले लीजिए लेकिन जहां सैटिलमेन्ट सरकार ने किया और उसके पास सारा रेकॉर्ड है फिर भी जागीरदार से कहना कि रेकॉर्ड लाकर दो और फिर मुआवज़ा दिया जायेगा, मैं तो समझता हूं कि सिवाय हरेसमेन्ट के और कुछ नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि एक तरफ इसी अमेन्डमेन्ट पर प्रधान मंत्री माननीय श्री नेहरूजी का अवार्ड है और उसी के साथ एक ऐसा पुन्छला लगा दिया है यह ठीक वैसे ही है कि पहले कुनीन खा लेगा तब बतासा मिलेगा। तो यह जो कुनीन की गोली रख रहे हैं, मैं तो कहता हूं कि राज-

(श्री रघुवीरसिंह)

स्थान सरकार की उदारता उस समय थी कि जो यह नेहरू अवार्ड था इसको तो किसी कुटेशन के और इसके साथ अगर मगर लगाने के यह कह दिया जाता कि यह नेहरू अवार्ड है और वह जागीरदारों को दे रहे हैं पर आपने तो खामख्वाह डिस्कशन के लिए यह पुन्छला जोड़ दिया है कि सारे नेहरू अवार्ड का मज़ा ही किरकिरा कर दिया।

श्री अनोपसिंह (बालोतरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे से पूर्व वक्ता ने फरमाया है कि आज इसका मौका भी नहीं था कि नेहरू अवार्ड के साथ इस प्रकार का कन्ट्रोवर्शियल मसला वादविवाद का इसके साथ आ जाता। एक तरफ तो नेहरू अवार्ड की बात आ रही है और दूसरी तरफ यह आ रहा है कि अपने रेकॉर्ड्स सरकार के सामने पेश करो याने सरेन्डर करो। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आया कि आप वही रेकॉर्ड्स चाहते हैं जो कि जागीरदारों ने पहले से अपने स्वार्थ के लिए आपके सामने पेश कर दिया हैं। हमारे खुद का इन्टरेस्ट है, जागीरदारों का इन्टरेस्ट है कि वह उसने अपने कम्पेन्सेशन की जो कुछ नकलें रखी हैं, जो कुछ कम्पेन्सेशन जागीरदार ने मांगा है उस कम्पेन्सेशन की एवीडेन्स पेश करने के लिए कम्पेन्सेशन को यह बताना कि यह जो कुछ उसने रकम वसूल की है, वह जायज की है और उस कम्पेन्सेशन का मैं हकदार हूं और उसे यह मिलना चाहिए, इसके लिए वह आगे होकर अपनी तरफ से, आप चाहें मांगे वह तो आखिर कानून में है कि जो कुछ आप कम्पेन्सेशन मांगते हैं उसके लिए एवीडेन्स पेश करें कि वह यह वसूल करता था या नहीं। तो इसके लिए तो वह आगे होकर रेकॉर्ड पेश करता है और उसको आपका ऑफिसर वेरीफाई करता है और वेरीफाई करने के बाद में अगर वह सही होता है तो सील लगाकर जागीरदार को वापिस दे देता है। हम यह नहीं कहते कि हम आपसे कोई रेकॉर्ड छुपाना चाहते हैं या कोई बात छुपाकर उस पर पर्दा डालना चाहते हैं। तो फिर जब हम अपने स्वार्थ के लिए आपके पास आते हैं और रेकॉर्ड पेश हो जाता है तो उसके बाद में हमें छुपाने के लिए कहा जाये कि तुम फलां चीज को छुपा रहे हो तो यह एलीगेशन कहां तक, उपाध्यक्ष महोदय, सही हो सकता है। इसके अलावा मैं यह अर्ज करूंगा आज पट्टे की रेकॉर्ड वही हैं जो कि जागीरदारों ने पट्टे दूसरों को करके दिया हैं। वह पट्टे आपके सामने किसी भी रूप में हैं या तो वह कापी के रूप में या असली रूप में आपके पास हैं। अगर किसी ने असली रूप में दे दिए तो दे दिए या फिर उसकी नकल बही-खाते में लिखी है तो आपके सामने लेकर आते हैं। २० साल की रेकॉर्ड्स आपके सामने पेश होती हैं और उसके बाद में ही कम्पेन्सेशन फाइनल होता है। अब मुझे पता नहीं कि अब आप कौन सा पट्टा मांगना चाहते है। इसके अलावा कोई पट्टे दिए होंगे तो वह आप पट्टे मंगा सकते हैं जिसमें सरकार ने कम्पेन्सेशन दिया हो या जागीरदार ने जो पट्टे का कम्पेन्सेशन लिया हो उसके सिवाय कोई रेकॉर्ड है तो दे दें इस तरह के, हो सकता है कि आपको शायद एक दो जागीरदार मिल जायें जिन्होंने कम्पेन्सेशन नहीं लिया हो और उस पट्टे को कमिश्नर ने कभी वैरीफाइ नहीं किया हो। यह तो सारी वैरीफाइड चीजें हैं, आप उसको वैरीफाई करके अपनी सील लगाते हैं और जागीरदार को वापिस दे देते हैं। फिर मुझे समझ

(श्री अनोपसिंह)

में नहीं आता कि आपका और रेकॉर्ड लेने से मतलब क्या है ? यही होगा कि इसके सिवाय कोई पट्टे बच रहे हैं और जिनका कम्पेन्सेशन नहीं लिया है जो पट्टे अभी तक पेश ही नहीं हुए हैं तो इस तरह के पट्टे मिलने तो बहुत मुश्किल हैं। मैं समझता हूं कि ऐसे एक आदि ही केस मिलेंगे। मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि वह इस बात को समझने की कोशिश करें कि ऐसे शायद मुश्किल से दो, चार या दस जागीरदार होंगे कि जिनके पास इतना लम्बा चौड़ा और मुकम्मिल तौर से रखा हुआ रेकॉर्ड होगा पट्टे बही अलग होंगे, डिस्पोज़ल के अलग होंगे और आय के अलग होंगे। इस तरह की चीज़ पांच दस जागीरदारों के पास होगी तो होगी अन्यथा २ लाख के करीब जितने जागीरदार थे और जिनको कम्पेन्सेशन गवर्नमेंट देना चाहती है और जो गवर्नमेन्ट के रेकॉर्ड पर हैं, हमारे पास इस तरह के रेकॉर्ड मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आखिर आप जो पांच, सात, दस या बीस जागीरदारों का जो कुसूर है या जो उनकी गलती हैं उनकी गलतियों को सारे जागीरदार समाज के ऊपर थोपना चाहते हैं, तो उपाध्यक्ष महोदय, आप ही बतायें कि यह कहां तक ठीक होगा। इसके सिवाय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करूंगा कि मान लीजिए कि कोई कहता है कि मेरे पास रेकॉर्ड नहीं है और मैं तो नहीं देता। तो वह कहेंगे कि मैंने पहले पट्टे दिये हैं तो उसका कम्पेन्सेशन लिया है और उस समय पट्टे की कापी दी है और उसको आपने वैरीफाई भी किया है फिर कौन सी चीज रह गई, मेरी समझ में नहीं आता। जैसा कि इसमें २२ ए के शिड्यूल २ और ४ में है : "—...relating to the administration and management of his jagir lands so resumed or pertaining to the various items of receipts and disbursements mentioned in clauses 2 and 4 respectively of the Second Schedule to this Act..." इसके सेकिन्ड शिड्यूल में है। फिर रिसीट पर जागीरदार ने अमुक अमुक लगान इस तरह के पट्टे के और हड्डियों से या पत्थर से जिस तरह से वसूल करते थे या जो कुछ उसकी आमदनी थी वह शिड्यूल के सेकिण्ड क्लॉज़ में है और चौथे शिड्यूल में यह है कि जागीरदार जिस तरह की आमदनी लेते थे उसको किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते थे, मतलब उसका खर्चा किस तरह से करें और खर्चा किस के लिये, फॉर दी मेनेजमेंट ऑफ हिज जागीर लेण्ड। मेनेजमेंट ऑफ जागीर लैण्ड के अन्दर यह कनफाइन हो जाता है कि कोई कामदार रखता था, कोई मैनेजर रखता था। कोई एजेन्ट रखता था यानी इस तरह का अमला रखा तथा स्टाफ रखता था। उस स्टाफ पर जो कुछ खर्च किया है वह शिड्यूल में विशेष तौर से दिया गया है तो उस खाते का क्या करेंगे। मैनेजर रखते हैं, एजेन्ट रखते हैं या कुछ स्टाफ रखते हैं उनको चुकाने के लिए जो कुछ भी होगा उसका इन्द्राज होगा कि इस तरह से खर्च किया, तो इस तरह के खर्चे को लेकर आप क्या करेंगे। वह आपके किस काम आयेगा ? कोई प्राईवेट रेकॉर्ड है तो उसके पास है। वह आपके किस काम में आ सकता है, । फिर भी मैं अर्ज करूंगा कि ऐसे थ्योरनी अलग टाइप जैसी बात है। उसके लिए निवेदन हो चुका है सदन के सामने। अलग अलग आइटम्स में अलग अलग हैड्स में जिस तरह कि आप

(श्री अनोपसिंह)

रेकॉर्ड मेन्टेन करते हैं, उस तरह से शायद किसी जागीरदार के पास रेकॉर्ड मेन्टेन किया हुआ, अलग अलग हैड में अलग अलग मद के अन्दर मिलना मुश्किल होगा। फिर उसमें यह होगा कि जिसमें लड़की की शादी का खर्च भी उसके साथ साथ आयेगा। उसके बाद वसूली की फलाने से वह इसके बाद आगया। फलाने का नुक्ता हुआ उसमें इतना खर्चा हुआ, और वहां पर खर्चा, फिर कहीं आ सकता है कि इतना यह हुआ। मैं अर्ज करूंगा कि इस तरह का रेकॉर्ड प्योरली एन्ड सिम्पली अलग अलग हैड में एक तरफ खर्चा और एक तरफ आमदनी इस तरह का वसूल का रेकॉर्ड १०–२० के पास ही होगा। आप चाहें तो उसके लिए फर्मा दें कि वह १०–२० जागीरदार कौन हैं? जो कि इस तरह के हैं जिन्होंने कि गलती की है, और जिन्होंने धोखा देकर गवर्नमेंट से पैसा लिया है, किसी को जागीर देने की कोशिश की है उस जागीर को मिटा देना चाहते हैं तो हम कोऑपरेट करने को तैयार हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर मदद की जरूरत हो तो लें। वह कहते हैं कि हमको इस तरह की बात चाहिए, वह अगर मांगते हैं तो ठीक बात है। १०–२० की गलती के कारण से २ लाख को धक्का देना चाहते हैं यह कहां का न्याय होगा। इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि जो कुछ हो रहा है रेकॉर्ड प्रस्तुत करने के बारे में, तो वह तो जागीरदार के स्वार्थ की बात है। अगर नहीं देते हैं तो कम्पेन्सेशन रुक जाता है। ऐसा मूर्ख कोई जागीरदार नहीं होगा जो, जो कुछ भी वसूलात की है, उसके लिए एवीडेन्स पेश करने को तैयार नहीं है। अगर वह तैयार नहीं होगा तो कम्पेन्सेशन रुक जायगा। यह बहुत सीधी सी चीज़ है। माननीय मंत्री जी आपकी मरजी की चीज़ है। आपका यह हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली टंटा पड़ा रह सकता है वह फर्मा दें तो मैं समझता हूं कि वह बात मानने की होगी। माननीय उपाध्यक्ष, इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि बात तो यह है कि यह प्रोविज़न तो बिल के साथ में आना ही नहीं चाहिए था। अगर आगया तो वह लाकर दिखा दें और जितने की आपको जरूरत हो उतना लेलें। जो हरेशमेंट होगा इस क्लॉज़ की वज़ह से उसको ध्यान में रखें। अगर आप समझते हैं कि हेरेशमेंट होता है तो परवाह नहीं; तब मैं समझूंगा कि एक रूलर दूसरे रूलर को रेकॉर्ड नहीं देता है तो वह आपके लिए मौजू नहीं होगा। जो रूलर अपना सब कुछ सौंप कर जाता है उन रूलर को हेरेशमेंट की क्लॉज़ डालकर तंग करने की बात करगें तो आपके लिए शोभा की बात नहीं है। आपके लिये मौजू नहीं है। एक रूलर का जो चार्ज लेता है तो जाने वाले रूलर के साथ वही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि सिकन्दर ने पुरु के साथ किया था। हम उस बात को लाना नहीं चाहते हैं। क्योंकि आज हम गिर गये हैं, हमारे से राज्य ले लिया है इसलिए ज्यादती कर सकते हैं। तो यह भी हो सकता है कि यह कम्प्लीमेंट की बात आपके लिए नहीं होगी। यह आपके लिए डिगनिटी के लिहाज़ की बात होगी कि इस तरह की क्लॉज़ जो ला रहे हैं हैरेशमेंट वगैरह की उसको निकाल दें। यह आपके लिए शोभा की बात होगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही अर्ज करके सदन से निवेदन करूंगा कि इस बात के लिए अच्छी तरह से सोच कर कदम उठायें, वर्ना इसका नतीजा यह होगा कि लोग

(श्री अनोपसिंह)

दुविधा में पड़ेगें।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने इस प्रोवीज़न के लिए अर्ज किया है कि यह नया प्रोविज़न नहीं है। आलरेडी प्रोवीज़न पहले से है। रेवेन्यू का रेकॉर्ड हरएक जागीरदार एसेसमेंट के वक्त में सरेन्डर करता है, और इसका प्रोवीज़न था पहले से....

११.१५ म० पू०

(श्री अनोपसिंह, सभापति, पदासीन)

केवल फर्क इतना सा है। फर्क यह कहना चाहिए कि एक बहुत बड़ा लेक्‌ना रह गया। क्यों रह गया ? किसी कानून में प्रोविज़न रखा जाय उसकी पाबन्दी किस तरह से करें। जिनका मतलब यह है कि यह प्रावधान नहीं होता तो वह प्रोविज़न इन्इफेक्टिव होता है। इसलिए ज़रूरी था कि ऐसा प्रोविज़न रूल्स में प्रोवाइड किया गया है। वह प्रोविज़न रखा हुआ है लेकिन वह इन्इफेक्टिव था इसलिए इस प्रोविज़न का होना जरूरी था कि किस तरह से उसका पालन किया जायगा। अगर जागीरदार पेश नहीं करता है रेकॉर्ड, सरेन्डर नहीं करता है तो उसके ऊपर किस तरह से उसको मज़बूर किया जायगा कि रेकॉर्ड पेश करे। इस तरह का प्रोविज़न नहीं होने से उस लेक्‌ने को दूर करने के लिए यह एमेंडमेंट पेश किया है।

माननीय सदस्यों ने बहुत सारी दुश्वारिया सदन में बतलाई और यह बतलाने की कोशिश खास तौर से की गई कि पट्टा नहीं और सैटिलमेंट का जो रेकॉर्ड है, रेकॉर्ड ऑफ राइट्स और डिस्ट्रिब्यूशन के लिए जो प्रोविज़न है उसके लिए, ऐसे बहुत कम जागीरदार होंगे जिनके पास में अलग अकाउन्ट्स होंगे। अलग अलग अकाउन्ट्स के साथ साथ सही यानी डिटेल्ड कागज़ात ठिकाने को तैयार करने होंगे। मैं आपका ध्यान सेक्शन क्लॉज़ २ है इसमें जो क्लॉज़ २२ ए नई इन्सर्ट की जा रही है उसकी लास्ट की थ्री लाइन्स की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें साफ तौर से लिखा हुआ है कि :
...in respect of such jagir lands, such jagirdar may have maintained or caused to be maintained or which may then be in his possession or power," यह सही नहीं है कि हरएक जागीरदार को पेश करना पड़ेगा। "who may have maintained or caused to have been maintained or which may then be in his possession or power.." अगर किसी जागीरदार के पास रेकॉर्ड तैयार नहीं हो तो he can very well say ऐसा तैयार नहीं है। यह दस्तावेज़ात नहीं है। वह कह सकता है कि वह उसके कब्जे में नहीं है। कहीं नहीं मिल रहे हैं। कब्जे में नहीं है या तैयार ही नहीं तो वह मज़बूर किया जायगा इतना नहीं है। अगर रेकॉर्ड नहीं है तो मजबूर कैसे किया जायगा ? बात यह है कि जागीरदारों के पास पहले था जो रेकॉर्ड है, ज़मीन-लैण्ड का एडमिनिस्ट्रेशन का जिससे सम्बन्ध है, वह रेकॉर्ड अब जागीरदारों के किसी काम का नहीं है। उस रेकॉर्ड को सरेन्डर करने का प्रावधान इसमें रखा गया है। मैं नहीं समझ पाया कि This has already been explained. जिन कागज़ात का उनकी शादी, विवाह, या उनके पुरखों के इतिहास से सम्बन्ध हैं वह सरेन्डर नहीं किये जा सकते

(श्री दामोदरलाल व्यास)

हैं केवल जागीरदारों के लेण्ड के एडमिनिस्ट्रेशन से ताल्लुक रखने वाले कागज़ात हैं वह पेश करने के लिए कहा जा रहा है। खसरा खतौनी सेटिलमेंट का रेकॉर्ड है वह हमको चाहिए। जो माननीय सदस्य राजगढ़ से आये हैं उन्होंने कहा कि सेटिलमेंट ने तैयार कर दिये हैं तो फिर क्या ज़रूरत है, यह सारी बातें कही है। उन्हें मैं जानता हूं। मेरी समझ में नहीं आया कि खसरे की बात को वे नहीं समझ सके। मैं नहीं समझ सका कि फिर क्यों ऐसी बात की कि सेटिलमेंट का रेकॉर्ड तैयार हो चुका है, लगान दर्ज हो चुका है फिर कागज़ों की क्या जरूरत है। सेटिलमेंट १६ साल पहले हुआ। उसके बाद में उसका एसेसमेंट हुआ। बहुत सी जगहों पर सरेन्डर हुआ। जागीरदारों ने इतने दिनों में किसी को इजेक्ट किया होगा। कोई ज़मीन जो पड़त पड़ी हुई थी, उसका अलॉटमेंट हुआ होगा, तो उसके रेकॉर्ड ऑफ राइट्स में तरमीम हुई होगी। वह तब्दिलियां कहां से आयेंगी सरकार के पास में जब तक कि आप रेकॉर्ड पेश नहीं कर देंगे। वह रेकॉर्ड आपके किस काम का है। आपने जागीरें सरेन्डर कर दीं मुआवज़ा लेकर तो वह किस काम में आयेगा। मैं नहीं समझ सका कि रेकॉर्ड ऑफ राइट्स का सम्बन्ध जागीरदार से नहीं है बल्कि रेकॉर्ड ऑफ राइट्स का सम्बन्ध है वह काश्तकार से है, उसकी मिल्कियत से ताल्लुक है, उसको आप क्या करेंगे। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि असेसमेंट के अन्दर जो कुछ भी रेकॉर्ड ऑफ राइट्स पेश कर चुके हैं। जो कुछ भी प्रोवीजन किया है। उसका मुआवज़ा बन जाता है तो उसको वेरीफाई करने के लिए मुआवजे के लिए लाज़िमी रखा गया है कि सबूत पेश करो कि जो क्लेम आप पेश कर रहे हो वह सही है या नहीं। उनसे यही कहा जाता है कि दस्तावेज़ पेश करना चाहिए अगर वह है तो की जायगी, और अगर किसी के दस्तावेज कब्जे में नहीं है तो वह पेश नहीं कर सकता है। क्लॉज़ ३३ के अन्दर यह प्रोविज़न है कि वह लिस्ट के अन्दर कर देंगे कि यह कब्जे के अन्दर नहीं है और फलां जगह वह है तो उसके मुताबिक जो प्रोसीज़र के तहत तलब करके दस्तावेज़ शामिल कर दी जायगी। वह आपके काम की नहीं है। जिसका ताल्लुक रेकॉर्ड ऑफ राइट है, केवल जमीन से है, लैंड के एडमिनिस्ट्रेशन से है और जिसका कि सम्बन्ध काश्तकार से है और सरकार से है। किसी जमीन पर किसी काश्तकार के हक हकूक हैं या नहीं, वह खातेदार काश्तकार है या नहीं, वह सबटिनेन्ट है या नहीं, और जिसका पहले टिनेन्सी से सम्बन्ध है वह आपके काम आने वाला नहीं है। उसको क्यों सरेन्डर नहीं करना चाहते हैं? इसको आप सरेन्डर नहीं करना चाहते हैं। सरकार के पास जब तक प्रोविज़न था तब तक मुकाबला करने की बात नहीं थी। आपने जब तक यह समझा कि जो प्रोविज़न रखा हुआ है वह डैड लेटर है, उसे एन्फोर्स नहीं कर सकते तब तक आपने कुछ नहीं कहा और जब आपसे यह कहा कि एन्फोर्स करने दीजिये तब आप नाराजगी का इज़रार करने लगे और कुछ सदस्य जोश में यहां तक कह गये.. मैं उसे दोहराना नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने जो कुछ कहा वह उचित नहीं कहा, इस प्रकार की बात कहने से हम कहीं नहीं पहुँचते हैं। आप यह कहें कि हम वह करें यह करें लेकिन सरकार उसूलों पर काम करती है उससे यदि आपकी नाराज़गी होती है तो हम कोशिश तो यह करते हैं कि

(श्री दामोदरलाल व्यास)

नाराज़गी न हो, एड्जस्टमेंट करके प्रोविज़न एड्जस्ट कर दिया करते हैं। आप रजामंद हों तो एक उसूल पर कायम रहिये। आपको कठिनाई हो, किसी को दिक्कत हो तो मैं खुद एरेंजमेन्ट करने को तैयार हूं। आप अपनी निजी कैश बुक मत पेश करिये, सरेन्डर मत करिये वापिस ले लीजिये लेकिन रेकॉर्ड ऑफ राइट पेश क्यों नहीं करना चाहते हैं, वह डॉक्युमेन्ट पेश क्यों नहीं करना चाहते जिसमें किसानों की ज़मीन का इन्द्राज है....

श्री रघुवीरसिंह (राजगढ़) : रेकॉर्ड ऑफ लैंड तो आपके पास ही होना चाहिये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आपको शायद जानकारी नहीं है, बहुतसों का सेटिलमेंट नहीं हुआ था, रेकॉर्ड उनके पास ही है।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : इसमें साफ क्यों नहीं लिखा कि जो अन्सैटल्ड एरिया था उनका लिया जायगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : कानून की भावना को आप भी समझते हैं और मैं भी समझता हूं। रिजम्पशन के और सैटलमेंट दरम्यान जितने रजिस्टर बनाये हैं जितने सरेन्डर्स हुए हैं यदि आप रेकॉर्ड नहीं देते हैं...

श्री रघुवीरसिंह : वह रेकॉर्ड आपके पटवारियों के पास नहीं रहता है क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं फिर कहता हूं कि आपको शायद जानकारी नहीं है, २० वर्षों से क्या सरकार के पास रहा करता था। मैं कहता हूं कि नहीं रहता है दिस....

श्री मदनसिंह दांता : जिनके नहीं हैं उनको माफ करदीजिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : दिक्कत क्या महसूस हो रही है, जिनके पास नहीं है उनसे नहीं लेंगे, लेकिन जिनके पास है वे देने से क्यों इन्कार करते हैं। यह रेकॉर्ड हमारे पास रहना चाहिये इसलिये कि ज़मीन की मिल्कियत का मसला फाइनेलाइज्ड होना चाहिये ..

श्री मदनसिंह दांता : आपको पेश करके . .

श्री दामोदरलाल व्यास : I think that will not be a proper thing to interrupt me like this...

श्री सभापति : आप पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज कर सकते हैं।

श्री मदनसिंह दांता : मंत्रीजी को लाल बही बट्टों का क्या शौक है जब हम ट्रू कापी देते हैं, नम्बर रेकॉर्ड देते हैं तब वहां केवल ठाकुर मदनसिंह की कलम से लिखी हुई लाल बही से क्यों मोहब्बत है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं नहीं समझ पाया कि जो ज़मीन दूसरों को बेचदी उसके कागज व पत्रों को आप क्यों रखना चाहते हैं ? रेकॉर्ड ऑफ लैंड जो है उसे आप क्यों रखना चाहते हैं Why do you keep it? आपने जो चीज सौंप दी उसका रेकॉर्ड आप

(श्री दामोदरलाल व्यास)

क्यों रखना चाहते हैं ? हमारे और भी लायक दोस्तों ने दिये हैं । आपको शायद कानून से नावाकफियत है इसलिये समझते हैं कि किसी न किसी समय काम में आने वाली चीज़ होगी, केवल आपने कापी दे दी और वह भी सर्टिफाइड नहीं है । आपको जानकारी नहीं है . .

श्री मदनसिंह दांता : मैंने ठिकाने का राज्य किया है । एडवोकेट्स को पता नहीं है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं इन्कार नहीं करता कि आपने राज्य नहीं किया है । मैंने आपको समझाया कि रोजमर्रा इसके बिना दिक्कत पेश आ रही है । पंचायत यदि ज़मीन अलॉट करना चाहती है किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके पास मकान नहीं है । बाकायदा कार्यवाही करके ज़मीन अलॉट की जाती है और वह नींव खुदवाने के लिये तैयार होता है कि जागीरदार साहब पट्टा लेकर आते हैं और कहते हैं कि मेरे पास पट्टा मौजूद है । एक नहीं, सैकड़ों केसेज ऐसे हैं । सब के सब सही नहीं करते और सब के सब गलती नहीं करते । कुछ गलती करते हैं, कुछ सही काम करते हैं । कानून से रास्ता ढूंढना पड़ेगा । हम चैलेन्ज नहीं करते कि पट्टा गलत है या सही है लेकिन पट्टा वही पेश करेंगे तभी मानेंगे और को नहीं मानेंगे । आपने कहा कि बहुत सों के पास पट्टा वही नहीं है, लाखों जागीरदार छोटे छोटे ऐसे हैं जिनके पास बहियें नहीं है, लेकिन जिनके पास नहीं हैं उनको पेश करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिनके पास है और फिर भी वे पेश नहीं करते हैं उनके लिए पेनेल्टी रखते हैं दूसरे के लिये नहीं । इसलिये अदब के साथ कहूंगा कि इसमें इन्कनविनियेन्स का सवाल पैदा नहीं होता, इसलिये नाराज़गी का इज़हार करने की जरूरत नहीं है प्रोविज़न आलरेडी है । आप चाहते हैं कि प्रोविज़न इन्इफेक्टिव रहे । जब आपसे कहा कि कानून की पाबंदी की जाय तब कहा कि नहीं करेंगे तो कार्यवाही करनी ही पड़ेगी । आप चाहते हैं कि कानून भी बनावें और उसे इन्इफेक्टिव रखें । ५ साल तक बहुतसों ने रेकॉर्ड्स ऑफ लैन्ड पेश किये, बहुतसों के एडमिट हो गये, कइयोंने कहा कि हम पेश नहीं करते क्योंकि तुम्हारे पास कानून नहीं है मजबूर मत करो । इस पर भी आप यह कहते हैं कि जागीरदारों को मज़बूर करने के लिये कानून बनाया । कानून आलरेडी है नया नहीं बनाया जा रहा है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): सभापति महोदय...

श्री हरिदेव जोशी (घाटोल) : सभापति महोदय, मंत्रीजी ने जब जवाब दे दिया है उसके बाद में आपके बोलने की तो प्रणाली शायद नहीं है ।

श्री गिरधारी लाल (नोखा) : बोल सकते हैं, जहां तक मेरा ख्याल है ।

श्री सभापति : आपका तो अमेन्डमेंट था, मेन मोशन नहीं था ।

श्री दामोदरलाल व्यास : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो अमेन्डमेंट रखा था उसके बारे में आपकी आज्ञा से मैं कुछ अर्ज कर दूं, इसलिये कि वे यह महसूस नहीं करें कि उनकी बात का उत्तर नहीं दिया ।

Page No.67

(श्री दामोदरलाल व्यास)

मेरी इच्छा उसको नजर अंदाज़ करने की नहीं थी। दो अमेंडमेंट है आपके उनका भी सीधा जवाब यही देना चाहता हूं। पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो कोई भी आदमी फीस देकर उसे देख सकता है, फायल देख सकता है, उसकी कापी ले सकता है, इन्स्पेक्शन कर सकता है। जागीरदारों के लिए अलग प्रोविज़न कानून में करने की आवश्यकता नहीं है। इस बात को वे खुद महसूस करेंगे। जो कानून बनाते हैं वह हर वख्त एक्सेसिबल होता है: It is open for inspection and having a copy of this public document to any member of the public. It will not be confidential. It will be free Every member of the public.. and so it will be excessible to the Jagirdars also. इसलिये इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा अमेन्डमेंट आपका है उसके अनुसार 'और' के बजाय आप 'एण्ड' करना चाहते हैं। लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है 'और' से ज्यादा साफ इन्टरप्रिटेशन होता है, किसी तरह की एम्ब्यूगिटी नहीं रहती इसलिये है जैसा ही रहने दिया जाय।

रावराजा श्री सरदारसिंह : चेयरमैन महोदय....

श्री सभापति : क्लेरिफिकेशन कराना है क्या ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : राजगढ़ से आनेवाले माननीय सदस्य ने कहा था कि खर्चा बहुत लग जाता है, आपने कहा कि पब्लिक डॉक्युमेंट है, मैंने लिखा है फ्री ऑफ कॉस्ट नकल दिलवाई जाय...तो जब पब्लिक डॉक्युमेंट की, डॉक्युमेंट की फीस देकर नकल ले सकते हैं. उसको देख सकते हैं। तो मेरा सुझाव है कि फ्री नकल भी ले सकते हैं। यह कन्सेशन वो जागीरदारों के लिए होना चाहिए, एक तो यह निवेदन किया था और दूसरे मैं यह कहता हूं ..

श्री सभापति : आपको जो बोलने का वक्त मिला था, उस वक्त आप बोल सकते थे।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जिस वक्त बोलने का वक्त मिला था, उस समय आपने कहा था इसलिए अब बोल रहा हूं।

श्री सभापति : यह हैं, आपको जो अमेंडमेंट है, उस अमेंडमेंट का जवाब देने की जरूरत नहीं है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : उसका जवाब दिया नहीं था।

श्री सभापति : आपने अपना पॉइन्ट ऑफ व्यू बता दिया है, अब एक्स्प्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : एन्ड रखना जरूरी है, 'एन्ड' नहीं रखते हैं तो इसका महत्व जाना रहता है। इसलिये माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि अब रहा सवाल यह कागज़ों के लिए....

श्री सभापति : आगे एक्सप्लेन नहीं कीजिये। अगर माना जा रहा है तो पूछ लीजिये।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं कहता हूं कि जागीरें चली गई, जब बांदरी ही चली गई, तो सांकली से क्या प्रेम। जब जागीरें चली गई तो कागज देने चाहियें। यह एक्सप्लेन कर दिया कि कागज नहीं है तो रीज़न बना देंगे। इसमें ऐसी बात नहीं है। मैं समझता हूं कि इसको ज्यादा कॉम्प्लीकेटेड बनाते हैं....

Page No.68

श्री होतीलाल (भरतपुर): On a point of Order Sir, is he replying the statement of the Hon'ble Minister?

रावराजा श्री सरदारसिंह: अगर कागज़ नहीं होंगे तो रीजन बता देंगे . .

श्री होतीलाल: But is he replying the statement of the Minister?

श्री सभापति: आपका पोइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है। He wants an explanation simply.

श्री मुरलीधर व्यास: (बीकानेर शहर): 'एन्ड' को रख देना चाहिए, सारा मामला एन्ड हो जायगा।

(हंसी)

श्री मदनसिंह: He can reply.

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि रावराजा श्री सरदारसिंह जी ने जो संशोधन क्लाज़ २ पर रखा, वह स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

श्री मदनसिंह: आपने मूव नहीं किया।

श्री सभापति: अब प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २ को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

खंड २ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज ३

श्री सभापति: क्लॉज़ ३ मूव करने वाले नहीं है।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): मैंने अमेंडमेंट दिया है . .

श्री मोहरसिंह (चूरू): माननीय सभापति महोदय, . .

श्री सभापति: संशोधन नहीं है।

श्री मोहरसिंह: मैं विरोध कर रहा हूं।

श्री सभापति: विरोध कैसे करेंगे। जब तक ये अमेंडमेंट मूव नहीं करेंगे।

श्री मोहरसिंह: मूल क्लॉज़ का विरोध कर रहा हूं।

श्री होतीलाल (भरतपुर): He is opposing the clause as a whole.

श्री सभापति: अमेंडमेंट मूव करने वाले हैं।

श्री होतीलाल: Anyone can do it, the whole clause can be opposed.

श्री सभापति: किसका? क्लॉज़ ३ का विरोध करना चाहते हैं?

श्री मोहरसिंह: जी हां। सभापति महोदय...

श्री सोहनलाल भटनागर : माननीय सभापति महोदय, इसमें मेरा संशोधन है कि..

श्री सभापति : व्यवस्था ठीक नहीं रहेगी। श्री सोहनलाल भटनागर को चान्स दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनका संशोधन था।

श्री मोहरसिंह : संशोधन बाद में है। मैं मूल का विरोध कर रहा हूँ।

श्री सभापति : क्लॉज़ का विरोध कर कर रहे हैं ?

श्री मोहरसिंह : जी हां।

श्री सभापति : बोल लीजिये।

श्री सोहनलाल भटनागर : यह तरीका नहीं है, First the amendment is moved then he can oppose.

श्री होतीलाल : But he is opposing the whole as a principle.

श्री सोहनलाल भटनागर : That is no procedure.

श्री सभापति : Then he can be given a chance. आप बाद में बोल लीजिये, आप मूव कर दीजिये।

श्री सोहनलाल भटनागर : माननीय सभापति महोदय, इस छोटे से बिल में तीन क्लॉजेज हैं और इसमें जुड़ा हुआ शिड्यूल्ड है....

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : क्या अमेंडमेंट करेंगे, हमारे पास प्रति नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि वह अमेंडमेंट क्या है ?

श्री सभापति : वे प्रतियां पहले आ चुकी हैं, अमेंडमेंट विदित हो चुका है। कल ही यहां से गई हैं। आप आरम्भ रखिये।

श्री सोहनलाल भटनागर : माननीय सभापति, यद्यपि यह सत्य है कि यह नेहरू अवार्ड कहा जाता है और उस माफिक यह बिल आया है और इसे मानने वाले हैं। पर डेमोक्रेसी में स्वतन्त्रता है विचार व्यक्त करने की, इस दृष्टिकोण से विचार प्रस्तुत करने के लिए संशोधन पेश किया है। सभापति महोदय, मेरा संशोधन है कि : [(i) The words "five hundred" be substituted for the words "five thousand" occuring in the fifth line of the new Section 38 E.

(ii) Sub-Section (2) of new Section 38 E be deleted.] इस क्लॉज़ में नोट एक्सीडिंग फाइव थाउजेन्ड्स है, उसके बजाय ५०० कर किया जाय। इससे जुड़ा हुआ शिड्यूल है, उसमें यह है कि १, २ सब-क्लॉजेज़ हैं, उसके बाद ३, ४, ५, ६, ७ ये सब-क्लॉजेज़ हैं इनको डिलीट कर दिया जाय। माननीय सभापति, यह निश्चित् है कि भूस्वामी संघ ने जो प्रश्न उठाया था, वह यह है :

1. (a) Compensation for resumption of jagirs should be at the rate of 10 times the net income instead of 7 times; and.

(b) Rehabilitation grant in the case of smaller jagirs worth upto Rs. 5,000 should be increased by four multiples of net income.

(श्री सोहनलाल भटनागर)

2. Deductions from the gross income on account of administrative charges should be at the rate of 10% in the case of jagirs above Rs. 5,000 and at the rate of 5% in the case of other jagirs instead of the present rate of 25%.

3. Gross income should be calculated on the basis of the past ten years. Average income as rent rates in settlements since 1950 have been fixed so low that gross income of jagirs have been reduced to 10 to 25 percent of their pv-esettlement income.

4. Compensation should be awarded for all improvements including tanks and wells made within a period of 3o years before the date of resumption of jagirs.

माननीय सभापति महोदय, यह हर्ष का विषय है कि इसमें जो चार मांगें हैं भूस्वामी संघ की, उनमें से केवल एक मांग को नेहरू जी ने माना है और उसे मान लिया गया है। जो कम्पेन्सेशन के बारे में, कम्पेन्सेशन रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट के बारे में है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नेहरू जी ने माना है कि कम्पेन्सेशन ग्रान्ट है, वह दूसरे अपने देश के प्रदेश हैं, उनको कम्पेन्सेशन काफी दे दिया गया है, इसलिए यह बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से यह ठीक है, इसके लिए आगे कहा है, बाद में जाकर कि जो कुछ इसमें बढ़ोतरी की गई है, वह इस दृष्टिकोण से की गई है कि जो ओरिजिनल एक्ट है, उसमें २५ पर्सेन्ट एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज के लिए है, जो छोटे जागीरदार इस राज्य के हैं, चाहे पांच हज़ार के हैं, चाहे पचास हज़ार के हैं, यह यूनीफार्म पेटर्न मान कर चला गया है। इसके बाद क्षेत्रीय महासभा और सरकार के बीच में बातचीत चली थी और पंच अवार्ड हुआ। लेकिन यह स्पष्टीकरण नहीं हुआ, इस दृष्टिकोण से इस क्वेश्चन को ओहन करने की कोशिश की गई, इस दृष्टि कोण से कि १० पर्सेन्ट या २० पर्सेन्ट एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज़ के लिए कट जायगा तो हिसाब किताब में दिक्कत होगी। रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट में जो कुछ बेसिस दिया है वह है :

Where the gross income of a jagirdar calculated in accordance with the provisions of the 2nd Schedule does not exceed Rs. 250/-	4 times the net income of the Jagirdar as determined in accordance with the provisions of the 2nd Schedule.

तो उनको फोर टाइम्स दे दिया है, तो इस तरह से

Where such gross income exceed Rs.250/- but does not exceed Rs. 500/-	3 times such net income;
Where such gross income exceeds Rs. 4,000/-but does not exceed Rs. 5,000/-	Twice such net income.

इस प्रकार आगे का मल्टीयेबल है, उसको कम करते चले गये हैं, और पांच हजार वालों तक को रिलीफ देने का प्रावधान रखा है। माननीय सभापति महोदय, यह

(श्री सोहनलाल भटनागर)

एक छोटी सी चीज़ है लेकिन मेरे ख्याल से जो राजस्थान की जनता है, एक्सचेकर्स हैं, उन पर साढ़े पांच लाख का खर्चा बढ़ने वाला है...

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : राजस्थान की जनता एक्सचैकर नहीं है ।

श्री सोहनलाल भटनागर : एक्सचैकर नहीं है ?

श्री श्रीभानसिंह : जनता नहीं है ।

श्री सोहनलाल भटनागर : जनता से ही आता है । तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेज़ का सवाल है, तो जो १०० तक छोटे जागीरदार हैं, ५०० तक जागीरदार हैं, उनको रिलीफ दिया जाना वाज़िब था । जो रिलीफ दिया जा रहा है, वह गलत है, ५०० से ऊपर के जितने जागीरदार हैं उनको रिलीफ दिया जा रहा है, वह गैर वाज़िब है । इस लिये ५०० से ऊपर जो रिलीफ दिया जा रहा है, उसको डिलीट करने के लिये मैंने प्रस्ताव किया है । मैं निवेदन करना चाहता कि यह क्वेश्चन जो पंच अवार्ड में रह गया है, पंत जी ने कहा था कि उन्होंने जो जो क्राइटेरिया दिया था, उन्होंने कहा था....

On the first Rs. 5,000/-of gross income......	10 percent
on the next Rs. 5,000/- ,,	15 percent
on the next Rs. 10,000/-,,	25 percent
on the next Rs. 30,000/-,,	40 percent
on the remaining ,, ,,	50 percent

तो माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उनके सिद्धान्त को माना जाय । जितनी बड़ी जागीरें हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेज ५० प्रतिशत काटने का था, वहां २५ प्रतिशत ही काटा जा रहा है मेरे ख्याल से सारे प्रावधान यहां लाये जाते हैं और ५० प्रतिशत बड़ी जागीरों के एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेज काटे जाते तो यह जो भार हम पर पड़ रहा है, वह नहीं पड़ता । कुल २.५६ लाख जागीरें हैं, उनमें से १११५ जागीरें ५ हज़ार से ऊपर की है । टोटल कम्पेन्सेशन दिया जायगा ३८.८ करोड़ ।

इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो समझौता हुआ अच्छा हुआ, पर हमारे ऊपर आर्थिक भार बढ़ता जा रहा है। किस तरह इसका सामंजस्य रखा जा सके, इस दृष्टकोण से मैंने संशोधन रखा है कि ५०० तक की जागीरों का मुआवज़ा बढ़ाया जाय । जो बड़े जागीरदार थे उनको एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेज काफी खर्च करने पड़ते थे, परन्तु ५०० तक की आय वाले जागीरदार खुद ही रुपया वसूल कर लिया करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेज के नाम से उनको बिलकुल खर्च नहीं करना पड़ता था । बाकी बड़े जागीरदारों को काफी खर्चा करना पड़ता था, इसके लिये काफी स्टाफ रखना पड़ता था, इसलिये उनको रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट देने की आवश्यकता नहीं । हालां कि यह इस बिल के स्कोप के बाहर की बात है फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि पंतजी ने अवार्ड दे दिया, उसको री-ओपन किया जाता और ५० प्रतिशत एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज दिये जाते तो सवा पांच करोड़ का भार पड़ रहा है वह न रह कर सवा करोड़ का ही रहता ।

श्री मोहरसिंह (चूरू) : सभापति महोदय, सदन में क्लॉज़ ३ पर बहस हो रही है। इस बिल में यह जो क्लॉज़ ३ रखी है, उसके लिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वैसे तो राजस्थान सरकार समाजवादी व्यवस्था पर चलने की डींग मार रही है, वर्तमान सरकार का यह कहना है कि हम लोग हमारे देश में समाजवादी ढांचा कायम करना चाहते हैं, दूसरी तरफ इसमें एक तरफ मार्जिन रखा है साढ़े पांच करोड़ रुपया देने का ५, हज़ार से ऊपर की आय वाले भू-स्वामी थे उनको।

न्याय की दृष्टि से देखा जाय तो हमें एक मुद्दे पर पहुँचना पड़ेगा कि कुछ जागीरदार, भू-स्वामी ऐसे थे जिनके साथ शुद्ध मनोवृत्ति से सही बर्ताव किया जाय तो जरूर उनको मदद देनी पड़ेगी, जिससे वे अपना जीवन यापन कर सकें। पर जिनकी ५ हज़ार की आमदनी थी उनके लिये जो मदद देने की व्यवस्था की गई है उसके मैं खिलाफ हूं। एक तरफ राजस्थान सरकार कहती है कि हम समाजवादी व्यवस्था करने जा रहे हैं, दूसरी तरफ इस प्रकार का पक्षपात करना उनको इतना मुआवजा देना। यह समझ में नहीं आता। इस प्रकार सरकार गरीब काश्तकारों की दशा खराब करने की तैयारी कर रही है। आज भी उनसे बजरिये कुर्की लगान वसूल किया जारहा है। ये दो बुद्धि भेद, दो नीतियां राजस्थान सरकार की चल रही हैं। जिन्हें जरूरत है मदद की, मानवता के लिहाज से उन्हें जरूर मदद दी जानी चाहिये, पर यह फर्क क्यों। यह नीति देख कर मुझे श्रवण-कुमार का किस्सा याद आ जाता है कि एक हांडी में दो पाट रख कर दो तरह का खाना तैयार किया जाता था। गरीब किसान को आषाढ़ के महीने में खेती जोतने के लिये पैसे की जरूरत रहती है, उनसे बजरिये कुर्की से जबरदस्ती वसूल की जा रही है। लूणकरणसर का किस्सा है एक आदमी पुरखिया उसकी चाकी तक कुर्क की गई, इस तरह कई कुर्कियां भेजी गई। मुझे यहां तक किस्सा बताया गया कि गांधीगंज में बरात गई हुई थी, उनको सूचना दी गई कि चाकी तक कुर्क की जा रही है तो उन्होंने चन्दा इकट्ठा कर के चुकाया और एक आदमी लूणकरणसर एस. डी. एम. साहब के पास भेजा गया और कहा गया कि इस तरह का अन्याय करेंगे तो आषाढ़ में हल नहीं जोत सकेंगे।

यह नज़ीरें हैं एक तरफ और दूसरी तरफ यह व्यवस्था कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है। मदद जरूर दी जाय पर ठीक ढंग से दी जाय, ठीक ढंग से उनको बसाया जाय, मानवता के नाते सरकार का कर्त्तव्य है कि सब को रोटी रोज़ी दे सरकार इसके लिये पाबन्द है, यह सरकार की जिम्मेदारी है। पर पक्षपात नहीं होना चहिये। जागीर्स का इतिहास बताता है कि राजस्थान की सरकार में गलत एन्ट्रीज इस प्रकार की होते हुए भी मुआवज़ा देने की व्यवस्था की है किस प्रकार जागीरदारों ने जागीरों का मुआवज़ा लिया अब खातेदारी का भी मुआवजा लेंगे। हज़ारों लाखों बीघा ज़मीनें जो काश्तकारों के कब्जे में थीं उनको इन लोगों ने अपने खुदकाश्त में लिखा लिया है, इस तरह करोड़ों रुपया किसानों की जेबों से निकल कर ज़ागीरदारों के पास जायगा। मेरे से १०–१२ कोस की दूरी पर दतरेरा है वहां के ज़ागीरदार हैं, साढ़े छ हज़ार बीघा ज़मीन उनके दो लड़कों के नाम से दर्ज है, जोतते हैं १५०० बीघा और साढ़े ६ हज़ार बीघा ज़मीन उनकी खुदकाश्त में दर्ज है। इस सब ज़मीन का उनको मुआवज़ा देना

(श्री मोहरसिंह)

पड़ेगा। दूसरी तरफ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान इस क्षति की पूर्ति के लिये तरह तरह के टैक्स लगा रही है। बेटरमेंट टैक्स, खेती पर टैक्स लगा रही है। साठ साठ आदमी हैं जिस परिवार में उनकी आमदनी फलां कर से, उनसे यह पैसा लिया जा रहा है। ५०० से नीचे जो जागीरदार हैं उनको आप मदद दें, यह मानवता की चीज़ है, वे वास्तव में तंग हैं, इससे नीचे जो जागीरदार हैं उनको देना है और इसके बाद के जो जागीरदार हैं उनको नहीं, देना है नहीं तो समाजवाद का पलड़ा टूटेगा, हमारा इन्साफ इन्साफ नहीं रहेगा। साढ़े पांच करोड़ का अवार्ड रखा है नेहरू अवार्ड के नाम से, पैंतीस, चालीस करोड़ रुपयों की व्यवस्था की है। १० वर्ष का मुआवज़ा बड़े जागीरदारों का बन्द कर दिया जाय और इस प्रकार की व्यवस्था से जो पैसा बचे वह ५०० से कम आय वाले जागीरदारों को मदद देने में यूटिलाइज़ किया जाय। राजस्थान सरकार डेढ़ करोड़ रुपया सालाना घाटे में आ रही है तो दस पन्द्रह वर्ष के लिये इन बड़े जागीरदारों का मुआवज़ा बन्द कर के इन छोटे जागीरदारों को रिहेबिलिटेट करने के लिये मदद दी जाय। तो इन्साफ पर भी चलें और समाजवादी समाज व्यवस्था से भी नहीं हटें। तो इसका सही ढंग से बेलेंस रखने के लिये ढंग से आगे चलना चाहिये।

तो इस प्रकार ५०० की व्यवस्था का संशोधन माननीय सदस्य ने रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूँ और मूल का विरोध कर रहा हूँ।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : माननीय सभापति महोदय, मैं समझता हूँ कि जिस समय यह संशोधन सदन में रखा गया उस पर सदन के कई प्रगतिशील और बड़े बड़े नेताओं ने जो जनता में नेता का काम कर रहे हैं, अपने विचार इस संबन्ध में रखे और जो कुछ भी व्यवहारिक और जागीरदारों का विरोध करते हुए बातें कही गई उसके संबंध में मुझे दो शब्द कहने है। मैं यह मानता हूं कि कुछ नेताओं की आदत पड़ गई है प्रगतिशीलता के नाम पर या जागीरदारी अबोलिशन पर कुछ न कुछ कहने की। यह उनकी पुरानी आदत है और वे अपनी पुरानी आदत के अनुसार कुछ कहते ही हैं। मैं यह कहूँगा कि जो कांग्रेस के लोग अपने आपको प्रगतिशील समझते हैं और प्रगतिशील होने की डींगें हांकते हैं वे वास्तव में प्रगतिशील नहीं हैं, मगर उनसे कहीं अच्छे प्रगतिशील नेहरू हैं। वे बहुत अच्छे प्रगतिशील हैं और वास्तव में देखा जाए तो वे ही एक प्रगतिशील हैं और उन्होंने यह अवार्ड दिया है। उनके इस अवार्ड को इस तरह से चेलेंज करना, मैं समझता हूं कि राजस्थान की कांग्रेस के व्यक्तियों के लिये उचित नहीं है और यह उन्हीं की करामात है कि वे इसको इस तरह से चैलेंज करते हैं। मैं यह कहूंगा कि पंडित नेहरू ने जो अवार्ड दिया है, उस अवार्ड को सभी लोगों को मानना चाहिये। मगर हम यह देखते हैं कि उस अवार्ड को उन्हीं की सरकार कांग्रेस सरकार के लोग इस प्रकार से चैलेंज कर रहे हैं। राजस्थान के गरीब जागीरदारों ने जिन्होंने देश की सेवा के लिए फौज में जाकर काम किया और अपनी ज़मीनें काश्तकारों को काश्त करने के लिए दी। और फौज में रह कर जो उन्होंने पैसा पैदा किया उस पैसे को उन्होंने अपने खेतों में उन्नति के लिये लगा कर खेती के कार्य

(श्री मदनसिंह)

में प्रगति की। उन लोगों को जिन्होंने अपने खेतों में इस प्रकार से रुपया लगाया उसका पूरा रुपया सरकार नहीं दे सकती। इसलिये पंडितजी ने यह अवार्ड दिया कि....

श्री होतीलाल (भरतपुर) : क्या ज़ागीरदार ही मिलिट्री में रहे हैं दूसरे लोग नहीं रहे हैं। दूसरे लोग भी रहे हैं।

श्री मदनसिंह : मैं दूसरे लोगों की बात नहीं कहता हूँ, मैं यहां पर जागीरदारों की ही बात कर रहा हूं और जो दूसरे लोग रहे हैं जिसके लिये आप कह रहे हैं उनकी काश्मीर में क्या दशा हुई वे सभी जानते हैं, भागे थे। आज भी उड़ीसा और बंगाल में जो हो रहा है आप लोगों में हिम्मत हो तो जावें।

श्री होतीलाल : आप ही क्यों नहीं जाते। आप बंगाल के पास जो हो रहा है जाइये, यहां बातें करने से कोई बात नहीं होती।

श्री मदनसिंह : मैं समझता हूं कि आप लोगों को काश्मीर में बोलने लायक राजपूतों ने ही रखा है। वहां पर तांगे और रिक्शा की हड़तालों मे काम नहीं करना होता है।

(हर्षोल्लास)

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि पर्सनल बातें न करें। आप चेयर को ही एड्रेस करके कहें।

श्री मदनसिंह : मैं कह रहा था कि कि ज़ागीरदारी सम्बन्धी मसला है यह बहुत जटिल है और इसको समझने में और जानने में पीढ़ियें गुज़र जावेंगी। आप प्रगतिशील हैं और प्रगतिशील होने के नाते रिक्शा और तांगे की हड़ताल कर सकते हैं। जो ज़ागीरदारी सम्बन्धी मसला है उसे आप नहीं समझ सकते हैं। इस मसले को पं० पंत और पं० नेहरू ने समझा है और इस पर विचार किया है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस के प्रेसिडेन्ट हैं वे भी मौजूद हैं। क्षत्रिय महासभा का सच्चे ढंग से रिप्रजेन्टेशन था और यह बड़ा ज़ागीरदारों का सवाल था। उस वक्त एसेम्बली कहां चली गई थी।

श्री सभापति : आप सदन के बारे में कोई बात न करें।

श्री मदनसिंह : सदन ही सब कुछ करने वाला है इसलिये कहा है। फिर कहां कहें।

श्री सभापति : आप सदन के बाहर कह सकते हैं।

श्री मदनसिंह : एक छोटा ज़ागीरदार जिसने अपने घर के पैसों से, पूरी जिन्दगी भर फौज में नौकरी करके, अपने पैसों से खेती की तरक्की, की उसको मुआवजे के पूरे पैसे, वे जानते हैं, दे नहीं सकते। बड़े बड़े ज़ागीरदारों और बड़े बड़े रईसों से प्रगतिशील पार्टी पैसा लाती है और उनके पैसों से पलती है और जिस समय चुनाव आते हैं तो चुनाव के लिए बड़े ज़ागीरदारों और राजाओं के पास झोली लेकर जाते हैं और हाथ फैलाते हैं। आज मैं यह आपसे कहता हूं कि पांच हज़ार की आय से नीचे का ज़ागीरदार कौन होगा, वही गरीब ग्रामीण होगा या गरीब ब्राह्मण होगा या हरिजन या गरीब राजपूत होगा। आज

(श्री मदनसिंह)

आप उन गरीब लोगों के विरोध में कह रहे हैं। आप उन लोगों के विरोध में कुछ नहीं कहते हैं जो लोग बहुत मालदार हैं। मैं कहता हूं कि आज भारतवर्ष में बिड़ला जैसे लोग बैठे हैं आज उनका विरोध आप नहीं करते। टाटा और डालमिया जैसे लोगों का विरोध आप नहीं करते। आज उन लोगों से पैसा लेकर और वोट लेकर आते हैं। जिनके पास लाखों और करोड़ों की संपदा है उनके लिये आप कुछ नहीं कहते।

यह पांच करोड़ रुपया जागीरदारों को क्यों दिया गया यह मैं आपको बताता हूं। नेहरू ने क्षत्रिय महासभा से जिन्होंने निजि रुपयों से अपने खेतों में कुंए और बावडियें आदि बनवाई और जो भी खेत की उन्नति के लिये साधन जुटाये उन साधनों की रकम उनको मिलना चाहिये थी, और यह न्यायसंगत बात भी थी, पर पूरी की पूरी रकम सरकार दे नहीं सकती थी इसलिये उन्होंने यह लम्प सम के रूप में पांच करोड़ रुपया दिया उन मुआवजे के रुप में जिन्होंने निजी पैसों से अपने खेतों में कूए आदि खुदवा कर तरक्की की। वे दिन भी मालूम हैं, अगर आप इतिहास को उठा कर देखें तो आपको मालूम होगा, आप इतिहास को भूलते हैं। वे दिन भी मालूम है कि जब लोगों को खेती करना मालूम नहीं था, जिस तरह गाडोलिये लुहार फिरते हैं, लोग जंगलों में फिरते थे। आज सरकार तकावी की सुविधा लोगों को देने के लिये प्रचार करती है मगर आप इतिहास को उठा कर देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि किस तरह से जागीरदारों ने खून से ज़मीन को सींचा है और दूसरे लोगों को खेती करना सिखाया।

एक माननीय सदस्य : आपने ही खून से ज़मीन को सींचा है। दूसरों ने नहीं सींचा।

श्री सभापति : आप पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ कर के फिर कहिये।

श्री मदनसिंह : शायद आप आगे यह कहना चाहते है कि कुंए चलाना भी सिखाया था। उनको यह पता नहीं था वे जंगलों में रहते थे। आज कई लोग जागीरदारों की वजह से यहां पर पढ़ पढ़ कर आये हैं। जागीरदारों ने उन्हें स्कूल में पढ़ाया था। आज वे यहां आकर उनका विरोध करते हैं।

(एक माननीय सदस्य के बोलने हेतु खड़े होने पर)

श्री सभापति : Order ! Order !!

श्री होतीलाल : आपने कहा कि जागीरदारों ने किसानों को पढ़ाया है।

श्री मदनसिंह : जागीरदारों ने कई लोगो को लीड दिया है और अच्छे अच्छे लोगों को लीड दिया है। मैं समझता हूँ कि जागीरदारों ने कुछ नहीं किया अगर बड़े जागीरदारों के लिये माननीय सदस्य कोई चीज़ कहते। राजा महाराजाओं को जिनको करोड़ों रुपये मिलते हैं और उनसे काफी पैसा सरकार को मिल सकता है उसके लिए कुछ नहीं होता। आज एक छोटे जागीरदार के लिए बड़ी प्रगतिशील पार्टी बातें बनाती है। इस तरह की छींटा कसी होती है।

(श्री मदनसिंह)

सभापति महोदय, ऐसा हुआ कि एक किसान था। उसको एक महात्माजी ने चम्मच दिया कि जितना हलुआ तुम बनाओगे उतना ही तुम्हारे पड़ौसी के यहां बनेगा। उसने कहा—मेरे पड़ौसी को कुछ नहीं मिलना चाहिये। अगर आप जागीरदारों की लगान बन्द कर देते हैं तो राज्य को भी। आपको लगान बन्द कर देना चाहिये। जागीरदार तुम्हारे साथ होंगे करो हिम्मत हिम्मत खुद में नहीं है। आप यही चाहते हैं कि मेरी एक आंख फूटे तो पड़ौसी की दोनों आंखें फूटें।

(श्री गिरधारीलाल के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ करके कुछ बोलें।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : On a point of order, Sir,

श्री सभापति : Order, please.

श्री गिरधारीलाल : सभापति महोदय, जहां तक मेरा ख्याल है आप विषय पर नहीं बोल रहे हैं और इधर उधर की बातें कह रहे हैं। आप इतिहास की बात कहते हैं मैं समझता हूं कि यह बातें इस क्लॉज़ में नहीं आती। इसके अलावा जातियों का प्रश्न उठाया है वह भी उचित नहीं है।

श्री सभापति : आप क्या चाहते हैं।

श्री गिरधारीलाल : मैं यह चाहता हूं। कि क्लॉज़ के बारे में ही यहां पर चर्चा की जाए।

श्री सभापति : जो भी वातावरण के खिलाफ बात होगी उसके लिये उनसे कह दिया जावेगा।

श्री मदनसिंह : सच्ची बात खुदा को भी बुरी लगती है। यह प्रगतिशील पार्टी की तरफ से बातें होती हैं...

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि किसी पार्टी या व्यक्तिगत के बारे में बात न करें।

श्री मदनसिंह : यहां पर पार्टी विशेष से बात होती है। आज प्रगतिशील पार्टी बहुत बड़ा रोड़ा बन रही है।

श्री गिरधारीलाल : आप पार्टी के विषय में न कहें।

श्री मदनसिंह : अगर आपकी यह पार्टी है तो मेरी गलती हुई। मैंनें दो चार नाम लिये। मैं यह निवेदन करूंगा कि आप कानून सोच समझ कर बनावें। अभी तक यह कानून पास नहीं हुआ है। इससे बडी मुश्किल पेश आवेगी। बड़े जागीरदारों को मुआवज़ा मिल गया है और छोटे जागीरदारों को आज दो वर्ष हो गये हैं वे लोग अपने घर पर बैठे हुए हैं। पंडितजी को समय नहीं मिलने के कारण इतनी देर हुई है।

१२ मध्याह्न

मैं समझता हूं कि पंडितजी ने जो कुछ अवार्ड दिया है उसको वे पढ़े तो उनको मालूम होगा कि पंडितजी ने खुद ने फरमाया

(श्री मदनसिंह)

है कि उनको समय नहीं मिला इसकी माफी चाहते हैं, फैसला जल्दी नहीं हुआ और मुआवज़ा जल्दी नहीं मिल सका। एक नये अवतार और हुए हैं। वे निश्चय कर चुके हैं कि जागीरदार किसी प्रकार इस जमीन पर नहीं रहने चाहिये। उनकी वजह से कम्पेन्सेशन रोक दिया गया, मिल सकता था। पंडितजी के अवार्ड से मिल सकता था। छोटे २ जागीरदारों को जीवन चलाना मुश्किल हो रहा है। इधर जागीर समाप्त हो रही है। आन्दोलन जब हो रहा था उस समय बड़ी बड़ी बातें कही गई थी। यह कहा गया था कि जागीरदारों को पूर्ण रूप से बसा दिया गया है। चीफ मिनिस्टर साहब ने सदन में भाषण दिया था, हम जेलों में बैठे सुनते थे, उसके नमूने आज देखने को मिल रहे हैं। उनको रूट आउट करके गंगानगर में भाखरा में जमीनें मिली लेकिन वह भी उनसे छीनी जा रही है। जो समय उनके लिए निर्धारित था उसको भी करटेल कर दिया गया। वहां से भी आज जागीरदारों को जाना पड़ रहा है। छोटे २ जागीरदारों पर चोटें पड़ रही हैं। सीलिंग आ रहा है। ठीक ढंग की खेती हो। लेकिन उसमें कौन आवेंगे। वे लोग आवेंगे जिनके पास करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति है और जो प्रगतिशील होने का दावा करते हैं। छोटे २ जागीरदार नहीं मिलेंगे। छोटों को ज़मीन मिली है, चलायेंगे कैसे, पैसा नहीं है। न कम्पेन्सेशन मिला है, न पैसा है, पट्टों से ले लेते थे वह भी जरिया नहीं है। आज ऐसे छोटे २ जागीरदारों पर सारे के सारे अटैक हो रहे हैं जैसे अनर्थ हो रहा है। कहा जा रहा है कि देश की सम्पत्ति चली जावेगी। सदस्य महोदय हिसाब नहीं जानते। कम्पेन्सेशन का पैसा जो दिया जाता है। उसका भार जनता पर नहीं पड़ा है। जागीरों की जो इन्कम थी, उसमें सारा कम्पेन्सेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज आ गये। जब बड़े जागीरदारों से एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज़ ले लेते हैं, जो कर्मचारी उनके अन्तर्गत काम कर रहे हैं उनके चार्जेज का प्रश्न नहीं उठता। कोई इसको समझना नहीं चाहता, कोई इसको सुनना नहीं चाहता, कहा जाय तो किसके आगे कहा जाय। सिर में पसीना आता है जब यह देखा जाता है कि जागीरी का सिस्टम क्या था। पांच हज़ार के या उनसे कम आय के जो जागीरदार हैं वे बड़े बड़े जागीरदार हैं उनसे ज्यादा हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज़ ऑलरेडी पे कर रहे हैं। अवार्ड जो पंडितजी का है उसको हम हृदय से चाहते हैं और स्वीकार करते हैं। यदि इस पर बोला जाय और कहा जाय तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। पंडितजी को गुमराह किया गया। अवार्ड का लम्बा चौड़ा नाम देकर कहा जा रहा है कि जागीरदारों को अवार्ड मिला है। इधर मुआवज़ा बढ़ेगा तो उधर सैटिलमेन्ट भी रिड्यूस कर दी गई है, उसके खिलाफ नहीं हूं लेकिन जब उनको २१ गुना मिलना है तो उनको तो १०-१५ गुना ही आवेगा। छोटे जागीरदारों की जागीर जिनकी पांच सौ की थी नेहरूजी के अवार्ड से अब ३०० की ही हो गई है। दो महीने पहले थी सैटिलमेन्ट से वह री-सैटिलमेन्ट से ३०० की हो गई। कितना जुल्म हुआ छोटे २ जागीरदारों के साथ में। बड़े बड़े जागीरदारों ने तो मुआवज़ा ले लिया, अच्छे सैटिलमेन्ट रेट्स से लिया। छोटे २ जागीरदार भी तो उसी एरिया में रहते हैं उनकी सैटिलमेन्ट की रेट्स रिड्यूस हो गई, आज उनके रहने के साधन नहीं हैं। उनका आज के बड़े २ प्रगतिशील कहाने

(श्री मदनसिंह)

वाले प्रगतिशील नेता विरोध करते हैं। मुझे समझ में नहीं आया कि इस गवर्नमेंट का क्या स्केल या थरमामीटर है जिसको ये इन्सान समझे इन्सान है, जागीरदार समझे जागीरदार है, फेमिली समझे फेमिली है। ५०० का दिया उसका क्या आधार है। न्याय की चीज़ तो वह होती है जो न्याय है उसको न्याय करना है,

१२. ३ म० प०

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

चाहे बड़ा हो या छोटा। जो साधन हीन हैं, जिनके पास साधन नहीं हैं उनको साधन देते तो मैं समझता। ऐसे जागीरदार हैं जो तीन रुपये के जागीरदार हैं और करोड़ों रुपयों का व्यापार करते हैं कलकत्ते में। उस पर भी जागीरदार की छाप है। न्याय यह कहता है कि एक तरफ तो एक करोड़ रुपये का जागीरदार है और दूसरी तरफ वह जागीरदार हैं जिसके पास खाने के भी साधन नहीं हैं, क्या ऐसे जागीरदार के साथ न्याय हो? न्याय कहता है कि साधन उनको मिलना चाहिये। न्याय जैसी चीज़ कहां कानून में रहती है? आप ऐसे कानून लाना चाहते हैं जिनकी यहां जरूरत नहीं है। पूंजीपतियों के साथ नहीं करना चाहते हैं, बिड़ला जी के साथ छेड़ छाड़ नहीं करते जिनके पास करोड़ों की सम्पत्ति है। उनके लिए व्यापार में सीमा निर्धारित नहीं कर सकते। छोटे छोटे राजस्थान के जागीरदार हैं जो कानून जानते नहीं हैं, गांवों में रहते हैं, जहां शिक्षा नहीं है, उनको हर तरह से खत्म करके, जागीरी से खत्म करके, पोलिटिकली खत्म करके, अब उनको इकोनोमिकली भी खत्म करना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जब इकोनोमिकली गिर जाते हैं, पैसा नहीं होता है, खाने के साधन नहीं होते हैं तो फिर जागीरदार को क्या दिखता है ऊंट और बंदूक। उसको सिवाय ऊंट और बंदूक के कुछ नहीं दिखता। कुछ नहीं दिखता है उसको, जीओ या खाओ। जागीरदार क्यों लूटते हैं। क्या आप चाहते हैं जिस निकम्मे पेशे को जागीरदार छोड़ चुके हैं, वही निकम्मा पेशा वे फिर से करें। फिर कहेंगे कि राजस्थान में जागीरदारों ने यह काम किया। साधन सम्पन्न जागीरदार डाकू नहीं होते हैं। कोई सदस्य बताये कि उदयपुर के राणा डाकू बने हों? जो छोटे २ जागीरदार हैं उनको हर तरीके से मजबूर करके जलील करना चाहते हैं। बड़े बड़े मिनिस्टर और मन्त्री जो रखते हैं, उनका विरोध करते हैं और आप कहते हैं कि हम प्रगतिशील हैं। यह प्रगतिशीलता नहीं है। यदि आप ईमानदारी से सोचेंगे तो आप देखेंगे कि नेहरू अवार्ड में भी छोटे जागीरदारों को कुछ नहीं मिला है। सैटिलमेंट के लिए कहूं कि इतनी रेट्स रिड्यूस हुई हैं कि हल के बराबर मिली है। छोटे २ जागीरदार पांच सौ पर हों या पांच हज़ार पर हों, कौन गरीब है और कौन अमीर है सदन इसमें जांच नहीं कर सकता। पांच सौ की लिमिट रखी है, मैं तो कहता हूं १०० की होनी चाहिये, लेकिन उनको कहूं कि यह उनके दिमाग से नहीं रखी गई है। रिकॉर्ड देख कर किया गया है। यह पहले कहा जा चुका था कि मन्दिर और ऐसी आमद को नहीं छोड़ा जावेगा। कांग्रेस की यह नीति थी कि पांच हजार की जिस इन्सान की आमद हो उस नागरिक को छेड़ा नहीं जाना चाहिये क्योंकि इतना तो उसके पास होना ही चाहिये। बड़ी

(श्री मदनसिंह)

मुश्किल से तो जागीरदारों का समझौता हुआ और उस पर भी जागीरदारों पर छींटा कशी करें तो अच्छा नहीं है। मैं इस समय ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं थर्ड रीडिंग पर इसको टीक ढ़ंग से रखूंगा। उनको संशोधन वापिस ले लेना चाहिये। एक तरफ तो गरीबों के लिए ऐसा संशोधन है और जब राजा और रईसों को मुआवज़ा मिला किसी भी माननीय सदस्यों ने ऐसा संशोधन नहीं रखा। क्योंकि उस समय सीटों की बात चल रही थी आपके इलाके से कितनी सीटें दे सकते हैं। छोटे जागीरदार तो गारन्टी नहीं दे सकते। इस तरह के छोटे जागीरदार, जागीरदार भी कैसे कि जिनको शनिवार के दान में ज़मीन दी हुई है, जो चून मांगते हैं, रोटी जिनको आज नहीं मिलती है, उन जागीरदारों के लिए आप एक प्रगतिशील कानून बना रहे हैं और ऐसा प्रगतिशील कानून बनाकर आप उनको खत्म कर रहे हैं यह बड़े अफसोस की बात है। ऐसी हरकतों में जो ज्यादा दिमाग रखते हैं उनसे मेरा कहना है कि वे रिक्शा आन्दोलनों से काम चलायें, तो ज्यादा अच्छा है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तीसरे संशोधन के वास्ते मेरा यह निवेदन है कि यह प्रश्न जो उठा है वह कैसे उठा है? अगर देखा जाय तो जिस समय यह प्रश्न आया था खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी तरफ से आर्बीट्रेटर की तौर पर तैयार होकर उन्होंने कहा कि छोटे जागीरदारों को काफी अन्य दिक्कतें हो रही हैं, वे काफी क्षुब्ध हैं उनके वास्ते व्यवस्था की जाय। इस वास्ते देखा जाय तो किसी पार्टी द्वारा रामराज्य या जनसंघ के किसी लीडर की तरफ से प्रश्न नहीं उठा था यह तो भारतवर्ष के प्रधान मन्त्री का फैसला है। उस पर किसी भी पार्टी को अनुनय करना या किसी प्रकार का प्रश्न उठाना एक तरह से असामयिक एवं अनुपयुक्त है। जैसा कि माननीय सदस्य ने सवाल उठाया पांच हज़ार से नीचे वालों के लिये व्यवस्था की, ५०० से नीचे वालों के लिये सवाल उठाया। यह प्रश्न भी उसी प्रकार का है इसमें डिमार्केशन की कतई जरुरत नहीं आती। जहां तक इस सवाल का ताल्लुक था क्षत्रिय महासभा और दूसरी पार्टीज़ ने यह प्रश्न जो कि पांच हज़ार से ऊपर वालों का नहीं था जिसके कारण वातावरण क्षुब्ध हुआ उस समय यह कहा गया था कि इनके वास्ते विशेष व्यवस्था की जाय। आज भी जहां तक हम लोगों का ख्याल है पांच सात करोड़ रुपयों के वास्ते यह कहा जाता है कि यह बहुत मिल गया लेकिन मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि कि हम लोगों के साथ यह करार हुआ था कि हम लोग इस बारे में जो फैसला पं० नेहरू ने किया, वह प्रश्न हमारे सामने उपस्थित नहीं होता। पांच हज़ार से नीचे की आमदनी वाले जितने भी जागीरदार थे, वे इस मामले को मंजूर नहीं करते। उन्होंने इन चन्द चान्दी के सिक्कों के कारण अपने सर्वस्व को छोडा है, उनका स्थान भी किसी बड़े जागीरदार से कम नहीं। ऐसे भी जागीरदार थे जिनकी स्थिति काश्तकारों से भी गयी गुजरी थी, उन्होंने भी ज़मीन जोतकर काम चलाया था। ऐसी परिस्थिति के अन्दर उनके ऊपर सवाल उठाना सदन में गरमागरम बहस करना में उचित नहीं समझता। इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो सवाल पेश हुआ है वह बिना किसी

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

अनुनच के यह सवाल तय हो जाना चाहिये। इसके बारे में अगर किसी प्रकार का एतराज आपकी तरफ से उठाया जाता है तो जागीरदारों की तरफ से भी इससे ज्यादा एतराज उठाने का सवाल है।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर पूर्व): श्रीमान्, क्लॉज़ तीन के ऊपर जो बहस यहां चली, उससे अनावश्यक कटुता पैदा हुई। मैं समझता हूं इस कानून का असली मकसद क्या है, अगर इसको ठीक से समझ लिया जाता तो यह कटुता पैदा होने का मौका ही नहीं आता। कुछ माननीय सदस्यों का ख्याल है कि इस क्लॉज़ की मार्फत जो साढ़े पांच करोड़ रुपये की रकम छोटे जागीरदारों को दी जाने वाली है वह उनके मुआवजे को बढ़ा कर दिया जा रहा है। मेरा उनसे निवेदन है कि मुआवजे की रकम बढ़ाई जा रही हो, यह बात नहीं। जहां तक मैं समझ पाया हूँ जागीर रिजम्प्शन एक्ट की जो पुरानी स्कीम है, जो मुआवजे की रीति नीति इस सदन ने मन्जूर की थी, उसमें इस क्लॉज़ द्वारा किसी प्रकार की तरमीम नहीं की जा रही है। इसमें केवल मात्र यह बात है कि मुआवजे के आंकड़ों की मीजान बैठाने का तरीका अख्तियार किया गया था उसमें कुछ संशोधन मात्र है। जिस जागीर का जो मुआवजा दिया गया, जो रकम के आंकड़े बताये गये उसके अन्दर आमदनी पैदा करने में जो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज होते थे, वे उसमें काट लिये गये थे। उस आंकड़े के अनौचित्य को स्वीकार किया गया वह भी निष्पक्ष व्यक्तियों द्वारा। प्लानिंग कमीशन के विशेषज्ञ इसमें थे, उन्होंने यह तय किया कि पांच हजार से नीचे वाली जितनी जागीरें हैं उनसे जो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज के नाम पर जो पच्चीस पर्सेन्ट पैसा काट लिया गया था, वह गलत था। वह कम होना चाहिये। इसमें केवल आंकड़ों का संशोधन मात्र है। इस कारण दुबारा अकाउन्ट फैलाना पड़ा। बड़े विशद रूप में पुराने फैक्ट्स को देख करके यह तय किया गया कि जो ज्यादा कटौती हुई है उसको इस प्रकार से एडजस्ट कर दिया जाय कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज के नाम पर गलत ढंग से ज्यादा रकम काट ली गई है, मुआवजे की फीगर्स कैलकुलेट करते वक्त उसको फिर से एडजस्ट कर दिया जाय। इस रूप में इसको शुद्ध किया गया और उसी रुप में मुआवजा दिया जा रहा है। वही रकम दी जा रही है जो पहले तय की थी केवल मात्र अनावश्यक रूप से जो पांच हजार की जागीर थी वह अपनी इस आमदनी को उगाने के लिये २५ पर्सेन्ट एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा नहीं करती और आपने पांच हजार की जागीर से भी २५ प्रतिशत एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज ले लिया वह साफ़ तौर से गलत हुआ है उसको इसके द्वारा ठीक किया गया है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज दस पर्सेन्ट रखने के इरादे से यह संशोधन किया गया है। और यह आंकड़ों के आधार पर किया गया है। इसके लिए ऐसा कहना कि यह नया मुआवजा दिया जा रहा है, खजाने पर डाका डाला जा रहा है, यह तो जो पुरानी स्कीम थी, उसी के आधार पर संशोधन मात्र है। इसको उस रूप में देखने पर किसी प्रकार की दिक्कत या कटुता नहीं आती। इसमें लम्बी चौड़ी बात की आवश्यकता नहीं है।

एक माननीय सदस्य ने यह भी दलील दी थी कि बड़े जागीरदारों से एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज की तौर पर पचास प्रतिशत काटना चाहिये था, वह नहीं काटा गया तो सब से

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

पच्चीस प्रतिशत काटा गया तो यह उचित है इसलिये छोटे जागीरदारों के लिये कम करना उचित नहीं है । मैं यह कहना चाहता हूँ कि इसमें कोई सिद्धान्त नहीं, न यह समाजवाद है और न यह न्याय ही की बात । यह तो एक सोटे से सब को हांकने जैसी बात हो गई । इसलिये मेरा निवेदन है कि जिन लोगों से एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज लिये जाने चाहिये, उसे उन्हीं आंकड़ों तक लिया जाना चाहिये, हमें इसी दृष्टि से इसे देखना चाहिये । इसमें जो संशोधन है उसे मैं समझता हूं मन्जूर नहीं करेंगे ।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : माननीय सभापति महोदय, क्लॉज तीन पर मैंने काफी माननीय सदस्यों के विचार सुने । पहली बात यह है कि इस संबन्ध में नेहरू जी का फैसला है, वह जिस आधार पर हुआ है, उसकी क्या पृष्ठ भूमि थी, उसका पता तो तब चलेगा जब कि, हम, इस संबन्ध में जो रिपोर्ट सर्क्युलेट की गई, उसको हम पढ़ते । अब इस रिपोर्ट को पढ़े बिना यह पता लगाना मुश्किल हो गया है जैसा कि अभी अभी एक माननीय सदस्य ने यह कोई अलग से रकम न दी जाकर एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा ज्यादा लगा दिया था. उसी के हिसाब से दिया जा रहा है । यह तो मैं नहीं कह सकता लेकिन मोटे तौर पर इतना समझ पाया हूं कि जब जागीरदारी खत्म हुई उसके बाद में जब १६५३ के अन्दर पन्तजी ने ३५ से ४० करोड़ रुपया तक मुआवजा देने का तय किया था । बड़े जागीरदारों को पैसा मिल चुका था उसके बाद में बड़े जागीरदारों ने, मैं दावे के, साथ कह सकता हूं, एक आन्दोलन चलवाया । बड़े जागीरदारों ने छोटे जागीरदारों को उकसाया और उनके द्वारा उकसाने के बाद में उन्होंने कहा कि हमें तो मुआवजा मिल चुका अगर आप थोड़ा सा आन्दोलन करें तो हम आपको भी मुआवजा दिलवायेंगे और इसी से भूस्वामी संघ का आन्दोलन चला उसमें हजारों आदमी पकड़े गये ।

श्री उपाध्यक्ष : It will be worthwhile if you don't waste our time on the historicity of the events.

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : नैनीताल टॉक्स में आप भी थे शायद ।

श्री गिरधारीलाल : इसके बाद में पंच फैसले के रूप में नेहरूजी जो फैसला करेंगे वह मानने का तय किया और इसके बाद में यह फैसला हुआ है कि ५॥ करोड़ और जागीरदारों को दिया जावे ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कुछ माननीय सदस्यों ने दूसरी तरह से इसको लिया है । हमारा कोई विरोध छोटे जागीरदारों से नहीं है । हम मानते हैं कि छोटों को ज्यादा रियायत दी जावे । और देनी भी चाहिये । और राजस्थान सरकार ने बड़ी नरमी के साथ रियायत दी है । इसको हम अपनी आंखों से ओझल नहीं कर सकते । जागीरदारों का जो राजस्थान सरकार पर कर्ज़ा था जिसको रेख चाकरी कहते हैं , अरबों रूपयों की संख्या में था, और अन्य प्रकार के कर्ज़े थे जो माफ किये हैं और इसके बाद में छोटे जागीरदारों को अलॉटमेंट में प्राथमिकता दी गई है । भाखरा में छोटे जागीरदारों को बसाया था । वहां जिनके पास ज़मीन नहीं थी उनको बसाया गया

(श्री गिरधारीलाल)

और यह कहते हैं कि एक हज़ार परिवार राजस्थान केनाल में जागीरदारों के बसावेंगे। यह किसे के लिये ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : क्लॉज़ ३ पर ही बहस सीमित रखी जावे तो अच्छा है। राजस्थान केनाल, भाखरा आदि से सम्बन्ध नहीं है। इससे समय भी बचेगा और काम भी जल्दी होगा।

श्री उपाध्यक्ष : I expect the same from the Hon'ble Member.

श्री गिरधारीलाल : क्लॉज़ ३ पर ही बोल रहा हूं। मैं यह कह रहा था कि जहां तक छोटों का सवाल है सरकार ने रियायत दी है। इसके बाद में भी अगर कोई व्यक्ति जो अपने आपको जागीरदारों का लीडर समझते हैं या कोई समुदाय जो जागरीदारों का समुदाय है वे यह कहें कि आज तक उनके साथ अन्याय हुआ है तो उनका यह कहना उचित नहीं है। यह हास्यास्पद बात लगती है। आप एक तरफ लेते जाते हैं, आन्दोलन करते हैं और कुछ न कुछ लेकर साथ ही यह भी कहते जाते हैं कि हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है, हम ढेर हो जावेंगे, सदन में भी कह देते हैं तो यह किसी भी तरह उचित बात नहीं मानी जा सकती। मैं यह भी कहूँगा कि छोटे जागीरदारों को मुआवज़ा देते हैं ५॥ करोड़ का। जो अगर यह किसी सैद्धान्तिक दृष्टिकोण को सामने रख कर देते तो मुझे कोई आपत्ति नहीं हो सकती थी। लेकिन आपने सिद्धान्त की दृष्टि से नहीं दिया। अगर सिद्धान्त की दृष्टि पर इसको कसें तो मैं समझता हूं कि इसमें सिद्धान्त न होकर केवल जागीरदारों के साथ में रियायत करने का दृष्टिकोण रहा है। आपने सिद्धान्त माना है समाजवादी समाज की स्थापना का। इसके बाद में हम मानते हैं कि इसके अन्तर्गत छोटे आदमियों को रियायत देनी चाहिये और आप देते हैं। आप छोटे आदमियों को जहां यह रियायत देते हैं वहां ऊंचे तबके को जिसकी समाज में आर्थिक स्थिति अच्छी है वहां यह भी आपका फर्ज़ हो जाता है कि आप उनको रियायत न दें।

श्री अनोपसिंह (बालोतरा) : On a point of order, Sir. माननीय सदस्य इसके फेवर में हैं या विरोध में हैं। छोटे बड़ों के किसके फेवर में हैं ?

श्री गिरधारीलाल : मैं ५॥ करोड़ के मुआवज़े पर जो अमेंडमेंट है उसकी माफिक बोल रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) आप तो छोटों के पक्ष में बोल रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल : मैं संशोधन के पक्ष में बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : स्पष्टतया पक्ष में बोल लें तो अच्छा है।

श्री गिरधारीलाल : मुझे ऐतराज नहीं है कि रियायत नहीं मिलनी चाहिये। रियायत मिलनी चाहिये। तो उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह था कि अगर सरकार सिद्धान्त को सामने रख कर मुआवज़े देती, तो सरकार के सामने यह

(श्री गिरधारीलाल)

प्रश्न पैदा हो जाता कि यह कहां से ५॥ करोड़ देगी।

श्री अनोपसिंह : अब तक कोई सिद्धान्त है ही नहीं नेहरूजी के अवार्ड में ?

श्री गिरधारीलाल : आपने रिपोर्ट पढ़ी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : रिपोर्ट तो पढ़ने का मौका ही नहीं दिया।

श्री भैरोंसिंह : मौका अच्छा था नहीं कि बैठ कर पढ़ते।

श्री गिरधारीलाल : सिद्धान्त को मानते तो लाखों रुपया मुआवज़े का जो आप देते हैं वह पोस्टपोन कर देते और छोटों को दे देते या हम उनका काम कर देते। पर हमने इसके पीछे सिद्धान्त नहीं रक्खा और मैं यह भी कहूंगा कि जिस प्रकार निर्माण कार्य हो रहा है जिस प्रकार उसमें हमें पैसे की आवश्यकता हो रही है उसको भी सरकार ने महसूस नहीं किया। आपने इनको बिना सिद्धान्त का ख्याल रक्खे मुआवज़ा दिया और इधर विदेशों से कर्जा लिया। आज दिन आपका वह कर्जा १३० करोड़ हो जावेगा। ३॥ करोड़ रूपया केवल ब्याज़ का देना पड़ेगा। तो एक तरफ अनाप शनाप पैसा आप उनको दे रहे थे दूसरी और बाहर से कर्ज़ा मांग रहे थे। यह कौनसा सिद्धान्त है।

श्री अनोपसिंह : आपकी जेब में से जा रहा है क्या ?

श्री गिरधारीलाल : मुआवजा देना था तो आप उनको देते जो गरीब लैंडलैस टिनेन्ट्स थे। हरिजन हैं उनको बसाते। उनका लगान माफ कर देते। छोटे तबके वालों को हर तरह की फैसीलिटी दे सकते थे। पर मैं समझता हूं सरकार का इन बातों की ओर ध्यान कम गया। अब हम हिसाब लगावें तो पंतजी के फैसले के अनुसार जागीरदारों को हमें ३५।४० करोड़ रुपया देना पड़ेगा। इस तरह ४५ करोड़ १५ सालों में देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, पहले जागीरें रिज्यूम हुई थीं तब ३ करोड़ की लैंड रेवेन्यू की इन्कम थी। इसके बाद में ६ करोड़ हुई है। तो हम एक तरफ तो तीन करोड़ हर साल मुआवज़े में देते हैं और दूसरी ओर १॥ करोड़ प्रशासनिक खर्चा भी देना पड़ता है। इसके अलावा जागीरों के गांव थे उनमें निर्माण सम्बन्धी काम करने पड़ते हैं। स्कूलें, अस्पताल वगैरह, सड़कें आदि भी खोलनी पड़ती हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारा हर साल एक करोड़ दो करोड़ का घाटा रहता है और १५ साल तक यह और मुआवज़ा देना भुगतना पड़ेगा जब कि हमें हमारे प्रदेश में और बहुत से निर्माण सम्बन्धी काम करने हैं। तो एक तरफ तो आप इनको अनाप शनाप फेसीलिटी दे रहे हो और दूसरी तरफ पैसों की तंगी की वज़ह से अपने निर्माण कार्य पूरे नहीं कर रहे हो तो यह उचित नहीं कहा जा सकता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं, प्रस्ताव जो रक्खा है कि छोटों को फेसीलिटी दी जावे, उसका समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमसेन।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रधान मन्त्री ने

(श्री भीमसेन)

भूस्वामी संघ और राजस्थान सरकार के बीच पंच बनकर एक फैसला दिया । मैं उस की डिटेल में जाना ज़रूरी नहीं मानता । मैं सिर्फ एक ही बात की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा । इस आर्बीटरेशन में संघ की मांग स्वीकार करने का और एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज का जो मुद्दा है, मैं उसकी ओर आपका ध्यान दिलाऊंगा । जागीरें रिज्यूम हुई इसमें जो ग्रोस इन्कम के आधार पर जागीर रिज्यूम की और नैट इन्कम का क्राइटेरिया रक्खा उसमें हमने ५ हज़ार तक की जागीरों के लिये एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज़ २५ पर्सेन्ट डिडक्ट करके जो नैट इन्कम हुई उसको मल्टीप्लाई करके कम्पेन्सेशन और रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट के रूप में दिया । इस एक बात को लेकर आर्बीट्रेशन पर फैसला दिया और उसके आधार पर २५ पर्सेन्ट के बजाय २ हज़ार तक की इन्कम वाली जागीरों से केवल १० पर्सेन्ट एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज़ वसूल किया जावेगा और २००० से ५,००० तक की जागीरों से १५ पर्सेन्ट एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज़ वसूल किये जायें । तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो २००० तक के जागीरदार थे उनको उनकी ग्रोस इन्कम का १५ पर्सेन्ट मुआवज़ा मिलना चाहिए था । जैसा कि इसमें दिया है और २००० से ५,००० तक की जागीरों को १० पर्सेन्ट । उनको और भी मल्टीपल रिहेबिलीटेशन ग्रान्ट इस आरबीट्रेशन के मुताबिक मिलनी चाहिए । लेकिन जिस तरह से आर्बीट्रेशन दिया गया है एक जागीरदार को मल्टीपल ४ टाइम्स दे रहे हैं ऐसा इस अवार्ड में स्वीकार किया गया है । लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज़ उसका १५ पर्सेन्ट अगर कोई करे लेकिन अगर नेट इन्कम का फोर टाइम्स दिया तो हम उस जागीर को ४५ पर्सेन्ट दे रहे हैं और हमने अवार्ड के अनुसार जो प्रिन्सिपल एक्सेप्ट किया है उसके मुताबिक १५ पर्सेन्ट एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज़ उसको मिलना चाहिए । लेकिन जो मल्टीपल इस तरह से दिया गया है २५,० तक के जागीरदारों को ४५ पर्सेन्ट एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज़ और ज्यादा दे रहे हैं । इसी तरह से २५,० से ५,०० तक की को ३७½ पर्सेन्ट ज्यादा दे रहे हैं जब कि १५ पर्सेन्ट देना चाहिए और आरबीट्रेशन जिस सिद्धांत को लेकर माना गया है उसके अनुसार चलें तो मैं समझता हूँ कि जो मल्टीपल इसमें दिये गये हैं वह बहुत ज्यादा हैं और इससे हमारे गरीबों पर और किसानों पर बोझ बढ़ेगा । जहां तक छोटे छोटे जागीरदारों को रिहेबिलिटेट करने का प्रश्न है इसमें दो राय नहीं हो सकतीं कि अगर उनके पास ज़मीन नहीं है, अगर उनके पास रोज़ी के साधन नहीं हैं तो हम उनको वह साधन दें और उनको ज़मीन दें । लेकिन यह चीज़ उनके लिए ठीक नहीं होगी कि हम उनको एक मुश्त रकम पांच सात सौ की दे दें । अगर हमने किसी जागीरदार को पांच सात सौ रुपये दे भी दिये तो क्या वह अपनी जिन्दगी को ठीक तरह से गुज़ार देगा । मैं कहता हूं कि अगर उसके पास साधन नहीं हैं तो हमें चाहिए हम उसको साधन दें, अगर उसके पास ज़मीन नहीं है तो उसको रिहेबिलिटेट करने के नाते उसको ज़मीन दें । अगर किसी को एक साथ रुपया दे दें तो उससे उसकी जिन्दगी नहीं गुजरेगी और इस तरह से हमारी स्टेट के ऊपर भी अनावश्यक बोझ आयेगा । हमें अभी आगे और विकास के काम करने

(श्री भीमसेन)

हैं। हमारी राजस्थान की आर्थिक स्थिति खराब है और गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया से ५।। करोड़ रुपये का कर्ज़ा लेना पड़ेगा और ४½ पर्सेन्ट का इन्टरेस्ट उसके लिए हमें देना पड़ेगा और २ पर्सेन्ट जागीरदारों को जब तक इन्सटालमेंट में पे नहीं देंकर गे तब तक इन्सटालमेंट का इन्टरेस्ट पे करना पड़ेगा और इस तरह से गवर्नमेंट को ७½ पर्सेन्ट का इन्टरेस्ट का खर्चा बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो मैं निवेदन करूंगा कि इसके अन्दर दो राय नहीं हैं कि जो हार्ड केसेज़ हैं और जिनको रिहेबिलिटेट करना चाहते हैं उनको ज़मीन दें और उनको दूसरे नागरिकों की तरह से बसायें। जैसे भी हो उनको बसाने के लिए दो राय नहीं हो सकती लेकिन इस तरह से अगर हम किसी को हज़ार पांच सौ रुपया बांट देंगे तो वह एक अनावश्यक बर्डन होगा और उस मुश्त दी हुई रकम को वह एक साथ खत्म कर देगा। जो आरबीट्रेशन का सिद्धांत हमने स्वीकार किया है उसके मुताबिक चलें तो जो मल्टीपल दिया गया है वह बहुत ज्यादा है। हम उनको ४० से ५० पर्सेन्ट तक दे रहे हैं जब कि हमें १० से १५ पर्सेन्ट तक इस सिद्धान्त के अनुसार देना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो मैंने अभी देखा है कि नदियों के प्रवाह को तो बांधा जा सकता है लेकिन डिस्कशन का जो प्रवाह बहता है और उसकी गलती को जो बदलना चाहता है और कोई चाहे कि वह उसकी गति को बदल दे तो मेरी समझ में हमारा जो सदन है वह इसके विरुद्ध जा रहा है। मुझे यह मालूम नहीं हुआ कि आप झोंपड़ी और महल की दूरी को मिटाना चाहते हैं और जो हमारे समाज का उद्देश्य है कि हम जो झोंपड़ और महलों की दूरी है उसको कम कर दें। लेकिन मैं दूसरी ओर देख रहा हूं कि जो बिल हमारे सामने पेश है उस बिल से यह मालूम होता है कि वह दूरी दूर नहीं हो रही है। अगर माननीय सदस्य यह समझते हैं कि हमें इनकी दूरी को कम करना है तो हमें यह देखना होगा कि मज़दूर वर्ग और जागीरदार वर्ग में अन्तर क्या है। मैं समझता हूं कि पशु पशु के अन्दर संबंध होता है या नहीं। कौए कौए से संबंध रखता है या नहीं लेकिन मानव मानव का अंतर नहीं समझकर शैतान से संबंध रखना चाहता है और जब शैतान से मानव संबंध रखता है....

श्री मदनसिंह : या अपनी पार्टी का गुलाम बनता है।

श्री मूलचन्द डागा : पार्टी में एक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को खत्म करके महरबानी मांगने लग जाता है, तो समझना चाहिए कि उस आदमी का व्यक्तित्व खत्म हो जाता है। हम किसी चीज़ को मांगना चाहते हैं, अगर जागीरदार वर्ग ने जिस प्रकार अपनी रिपोर्ट दी है और उसके मैंने एक्सट्रेक्ट्स पढ़े है और मालूम हुआ है कि अवार्ड कहा जाता है कि किसी विधान सभा ने अधिकार दिया था और मैं समझता हूं कि यह अधिकार आरबीट्रेशन के दिए थे कि दो व्यक्ति बैठें और उसका फैसला वह दें। यह किसी विधान पार्टी ने किसी व्यक्ति विशेष को अधिकार दिये थे कि वह इस प्रकार की वकालात करे और वह किसी निर्णय पर पहुँच सके।

(श्री मूलचन्द डागा)

हम किसी का प्रतिनिधित्व करने के बाद यह कह सकते हैं, जिसमें साफ तौर से लिखा है : "There is no reason to think that the jagirdars of Rajasthan are generally worse off, under the Rajasthan Land Reforms & Resumption of Jagirs Act, 1952 as subsequently amended, then the jagirdars and even zamindars of other areas under legislation applicable to them. In fact, they have been liberally treated." आप उस एक्सट्रैक्ट को पढ़िये। उससे यह मालूम होता है कि जागीरदार वर्ग के साथ जिस प्रकार से हमने लिबरेली ट्रीट किया है जो कि जजमेन्ट से साफ मालूम होता है कि आज से पांच सात साल पहले सन् ५२ में जब कि जागीरों का रिज़म्शन हो रहा था उसके पांच साल बाद एक बिल पेश कर रहे हैं कि इतनी दूरी कम कर दी है कि उनको ५॥ करोड़ रुपया दूसरों को दे दें। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर कोई इस बात की जांच करे तो जितना भी जागीरदार वर्ग था वह कोई काम नहीं करता था। वह तो अपने बड़े बड़े मकानों में रह कर हुक्म किया करते थे। उनका सारा काम कामदार किया करते थे। उनके हर छोटे से बड़े काम नौकरों द्वारा और कर्मचारियों द्वारा होते थे। एडमिनिस्ट्रेशन का काम तो किसी ने करना सीखा ही नहीं था और उन्होंने सोचा था कि हम परमात्मा के भेजे हुए हैं....

श्री उपाध्यक्ष : Let us come to the amendment itself, Mr. Daga.

श्री मूलचन्द डागा : जो बिल पेश किया गया है उसमें यही भावना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज़ थे। मैं बतलाना चाहता हूं कि जो शासन करने की व्यवस्था थी। अगर जागीरदार लोग शासन करना जानते तो इतना कर्जा नहीं होता। सारी शासन व्यवस्था कामदार करते थे, चौकीदार करते थे और उनकी व्यवस्था पर भार पड़ता था और उसके बावजूद भी आपने एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज़ के नाम से उन्हें कुछ देने की सोची है। मैं कहता हूं कि नेहरू जी के अवार्ड को लेकर कि उन्होंने यह अवार्ड दिया है हम मानते हैं कि पंडित नेहरू को इस नाम के साथ जोड़कर यह बतलाना चाहते हैं कि गरीब जागीरदारों को, जिनको हम गरीब बताते हैं उन्हें कुछ लाभ पहुंचाना चाहते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि उस समय की व्यवस्था पर आप यह अवार्ड किस प्रकार देना चाहते हैं। अगर कोई हिसाब लगाये, प्लानिंग कमीशन ने जो निर्णय दिया अगर प्लानिंग कमीशन इधर आकर गांव गांव में घूमता और देखता तो जो जजमेन्ट हम पवित्रता के नाम पर कहते हैं तो मैं नहीं समझा कि इसे अवार्ड कैसे कह सकते हैं। लीटल टर्म्स में जो अवार्ड होता है कि जब चुने हुए आदमी किसानों के प्रतिनिधि उस पार्टी में जाकर कह दें कि हमारा अवार्ड है। लेकिन अवार्ड के नाम पर करोड़ों और लाखों रुपया, जिस देश में गरीब और अमीरों का फर्क मिटाना चाहते हैं, वह नहीं हो बल्कि यह साफ है कि यह प्रगतिशील बिल नहीं है और इससे तो लोगों के दिमाग में नई चीज़ पैदा होगी कि जिस जमीन पर हम समाजवाद लाना चाहते हैं उसका नग्न चित्र यह देखते हैं कि आज हम ५॥ करोड़ रुपया उन लोगों को देना चाहते हैं जिनको न तो कोई तकलीफ है और न कष्ट है।

श्री भोगजी भाई (बांसवाड़ा) : मैं

(श्री मोगजी भाई)

क्लॉज़ जो चल रही है उसका विरोध कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की जो नीति चल रही है वह कितनी भेदभावपूर्ण नीति है इसका पर्दाफाश यह खुल रहा है...

श्री उपाध्यक्ष : किस क्लॉज़ पर बोल रहे हैं।

श्री मोगजी भाई : ३ क्लॉज़ पर।

श्री उपाध्यक्ष : उसके संशोधन के समर्थन में या विरोध में।

श्री मोगजी भाई : संशोधन के विरोध में हूँ। उसका विरोध कर रहा हूं।

(हंसी)

इस क्लॉज़ के विपक्ष में बोल रहा हूं।

जिस सरकार की ऐसी नीति है, जिस सभ्य सरकार की ऐसी नीति है कि देश के अन्दर गरीबी और अमीरी को बराबर करने के लिए, इतनी बड़ी खाई को पाटने के लिए इस आधार पर व्यवस्था करनी चाहिए वह सरकार आज इस प्रकार से एक भेदभावपूर्ण नीति की व्यवस्था कर रही हैं कि करोड़ों रुपये देकर आज जागीरदारों के साथ रियायत कर रही है। हमारी सरकार जागीरदारों के नाम पर या छोटे जागीरदारों को रुपया देकर उन्हें उठाया जाय, या उन्हें किसी प्रकार से रियायत दी जाय, लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान में इतने गरीब काश्तकार हैं कि जिनके पास खाने के लिए आज रोटी नहीं है, दाना नहीं है...

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : नाज उपजाते है और रोटी नहीं हैं काश्तकारों के पास तो क्या उपजाते हैं ?

श्री मोगजी भाई : क्या उपजाते हैं और क्या नहीं यह बात नहीं है। यहां पर क्लॉज़ ३ के अन्दर क्या स्थिति है उस पर बहस करना है। छोटे जागीरदारों को ५ करोड़ का मुआवज़ा दिया जाय यहां पर इस प्रकार का है। तो जब सरकार ने उनके लिए मुआवजे की एक नीति अपनाई है, या किसी प्रकार से उनके दबाव में आकर सरकार ने समझौता किया, लेकिन आज तक सरकर ने गरीब किसानों के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया। जब कि नेहरू जी ने इतना तैयार होकर ५ हज़ार तक की जागीरों को फिर से मुआवज़ा दिया जायगा, इसकी व्यवस्था रखी है, लेकिन आज देश में किसान इस प्रकार से गरीब हैं कि जिनके पास कपड़ा नही है, खाने को दाना नहीं हैं, उनके पास में से जमीन का लगान लेते हैं। जो टैक्स व लगान देते हैं वह भी आज दुगुना बढ़ाते है और सरकार उनके बारे में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं रखती है कि जिसके पास २ बीघा जमीन है, या ४, या ५ या १० बीघा जमीन है उनके पास से लगान नहीं लिया जाय उनके पास से इस प्रकार से टैक्स वसूल करके ....

श्री उपाध्यक्ष : उनके संबन्ध में इस बिल में कहां से आगया। उसके संबन्ध में राग फिर कभी छेड़ेंगे। आप इस संबन्ध में जल्दी करें।

श्री मोगजी भाई : मैं मिसाल दे रहा हूँ कि जितना रुपया जागीरदारों को दिया जायगा वह सरकार टैक्स से वसूल करके पूरा

(श्री मोगजी भाई)

करेगी। इसलिए मैं उन किसानों की तरफ से यह रख रहा हूँ कि वह सरकार.....

श्री उपाध्यक्ष : हम सब किसानों की तरफ से हैं आप नहीं हैं। आप आरम्भ रखिये।

(हंसी)

श्री मोगजी भाई : यह जो मुआवज़ा देगें उससे बहुत भारी टैक्स बढ़ जायेंगे। इसलिए मैं तो यह चाहता हूँ कि इस प्रकार का उन छोटे जागीरदारों को पैसा लेने का प्रलोभन किसी प्रकार का न देकर उन जागीरदारों को नई जमीन पर बसाया जाय। दूसरे प्रकार की रियायत देकर उनको नई जमीन पर बसाया जाय या दूसरे उद्योग धन्धों में लगाया जाय। लेकिन इस प्रकार से इतने पैसे जनता से टैक्स से वसूल करके खाली बैठे हुए बिना मेहनत करने वालों में उदारता से देते हैं तो यही जागीरदार किसी जमाने में बिना मेहनत किये हुए लोगों का शोषण करके पलते थे और वही आज नीति रख रही है कि किसी तरह से हो हुल्लड़ करके सरकार पर दबाव डालकर पैसा लेते हैं। यह बहुत गलत नीति है कि सरकार भी इस प्रकार से किसी एक समाज के लिए नीति अपना कर और गरीबों को ध्यान में नही रखकर किसी एक समाज को सहूलियत दे या रियायत दे। यह बहुत गलत नीति है। मैं इसका विरोध करता हूँ। आज हम समान रूप से कानून में व्यवस्था करने जा रहे हैं कि जिसके पास ज़मीन नहीं हो उसको ज़मीन दें। जिसके पास धान नहीं है उसको धान दें। कानून में सबको समान अवसर हो। उस समान नीति के आधार पर उन्हें किसी प्रकार को रियायत देना है या किसी प्रकार से पोषण करना है तो दूसरी व्यवस्था हो सकता है। इस प्रकार से मुआवज़ा देकर, सरकार के खज़ाने से पैसा देकर उनको पालते हैं यह सभ्य सरकार का कानून नहीं हो सकता है। आज एक समाज कैलाश को प्राप्त है और एक पाताल में है...

श्री उपाध्यक्ष : आपका विरोध मान लिया गया है। अब समाप्त करें।

(हंसी)

श्री मोगजी भाई : यह तो समाज इतना गिरा हुआ है उसके बारे में सरकार कुछ नहीं कर रही है और जो लोग दूसरे तरीके से पल रहे थे उनको प्रोत्साहन देकर इस प्रकार कर रही है। यह कहां की उदारता है। ठीक है कि सरकार का जो अंग विशेष है उनका ध्यान नही देकर, उसमें प्रोविज़न करके टैक्स इकट्ठा करके खाली बैठे हुए जागीरदारों को देगा। उससे यह पलेंगे। इस प्रकार की व्यवस्था की आज की नीति है वह समाजवाद की दुहाई देने वाली सरकार के लिए शोभा की बात नहीं है। उससे गरीबों के लिए खतरा है। जिन गरीबों के साथ वायदा करके, उनका वोट लेकर आज विधान सभा में कानून हम बनाने आये हैं, वही इस प्रकार का कानून बनायें तो उन गरीब वोटरों के साथ, किसानों के साथ धोखा है।

एक माननीय सदस्य : इतना रुपया शिड्यूल्ड कास्ट को दे दिया जाय तो बहुत अच्छा हो।

श्री उपाध्यक्ष : समय बहुत कम है। आप जल्दी करें।

Page No.89

श्री भोगजी भाई : इस प्रकार की व्यवस्था है वह बहुत गलत है। मैं उसका विरोध करता हूं।

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : किशन सिंह जी हमारे किसान नेता है उनको बोलने दीजिये

श्री उपाध्यक्ष : He will speak on clause 4.

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, ...

(कुछ माननीय सदस्यों के बोलने लिये खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : Order, order, please.

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अर्ज करना चाहता हूं...

श्री भैरोंसिंह : किसान नेता का भाषण रह गया।

श्री उपाध्यक्ष : उनका भाषण क्लॉज़ ४ पर हो जावेगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरा अर्ज करने का मतलब यह है कि मेरे ख्याल से क्लॉज़ ३ में ...

श्री किशनसिंह बाटड़ (लक्ष्मनगढ़): मैं जागीरदारों पर बाद में अर्ज करूंगा।...:

श्री दामोदरलाल व्यास : पंडित जी के अवार्ड पर काफ़ी कहा गया है। अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने स्पष्ट बताया है कि किन कारणों से एडीशनल रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट फोर्थ शियूड्ल मे प्रोवाइड की जा रही हैं। बहुत सी बातें जैसे समाजवाद आदि के बारे में यहां बहस की गई है उनका डाइरेक्टली इस प्रश्न से सम्बन्ध नहीं रहता और जिन कारणों से एडीशनल रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट दी जा रही है उसके लिये बहस की गुंजायश नहीं है। सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो अमेन्डमेंट पेश किया है उसके बारे में वे खुद समझ गये होंगे कि वह वाजिब है या नहीं। मैं समझता हूं वे अपना संशोधन वापिस ले लेंगे।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : माननीय उपाध्यक्ष, मैं अपना संशोधन वापिस लेना चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री सोहनलाल भटनागर ने क्लॉज़ ३ पर प्रस्तुत किया है उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री सोहनलाल भटनागर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लाज़ ३ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३ विधेयक का अंग बना।

(श्री उपाध्यक्ष)

क्लॉज़ ४

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ४ विधेयक का अंग बना।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १ शॉर्ट टाइटल, प्रियम्बल इत्यादि स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १ स्वीकार किया गया।

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान रिजम्प्शन ऑफ जागीर्स (इलेवन्थ अमेंडमेंट) बिल को पारित किया जाय।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : उपाध्यक्ष महोदय, हम बोलना चाहेंगे।

श्री अनोपसिंह (बालोतरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन की कार्यवाही आधा घंटे के लिये बढ़ा दी जाय। १ के बजाय १।। बजे तक चले।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि सदन की कार्यवाही आधा घंटे के लिये और बढ़ा दी जाये।

(स्वीकृत)

सदन की कार्यवाही आधा घंटे के लिए और बढ़ा दी गई। We will adjourn at 1.30 P. M. मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि भाषण संक्षेप में हों।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल पारित किया जा रहा है और जिसके संबन्ध में अभी बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे और उनके विचारों में नाना प्रकार की बातें आईं, मैं उन सब बातों की गहराई में नहीं जाना चाहता और न वैसा मेरा दृष्टिकोण ही है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि जैसा कि मैंने सारी बातों को देखा, किस प्रकार कमेटी बनी और उसने किस प्रकार रिपोर्ट दी और रिपोर्ट देने के बाद किस प्रकार फैसला सामने आया और पंडित नेहरू अवार्ड के रूप में उस नाम से आया। इन बातों को जब मद्देनज़र रखता हूं तो देखता हूँ कि आज के युग में जब देश के नव-निर्माण की बात सोच रहे हैं उसमें जो हमारा दृष्टिकोण होना चाहिये वह दृष्टिकोण इसमें आता है या नहीं। सारे क्लॉज़ेज को जिस दृष्टिकोण से रखा गया, जिस प्रकार की कमेटी बनी और फैसला दिया गया। आखिर उसका उद्देश्य क्या था ? मैं सबसे पहले बिल

१२. ५३ म० प०

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति, पदासीन)

के नाम पर आता हूँ और खास करके जागीर-दारों को पुनः बसाने के दृष्टिकोण से सहायता के लिए रकम देने की बात कही गई है। जहां तक किसी को बसाने और सहायता देने का सवाल है मैं समझता हूं कोई समझदार आदमी इसका विरोध नहीं करेगा और यह मान्य करेगा कि जिसके पास जमीन नहीं है

(श्री मुरलीधर व्यास)

और जो बेकार है उसको फिर बसाना चाहिये। और इसके आधार पर नाना प्रकार की दलीलें आई, लेकिन हमें यह देखना है कि इस सम्बन्ध में हमने कहां तक कार्यवाही की है और इस मसले में जो कुछ सामने आ रहा है उसके कहां तक कारगुजार हुए हैं, कहां तक सफलता प्राप्त करेंगे। मैं समझता हूँ पं नेहरू के नाम से अवार्ड है परन्तु प्लानिंग कमीशन के आदमी बैठे थे उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। आज प्लानिंग मुल्क में जो चल रहा है वह यह कि इस मुल्क में ऐसी व्यवस्था करें जिससे हर आदमी को काम मिले, रोज़ी मिले और देश की हालत अच्छी हो। यह प्लानिंग का मुख्य उद्देश्य है और इसी उद्देश्य को लेकर प्लानिंग कमीशन ने रिपोर्ट दी ....

श्री दामोदरलाल व्यास : On a point of information, Sir. I want to inform the House that no report has been given by the Planning Commission. Two officers of the Planning Commission gave their report on the request of the Prime Minister.

श्री मुरलीधर व्यास : प्लानिंग कमीशन के सदस्य थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Officers Planning Commission Not Members.

श्री मुरलीधर व्यास : मेरा दृष्टिकोण यह है कि जो प्लानिंग कमीशन के ऑफीसर थे और प्लान करने वाले थे उन्होंने नेहरू जी को रिपोर्ट दी और वह रिपोर्ट हमारे सामने आई। इसमें जो कुल प्लान किया गया है उसके अनुसार ५॥ करोड़ रुपये उन लोगों को बसाने के लिए व्यवस्था करने के लिये दिये जायेंगे और वे करीब २॥ लाख आदमी हैं उनको दिये जायेंगे। ये २॥ लाख आदमी ऐसे लोग हैं जिनकी जागीरें छोटी थीं, जिनकी आमदनी कम थी ऐसे ५,००० तक की जागीरों के मालिकों को लिया गया है। अब जो ५ हजार तक के जागीरदारों को लिया गया है उनकी संख्या २॥ लाख है और उनको पैसा मिलेगा १० साल तक। २॥ लाख आदमियों को औसतन रुपये दिये जायं तो २५ रुपये प्रति वर्ष प्रति आदमी के हिसाब से मिलेंगे तो इतनी सी रकम से वे किस प्रकार बस सकेंगे, किस प्रकार से अपना विकास कर सकेंगे इसको गंभीरता से सोचना चाहिये। आज समाज के लिए प्लानिंग करने का युग है। आज पैसे का बड़ा मूल्य समझा जाता है। यहां तक समझते हैं कि पैसे का उपयोग सोच समझ कर किया जाय, बाहर से रुपये लाकर विकास के लिए लगाने पड़ते हैं। किस प्रकार से रुपये बाहर से लाये जायं और विकास पर लगावें इस पर हमारा देश गंभीरता से सोच रहा है और इस युग में इन लोगों को इस प्रकार से बसाने के नाम पर इस प्रकार का बिल आये और इस प्रकार की व्यवस्था हो तो मैं समझता हूं हमारा दिमाग क्लीयर नहीं है। हम जो कुछ योजना बनाते हैं उसमें जो वस्तु स्थिति है, जिस आधार पर समाज का निर्माण करना चाहते हैं उसको अलग रखते हैं और जो कानून रहता है उसका लाभ नहीं होता और देश को फायदा नहीं होता। आज राजस्थान में जागीरदारों ने अपनी जागीरें दी और ठीक बात है उनको मुआवज़ा दिया उसी आधार पर उनको भी मुआवज़ा देते हैं,

(श्री मुरलीधर व्यास)

उसी आधार पर उनको मुआवजा दिया उसी बसाने के नाम पर दिया जाता है। लेकिन उनको बसाने का मुख्य उद्देश्य कहां तक पूरा हो सकता है यह देखना है। करोड़ों रुपये बसाने के नाम पर खर्च किये जायं और बसना न हो फिर समस्या रहे कि इतने आदमी बस नहीं सके। करोड़ों रुपये खर्च हुए फिर भी व्यवस्था नहीं हुई तो मैं उसको अच्छी योजना समाजवाद के उपयुक्त नहीं समझता। समाजवाद का दृष्टिकोण हर बात में वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिये, उसके पीछे इतिहास होना चाहिये। लेकिन न इसके पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोण है और न इसके पीछे भविष्य का ऐतिहासिक दृष्टिकोण है, न समाजवाद को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचते हैं।

१ म० प०

मैं यह सोचता हूं कि इन साढ़े पांच करोड़ रुपये के लिए, जो प्लानिंग करने वाले लोग हैं, लोगों को बसाने वाले लोग हैं, उनको गहराई के साथ सोचना चाहिए कि हम यह व्यवस्था करना चाहते हैं। जो ढ़ाई लाख जागीरदार हैं, उन ढ़ाई लाख में से कितने लोग ऐसे हैं, जो भूमिहीन हैं, जिनके पास साधन नहीं हैं, जिनकी स्थिति इस प्रकार की है, इनको भूमि देनी है और जो भूमि सुधार करके हम किसी प्रकार से देश का विकास करके इस धन का और इस समाज शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार का प्रावधान होता तो मैं समझता हूं कि जो बहुत गरीब लोग हैं, उनको बसाने का यह तरीका है लेकिन वह तरीका नहीं रखा गया है और वह तरीका न होने से मैं समझता हूं कि यह साढ़े पांच करोड़ रुपया छोटे छोटे जागीरदारों को किसी नाम से भी और किसी प्रकार से भी दिलाया जायगा। इसी वजह से जिस काम को हम करना चाहते हैं, उसमें कहां तक हमें सफलता मिलेगी, इसमें मेरा पूरा शक है। इसलिए इस बिल में जो बातें रखी हैं, इस बिल में जो प्रावधान रखे हैं, जो व्यवस्था की है इस बिल में, इसको मैं अनुचित समझता हूँ। अगर इसका तरीका बदला जाय, तो मैं कहना चाहता हूं कि जो प्लानिंग की व्यवस्था करते हैं, जो ढ़ाई लाख आदमी हैं, उनमें से अगर ५० हजार आदमी ऐसे हैं, जो भूमिहीन हैं, जिनके पास साधन नहीं है या इसमें इस प्रकार के २० हजार आदमी हैं, जिनके पास कोई साधन नहीं है, उनके अन्दर से कुछ को भूमि दी जाती और इसमें इस रुपये का इस्तेमाल करते। जो साढ़े पांच करोड़ रुपया है, तो राजस्थान के अन्दर जहां उद्योगों के विकास के अन्दर साधनों की कमी है, पैसे की कमी है, इनके नाम पर खर्चा करते हैं। जो फर्टि-लाइजर आदि का प्रश्न आता है, उसके लिए राज्य सरकार अपनी तरफ से उद्योग खोलती और खोल करके इन आदमियों को किसी भी प्रकार से काम देने का प्रबन्ध करती और मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए प्रबन्ध करती। मैं सोचता हूं कि इस प्रकार नहीं करके आज के युग में साढ़े पांच करोड़ का राज्य सरकार दुरुपयोग कर रही है और उन लोगों को बसाने का दृष्टिकोण रखा है, उसमें कहां तक सफलता मिलेगी। मैं कहना चाहता हूँ कि राज्य के अन्दर तीन चीजों की जरूरत है। पहला यह है कि अपने यहां खाद नहीं मिलती है। कोई फैक्ट्री राजस्थान में हो, ऐसी फैक्ट्री खोल कर, राज्य सरकार रुपया लगा कर, कम कीमत में खाद देने की व्यवस्था करती, तो मैं समझता कि उन किसानों को,

(मुरलीधर व्यास)

उन लोगों को, जिन्हें काम नहीं मिलता है, उन्हें काम मिलेगा और किसानों को राहत मिलेगी। इस रुपये को किसी योजना में लगाती तो उससे लाभ हो सकता था। परन्तु इस युग में, वैज्ञानिक युग में, जो आर्थिक युग है जिसमें एक एक पैसे का किस प्रकार उपयोग करना चाहते हैं। जो विज्ञान युग है, इस युग में आपका दृष्टिकोण पुराना है, पुराने तरीके से जागीरदारों को रुपये दे दिये। मैं समझता हूं कि उसमें से कुछ हिस्सा इन को भी देना है और इनको बसाने के नाम पर देना है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज के युग में चाहे कोई सरकार पंडित नेहरू अवार्ड या किसी और नाम से अवार्ड करें, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आज के आर्थिक युग में एक एक पैसे का मूल्य है और इसका उपयोग विकास के कार्य में होना चाहिए। जो पैसा है उसे विकास के काम में लगाना चाहिए और इस धन का उपयोग करके देश को आगे बढ़ाना चाहिए। इस सबसे बड़े दृष्टिकोण को बिल्कुल अलग रख दिया है। इसलिए मैं इस बिल का, जो मंशा इसके अन्दर रखी गई है, इसका विरोध करता हूं। इस दृष्टिकोण से नहीं कि जो छोटे जागीरदारों को मिल रहा है, वह न मिले। मैं कहता हूं कि वह मिले लेकिन मैं कहता हूं कि जिनके पास जमीन नहीं है, उनको जमीन देकर एक क्रान्तिकारी परिवर्तन करें। ऐसा होता है कि कुछ लोगों के शिकार बन जाते हैं और जिनके पास कुछ नहीं होता है, जो अपनी रोज़ी नहीं चला पाते हैं, वे आज भूखे, बेकार और बेरोज़गार हैं और उनको ऐसे लोगों का शिकार बनना पड़ता है। मैं समझता हूं कि सरकार को पूरी हिम्मत के साथ इस काम का प्रबन्ध करना चाहिए। मैं इस मामले का विरोध नहीं करता हूं परन्तु जिस काम को करने की व्यवस्था सरकार की बनती है, वह नहीं कर सकती है, वह नहीं हो सकती है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि चाहे पंडित नेहरू अवार्ड या किसी और नाम से अवार्ड करें, मैं कहूंगा कि आज सरकार जिस तरह से काम करना चाहती है, उस मामले में सरकार निकम्मी है और नाकाबिल है। इस ढ़ंग से वह काम नहीं कर सकती, यह स्वाभाविक दृष्टिकोण हमारे सामने आता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं इस पर काफी बहस हुई है और आज भी इस प्रकार से होती है, लेकिन इन रुपयों को १० साल में काम में नहीं ले सकते। केन्द्रीय सरकार से लोन लेकर, कर्जा लेकर किसी योजना में लगा कर आगे बढ़ना चाहते हैं ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ ज़मीन नही है, जो बेरोज़गार हैं, भूमिहीन हैं, ऐसे लोगों को किस प्रकार बसाने की योजना करेंगे, तो वाकई इन लोगों को लाभ नहीं होगा। आज के युग में साढ़े पांच करोड़ बहुत ज्यादा हैं क्योंकि हम आज एक एक पैसे के लिए दूसरे देशों के दरवाजों पर भीख मांगते हैं, वहां इस प्रकार पैसे का दुरुपयोग हो तो हम मुल्क को नहीं बना सकते। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं और निवेदन करता हूं कि किसी योजना में इस दृष्टिकोण से पैसा लगाया जाय। यही मेरा निवेदन है।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : सभापति महोदय, आज जो यह बिल पेश हुआ है, उसके विषय में अपने कुछ विचार प्रगट करूंगा। हमारे देश के अन्दर बहुत दिनों पहले से जागीरें बनी हुई थी, उन जागीरों के आधार पर कई व्यक्तियों का पोषण होता

(श्री हीराभाई)

होता आया है, इसलिए किसी भी हालत में उनके परिवार को चलाना है। उसके लिए कोई योजना बनाते हैं तो उसके विषय में मुझे कुछ नहीं कहना है। परन्तु जो राज्य की नीति है और जिस नीति को आप अपना रहे हैं, उसके विषय में मुझे कहना है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आज से दो साल बाद क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं, इसलिए हमारी सरकार की नीति, हमारी सरकार का रवैया इधर उधर घूम रहा है। अगर आपको जागीरदारों के ऊपर दया करनी थी तो जागीरदारों पर हजार रुपया, करोड़ रुपया खर्च करके सत्याग्रह के कारण उन्हें जेल में ठूंसने और वहां पीट पीट कर जेल में बकरों की तरह बन्द रखा था, तो उस वक्त यह नीति क्यों नहीं अपनाई थी। परन्तु आपकी यह भावना है कि जागीरदारों को कुछ लोभ दिखाते हैं क्योंकि आयन्दा साल आपको वोट लेने हैं। आप नेहरू का नाम लेकर यह दिखाना चाहते हैं कि हम जागीरदारों का भला करना चाहते हैं। इस नीति से यह साढ़े पांच करोड़ रुपया बरबाद किया जा रहा है। मैं नहीं समझता कि साढ़े पांच करोड़ के बजाय १० करोड़ खर्च करें, इसके लिए पंडित नेहरू ने ना नहीं कर दिया है। यह अपने स्वार्थ के लिए नीति अपनाई जा रही है। जागीरदारों के लिए यह नीति इसलिए आई है कि जो आज कांग्रेस के अपोज़ीशन में हैं, उनको कांग्रेस में ले सके। इसलिए यह धन की बरबादी की जा रही है, जागीरदारों की तस्वीर बना कर। यह साढ़े पांच करोड़ रुपया ६ महीने के अन्दर के अन्दर खत्म होने वाला है, शराब में खर्च होगा, इससे वे खूब खुशी कर लेंगे। केवल राजनैतिक पार्टियों को खत्म करने के लिए यह नीति अपनाई जा रही है, यह सहायता नहीं है, अगर सहायता होती तो असेम्बली से बाहर हमारे मिनिस्टर साहब की मोटर निकलती है वे देखते होंगे कि एक हाथ पैर टूटा हुआ आदमी पड़ा है। मैं समझता हूं कि पंडित नेहरू दया करके उसकी सहायता कर सकते थे, लेकिन यह सब चुनाव के लिए, वोट के लिए बतौर हो रहा है। हम यहां से निकलते हैं तो देखते हैं कि इतना इतना हाथ पैर टूटा, एक लंगड़ा लूला पड़ा है, उस पर दया नहीं आती है। सड़क पर ऐसे आदमी चींटी की तरह सो रहे हैं, वहां कोई सत्याग्रह करने की बात नहीं है, सरकार को उखाड़ने के लिए बात नहीं है, इसलिए आज तक न नगरपालिका ने दया दिखाई है, न मिनिस्टर साहब ने दया दिखाई है, न पंडित नेहरू ने दिखाई है। इस हालत में अपना मतलब हल करने के लिए यह बतौर हो रहा है और करोड़ों रुपया खराब किया जा रहा है। अगर ऐसा होना चाहिए था और जागीरदारों को सहायता करनी थी, तो पहले से करनी थी। अब तो हमारा जागीरदारों से मतभेद नहीं, जागीरदार किसान सब बिना किसी भेदभाव के रहेंगे। हम तो बहुत सारे जागीरदारों को मदद देते हैं। निंदनाई कटाई उनको नहीं आती है तो हम जाकर उनको मदद देते हैं....

(हंसी)

और हम उनको परिवार चलाने के लिये मदद देते हैं पर यह आसमान डुलाने वाली राजनीति को खत्म करने वाली हमारी राजस्थान सरकार के अलावा और कोई नहीं है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

(श्री हीराभाई)

माननीय सदस्य ने अनजाने में कह दिया, उसके बारे में मैं कहना नहीं चाहता था, मुझे जागीरदारों से विरोध नहीं है, पर माननीय सदस्य ने कहा इसलिये कहना चाहता हूं। अंग्रेज जब हमारे देश में घुसे तो जागीरदारों की हिम्मत नहीं चली कि अंग्रेजों को रोकें और आज हम मजदूर किसान जिन्दा हैं वह जागीरदारों की हिम्मत से जिन्दा हैं, यह कहना अपने मतलब की बात है। ऐसा नहीं कहना चाहिये। जागीरदार और जनता अलग नहीं रहे। जनता में जागीरदारों का नाम लेकर ज़हर फैलाना, यह दीवार खड़ी करना अच्छी चीज़ नहीं है। इसको खत्म करना चाहिये। इसलिये मैं समझता हूं...

श्री सभापति : आप खत्म करने को आ जाते हैं और फिर शुरू कर देते हैं।

श्री हीराभाई : अब खत्म तो करूंगा।

श्री सभापति : आप कोशिश मत करिये कि कल तक जारी रहे।

श्री हीराभाई : इसलिये यह ५ करोड़ रुपया देने के लिये पंडित नेहरू की मिसाल देना कि उनकी योजना के अनुसार दे रहे हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं तो कहता हूँ कि जहां तक मुआवज़ा देने का सवाल है, जागीरदारों को मुआवज़ा मिलना ही नहीं चाहिये। हां, यदि किसी जागीरदार के कुआं नहीं है तो कुआं खुदवाने के लिये हज़ार रुपये की मदद देकर कुआं खुदवाते, अगर किसी जागीरदार के पास साधन नहीं हैं तो आप उनके लिये साधन जुटायें, पर अपने मतलब के लिये पैसा बरबाद करना, एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ में छुरी रखना, यह रवैया ठीक नहीं, इस रवैये को खत्म करना चाहिये। कल तो गालियां दें और आज पंडित नेहरू की आवाज़ के गुलाम बन गये। एक ही व्यक्ति के लिये हज़ारों आदमियों का नुकसान करना उचित नहीं, एक ही व्यक्ति ने कोई हिन्दुस्तान को आज़ाद नहीं किया था, सब ने मिलकर आज़ाद किया था।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : वह गोली के खाने की चोट कहां है आपके ?

श्री हीराभाई : उस औलाद का तो हूं। आप तो शायद बैठे खाने वालों के साथ होंगे।

श्री सभापति : अब खत्म कर दीजिये। आप गम्भीर नहीं हैं।

श्री हीराभाई : गम्भीर तो नहीं हूं।

श्री सभापति : इसीलिये कहता हूँ अब खत्म कर दीजिये।

श्री हीराभाई : इसीलिये यह निवेदन करता हूं.....

श्री अनोपसिंह (बालोतरा) : I move the closure motion, Sir, that the question be now put.

श्री हरिदेव जोशी (घाटोल) : I support it Sir.

श्री मदनसिंह : सभापति महोदय, एक ही प्रश्न ऐसा रह गया है जिसके बारे में निवेदन करना है।

Page No.96

श्री सभापति : अब निवेदन करने का प्रश्न नहीं। I have to dispose of this first.

श्री अनोपसिंह : I move that the motion be put to vote now.

श्री हरिदेव जोशी : सभापति महोदय, जो प्रस्ताव आपने रखा है उसका मैं समर्थन करता हूँ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, इस मोशन को रखने से पहले लोगों की भावना तो देखी जाय।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : सभापति महोदय, इस मोशन को रखने से पहले हाउस की भावना को देखना चाहिये। आपने संकेत किया तो ७–८ माननीय सदस्य बोलना चाहते थे। ऐसी सूरत में जो मोशन मूव किया है वह ठीक नहीं। ६० पर्सेन्ट माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं।

श्री सभापति : ६० पर्सेन्ट चाहते हैं तो मोशन का विघटन हो जायगा।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : सभापति महोदय, जैसा मोशन हुआ है वह ठीक नहीं है क्योंकि अभी बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। इसके अलावा एक माननीय सदस्य बोल रहे थे, उन्होंने अपना भाषण भी समाप्त नहीं किया। कुछ माननीय सदस्य बोलने वाले हैं, इसलिये बोलने की इज़ाज़त दी जाय।

श्री सभापति : I would draw the attention of the Hon'ble Member to rule 230. "At any time after a motion has been made, any member may move 'that the question be now put' and, unless it appears to the Speaker that the motion is an abuse of these...

श्री मुरलीधर व्यास : सभापति महोदय, पहले इस प्रकार का मोशन आया था कि सदन की क्या राय है, सब ने मिल कर राय दी थी कि डेढ़ बजे तक चले। अब विरोध करने का मतलब क्या है? जब सर्व सम्मति से मंजूर हो चुका है तो अब रोकने की क्या आवश्यकता है?

श्री मदनसिंह : इसके सम्बन्ध में व्यवस्था दे दी गई थी कि आधा घंटे बाद बहस समाप्त हो जायगी।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर पूर्व) : सदन का टाइम आधा घंटा ज़रूर बढ़ाया पर इसके माने यह नहीं हैं कि आधा घंटे यही काम चले।

श्री गिरधारीलाल : सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य बोल रहे हैं, उन्होंने भाषण समाप्त ही नहीं किया था।

एक माननीय सदस्य : उन्होंने भाषण समाप्त कर दिया है अपना।

श्री गिरधारीलाल : अचानक मोशन रखा है, उन्होंने तो अपना भाषण समाप्त ही नहीं किया।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : भाषण के दौरान में भी क्लोज़र मूव किया जा सकता है।

Page No.97

श्री सभापति : I am putting the motion before the House. A closure motion has been moved by Hon'ble Member Shri Anope Singh. The question is that the question be now put.

'Ayes' have it.

Motion adopted.

श्री गिरधारीलाल : No Sir, 'Noes have it.

श्री सभापति : You claim division?

श्री गिरधारीलाल : Yes Sir.

(विभाजन घंटी)

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान लैण्ड रिफोर्म्स एण्ड रिजम्पशन ऑफ जागीर्स (इलेवन्थ अमेंडमेंट) बिल, १६५६ है, उसको पारित किये जाने के संबंध में...

एक साथ अनेक माननीय सदस्य : नहीं साहब, पारित किये जाने के सम्बन्ध में नहीं।

श्री सभापति : ठहरिये भी। पारित किये जाने के सम्बन्ध में मन्त्री महोदय ने प्रस्ताव रखा है उस पर चल रही बहस को समाप्त किये जाने का मोशन रखा गया है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

वाद-विवाद समाप्त किया जाता है।

श्री गिरधारीलाल : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि हाउस को सोमवार के ८ बजे तक के लिये स्थगित किया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि उक्त विधेयक को पारित किया जाय।

जो पक्ष में हों हां कहें।

श्री गिरधारीलाल : सभापति महोदय, मेरे प्रस्ताव का क्या हुआ ?

श्री अनोपसिंह : The House has already taken a decision that we shall continue our debate upto 1.30.

श्री गिरधारीलाल : But there should be a decision on my motion.

श्री सभापति : The House has recently taken a decision on this that we shall sit upto 1-30. It is not necessary that a decision should be taken every minute.

प्रश्न यह है कि राजस्थान लैंड रिफॉर्म्स एन्ड रिजम्पशन ऑफ जागीर्स (ग्यारहवां संशोधन) विधेयक, १६५६ को पास किया जावे।

श्री गिरधारीलाल : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि कम से कम मैंने जो बात रखी है उसके लिये हाउस की सेन्स तो ले ली जावे।

श्री सभापति : I take the sense of the House. I don't mind it but I will request the Hon'ble Members that there is no procedure that when the House has taken a decision then every 10 minutes it should take a decision afresh on the same thing.

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री गिरधारी

(श्री सभापति)

लाल जी ने रखा है कि इसको आज पारित न करके अगले दिन के लिये रखा जावे उसे स्वीकार किया जावे ।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : मुझे यह निवेदन करना है कि पहले House has given decision...

श्री सभापति : That is also my observation. Even then for the satisfaction of the Hon'ble Members we should not be so rigid.

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री गिरधारीलाल ने रखा है कि यह वाद-विवाद सोमवार तक के लिये चले, स्वीकार किया जाय ।

(अस्वीकृत)

श्री गिरधारीलाल : 'हां' पक्ष जीता ।

श्री सभापति : Then division.

(विभाजन घंटी)

(विभाजन के पश्चात् पुनः)

I call the House to order.

श्री गिरधारीलाल ने जो प्रस्ताव रखा उसके पक्ष में ५ और विपक्ष में २६ मत आये ; अतः प्रस्ताव गिर गया ।

निम्नलिखित सदस्य तटस्थ रहे :—

१. श्री रामकरणसिंह
२. श्री रामधन
३. श्री कालू
४. श्री रामनारायण
५. ठाकुर मदनसिंह दांता

[विभाजन सूची के अनुसार 'हां' पक्ष व 'ना' पक्ष के सदस्य :—

"ना" पक्ष

श्री अनोपसिंह
श्री भंवरलाल शर्मा
श्री भीमसेन
श्री विश्वम्भर नाथ जोशी
श्री दामोदरलाल व्यास
श्री दौलतराम सारण
श्री देवा गिरासिया
श्री देवीलाल
श्री धन्नालाल हरित
श्री धरमंपाल पंवार
श्री गोपाललाल पुरोहित
श्री हरिदेव जोशी
श्री हरिप्रसाद यादव
श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री
श्री जेठमल बरबाड़
श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी
श्री लालूराम टटवाड़िया
श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर पूर्व)
श्री मानकचन्द कोठारी
कुंवर श्री मंगलसिंह
श्री मूलचन्द डागा
राव बहादुर रावल श्री नरेन्द्रसिंह
श्री नाथूराम
श्रीमती प्रभा मिश्रा

(श्री सभापति)

ठाकुर श्री रघुवीरसिंह

श्री रामदेवसिंह

श्री सोहनलाल भटनागर

श्रीमति सुमित्रा

श्री बेनाराम गहलोत

"हां" पक्ष

श्री गिरधारीलाल

श्री हीराभाई

श्री मोगजी भाई

श्री मोहरसिंह

श्री मुरलीधर व्यास]

अब प्रश्न यह है कि राजस्थान लैंड रिफार्म्स एण्ड रिजम्प्शन ऑफ जागीर्स (ग्यारहवां संशोधन) विधेयक, १९५९ को पारित किया जाये।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही सोमवार, दिनांक १८.५.५९ को प्रातः ८ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही १ बजकर २५ मिनिट पर सोमवार, दिनांक १८.५ ५९ के प्रातः ८ बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

———

संक्षिप्त-विवरण

(शुक्रवार, १५ मई, १९५९)

स्तम्भ स्तम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर

डूंगरपुर पुलिस व कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरुद्ध आरोप ।

चित्तौड़गढ़ में कृषि फार्म ।

उनियारा हाई स्कूल का भवन ।

गंगानगर शुगर फैक्ट्री ।

लोहे के जी. सी. शीट्स का वितरण ।

राजमहल गर्ल्स स्कूल, जोधपुर में कमरों की कमी ।

पंचायत बकानी द्वारा मकान ढाये जाने के संबंध में ।

ज़िला विकास समितियों को दी गई धनराशि ।

तहसील दौसा में हुई चोरियां ।

भूपाल कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रतापनगर द्वारा दी गई भूमि ।

बड़े उद्योगों को दिया गया कर्ज ।

भारत सेवक समाज सम्मेलन, भीलवाड़ा ।

एक मुस्तवा औरत द्वारा नाबालिग लड़की को उड़ाने के सम्बन्ध में ।

ग्राम सेवक संघ को सरकार द्वारा मान्यता ।

पॉवर हाउसेज़ की शक्ति की जांच के लिये कमेटी ।

किसान सम्मेलन, लूनकरणसर ।

हायर सैकेन्डरी स्कूल, समदड़ी में टाइप-राइटर तथा फर्नीचर का अभाव ।

बिजली घर, भरतपुर ।

भीन्डोलाव तालाब, उदयपुरिया ।

जोधपुर डिविज़न में खानें ।

उत्तरी रेलवे कोऑपरेटिव क्रैडिट सोसाइटी लिमिटेड, जोधपुर का सरकारी कर्मचारियों पर ऋण ।

स्थगन प्रस्ताव ।

निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों को जिनकी सूचना श्री मुरलीधर व्यास, सदस्य, विधान सभा, ने दी थी, सदन में प्रस्तुत करने की अनु-

मति उपाध्यक्ष महोदय द्वारा नहीं दी गई:–

(१) बीकानेर पॉवर हाउस की वर्तमान स्थिति से सम्बन्धित।

(२) सार्वजनिक निर्माण विभाग के दो निष्पादन अभियन्ताओं के आचरण से सम्बन्धित।

प्रस्ताव संख्या- १ के सम्बन्ध में सरकार की ओर से श्री रामकिशोर व्यास, विधुत मन्त्री ने एक वक्तव्य दिया।

विधायी कार्य।

राजस्थान लैण्ड रिफॉर्म्स एण्ड रिज़म्प्शन ,ऑफ जागीर्स (ग्यारहवां संशोधन) विधेयक, ५६।

उपरोक्त विधेयक पर आज खण्डश: विचार किया गया।

खण्ड २, ३, ४ व १ आदि बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुये।

तत्पश्चात विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

सोमवार दिनांक १८ मई, ५६ की कार्य–सूची।

१. सदन की निम्नांकित समितियां के कार्य सलाहकार समिति, विशेषाधिकार समिति, सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति, याचिका समिति, अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति अध्यक्ष द्वारा मनोनीत सदस्यों की सूचना दी गई।

२. सदन की मेज़ पर रखे गये पत्र।

राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त (अ) नाथद्वारा विधेयक, ५६।

(ब) राजस्थान यात्री तथा माल कर विधेयक, ५६।

राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयक।

(अ) राजस्थान सेल्स टैक्स (संशोधन) विधेयक, ५६।

(ब) राजस्थान कृषि आयकर (संशोधन) विधेयक, ५६।

(स) राजस्थान कोर्ट फी एक्ट(अडोप्टेशन) ऑर्डिनेन्स अमेंडमेंट) विधेयक, ५८।

(द) राजस्थान कोर्ट फी एण्ड स्टाम्पस ड्यूटी लॉज़ (एक्स्टेन्शन) अमेंडमेंट बिल, ५८।

(द) राजस्थान वित्त (एग्रीकल्चर इन्कम-टैक्स) विधेयक, ५६।

३. पुरःस्थापित विधेयक।

(अ) राजस्थान बन्दोबस्त लगान अतीत प्रभावी प्रयुक्ति (वैधकरण) विधेयक, ५६।

(ब) राजस्थान लैण्ड एक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक, ५६।

स्कम्भ

(स) राजस्थान उप-अनुदान पुनर्ग्रहण वैधकरण विधेयक, ५६।

(द) राजस्थान पंचायत समिति तथा ज़िला परिषद् विधेयक, ५६।

४. प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के हेतु समय की वृद्धि।

(क) राजस्थान टिनेन्सी (संशोधन) विधेयक, ५६।

स्कम्भ

(ख) राजस्थान मृत्यु भोज निवारण विधेयक, ५६।

५. प्रवर समिति को निर्दिष्ट :—

राजस्थान पंचायत समिति तथा ज़िला परिषद् विधेयक, ५६।

६. विधेयक (पारण)

राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली (ऑफिसर्स एण्ड मेम्बर्स इमोल्युमेंट्स) संशोधन विधेयक, ५६।

———

[११४८१

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १५८२ का उत्तर देखिये)

कक्षा वार छात्र संख्या की सूची

कक्षा	संख्या
६ (अ)	३०
(ब)	३१
७ (अ)	२७
(ब)	२५
८ (अ)	२८
(ब)	२९
९ (अ)	३२
(ब)	३८
(स)	३०
(द)	३४
(ह)	३७
१० (अ)	३०
(ब)	३९
(स)	३२
(द)	३८
(ह)	३१

———

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १५८५ का उत्तर देखिये)

STATEMENT SHOWING THE DISTRICTWISE ALLOCATIONS MADE DURING 1958-59.

(Local Development Works)

S. No.	Name of District	Amouut (in Rs.)
1.	Ajmer.	59,200.00
2.	Alwar.	52,500.00
3.	Bikaner.	70,000.00
4.	Banswara.	55,200.00
5.	Bharatpur.	64,500.00
6.	Barmer.	32,100.00
7.	Bhilwara.	68,150.00
8.	Bundi.	29,700.00
9.	Churu.	95,000.00
10.	Chittorgarh.	84,000.00
11.	Dungarpur.	24,500 00
12.	Ganganagar,	51,300.00
13.	Jhunjhunu.	78,400.00
14.	Jodhpur.	54,000.00
15.	Jalore.	98,500.00
16.	Jaisalmer.	2,600.00
17.	Jhalawar.	40,400.00
18.	Jaipur.	1,51,700.00
19.	Kota.	51,300.00
20.	Nagaur.	74,700.00
21.	Pali.	69,400.00

1	2	3	4
22.	Sawai Madhopur		56,600.00
23.	Sikar.		1,31,400.00
24.	Sirohi.		35,000.00
25.	Tonk.		25,200.00
26.	Udaipur.		1,14,800.00
		Total	16,70,150.00

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १५८६ का उत्तर देखिये)

STATEMENT SHOWING THE LIST OF VILLAGES ALONG WITH STOLEN AND RECOVERED PROPERTY.

S. No.	Name of villages.	1957		1958	
		Stolen property	Recovered property	Stolen property	Recovered property
1.	Dausa.	3842.22	310 50	2111.50	129.7.
2.	Bada Gaon.	201.0	–	100.0	–
3.	Godhichpura.	–	–	90.0	90.0
4.	Kali-Khand.	–	–	60.0	60.0
5.	Keelam.	–	–	5.0	5.0
6.	Ganeshpura.	–	–	470.0	–
7.	Senthal.		–	870.0	625.0

1	2	3	4	5	6
8.	Bhatlas.	–	–	10.0	–
9.	Geethada.	–	–	1250.0	1250.0
10.	Thepeghagan.	–	–	84.75	–
11.	Bhankari.	–	–	187.62	150.0
12.	Antpura.	–	–	600.0	600.0
13.	Rampura.	–	–	700.0	700.0
14.	Higotia.	–	–	1225.0	–
15.	Papadada.	–	–	1418.78	1076.12
16.	Aluda.	10995.0	–	950.0	925.0
17.	Hairpura.	–	–	10.0	10.0
18.	Piroli-ka-bas.	–	–	400.0	400.0
19.	Khawaravji.	75.0	–	–	–
20.	Bhandaraj.	519.84	–	–	–
21.	Kamta.	–	–	150.0	143.0

1	2	3	4	5	6
22.	Badh Girdharpura.	-	-	-	-
23.	Mandona.	141.0	141.0	-	-
24.	Patan.	-	-	-	-
25.	Mochingpura.	1200.0	1200.0	-	-
26.	Kandoli	4.50	-	-	-
27.	Bedawadi.	51.0	-	-	
28,	Syalyawas.	-	-	-	
29.	Mangaraj.	-	-	-	-
30.	Jiroli.	-	-	-	-
31.	Chawdeda.	600.0	600.0	-	-
32.	Khairwal.	360.0	360.0		
33.	Nangal Rajawaban	120.0	120.0		
34.	Khahora Kala.	35.0	35.0	798.50	577.75
35.	Kana-ka-bas.	330.0	300.0	25.0	-

1	2	3	4	5	6
36.	Kala Khoh.	580.0	300.0	1170.0	–
37.	Sidoli.	100.0	100.0	–	–
38.	Nimali.	40.0	–	700.0	700.0
39.	Kalota.	20.0	–	–	–

शुद्धि-पत्र

(शुक्रवार, १५ मई, १९५९)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
११२८५	अन्तिम से ४	8;50,8 36C0	8,50,836.00
११३००	६	श्री दयाकृष्ण विजय छ्बड	श्री दयाकृष्ण विजय छबड़ा
११३०३	अन्तिम से ३	चौकी वार	चौकीदार
११३१९	अन्तिम से १३	क्य	क्या
,,	,, ,, १२	बतान	बताने
११३३०	४	alternater	alternator
११६५१	१२	ओअर	ओवर
११३६१	३	रषा है	रहा है
,,	अन्तिम	डस्कशन	डिस्कशन
११३६४	अन्तिम से ४	रावल श्री नद्रासह	रावल श्री नरेन्द्रसिंह
११३७९	४	उद्दश्य	उद्देश्य
११३८४	१६	extent	extend
११४०४	अन्तिम से १४	गात	बात
११४१५	१५	pv-esettlementi	pre-settlement
११४१६	६	दृष्टि कोधे	दृष्टि कोण
११४१८	१७	दृष्ट कोण	दृष्टि कोण
११४२३	५	डितजी	पंडित जी
११४२७	१२	तौ	तो

(२)

१	२	३	४
११४३६	११	ऐस कहना	ऐसा कहना
११४३८	१०	tne	the
११४३९	३	दृष्टि	दृष्टि
११४५२	२	सकता	सकती
११४५७	अन्तिम से७	श्री दामोदरलाल	श्री दामोदर लाल व्यास
,,	अन्तिम से ६	Not	not
११४६१		(मुरलीधर व्यास)	(श्री मुरलीधर व्यास)
११४७०	८	hall	shall
११४७८	अन्तिम से१०	स्टाम्पस	स्टाम्प्स
११४८२	शीर्षक	परिशिट	परिशिष्ट